मेरी तीर्थरूप माताजी
स्व० गोपिकाबाई मावलंकर

जन्म : १८६८

स्वर्गवास : ७-१०-५१

मातुश्री तीर्थरूप
स्व. बाओी के
चरणोंमें

—ग. वा. मावलंकर

प्रकाशकीय निवेदन

कुछ समय पहले पूज्य काकासाहबने बताया था कि कुछ विदेशी तथा भारतीय भाषाओंमें प्रकाशक मिलकर अच्छी चुनी हुअी पुस्तकोंके संयुक्त प्रकाशन करते हैं। अुससे अेक तो आजके प्रतिस्पर्धात्मक वायु-मंडलमें पारस्परिक सहयोगकी भावनाका बीजारोपण होता है। दूसरे लोकोपयोगी पुस्तकोंको प्रकाशकोंकी संगठित शक्ति अेवं साधनोंका लाभ मिल जाता है। अुन्होंने अिच्छा प्रकट की कि हिन्दीमें भी अिस परिपाटीको चालू किया जा सके तो हिन्दीके पाठकोंके लिये वह बड़ी हितकर बात होगी।

काकासाहबकी अिन्ही अिच्छाको ध्यानमें रखकर, प्रयोगके रूपमें, प्रस्तुत पुस्तकका प्रकाशन हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वर्धा और सस्ता साहित्य मंडल नअी दिल्लीके द्वारा संयुक्त रूपसे किया जा रहा है। दोनों प्रकाशन-संस्थाअें सामान्य ध्येयको सामने रखकर अपना-अपना कार्य कर रही हैं। अिसलिये यह आशा करना स्वाभाविक ही होगा कि यह प्रयोग आगे भी चलता रहेगा।

हमें अिस बातकी बड़ी खुशी है कि अिस शुभ कार्यका प्रारंभ अेक बहुत ही भावपूर्ण पुस्तक से हो रहा है। अिस किताबकी कहानियाँ गुजरातीमें 'मानवतानां झरणां' और मराठीमें 'मानवतेचे पाझर' के नामसे प्रकाशित हो चुकी हैं।

हिन्दीमें अिन कहानियोंका अनुवाद गुजरातीसे किया गया है। अंतिम तीन कहानियाँ गुजराती संग्रहमें आनेसे रह गअी थीं। वे मराठी से ली गअी हैं और अुनका अनुवाद श्री. प्रभाकर माचवेने किया है।

हमें विश्वास है कि अिस अभिनव प्रयोगको हिन्दी-भाषी पाठकोंका हार्दिक समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा।

दूसरा संस्करण

बड़े हर्षकी बात है कि थोड़े ही समयमें पुस्तकका द्वितीय संस्करण पाठकोंके हाथोंमें पहुँच रहा है। अिस प्रकारकी हृदयस्पर्शी यथार्थ कहानियाँ भारतीय साहित्यमें कम ही मिलती है। अतः हिन्दीमें अिन रचनाओंको अितना आदर प्राप्त हुआ, यह अुचित ही है। आगे और भी अधिक लोकप्रियता प्राप्त होगी, अैसी आशा है।

विषय-सूची

भूमिका

"जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार ।
संत हंस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि विकार ।।"

तुलसीदासजीके अिस दोहेको गांधीजीने अपने जीवनमें अितना ओत-प्रोत कर रखा था कि अिसे अक्सर वे मित्रोंके सामने दोहराते थे। बात तो अिस दोहेमें सीधी-सादी-सी है; पर सीधी और सही बातको भी सभी हृदयंगम नहीं कर पाते। यदि सही बात सबके दिमागमें बैठ जाय तो दुनियाका सारा टंटा ही समाप्त हो जाय। मावलंकर दादा जब कारागारमें बंद थे तब खूनी बंदियोंपर अुन्होंने अूपरके अिस सीधे-सादे सत्यका प्रयोग किया था। अुस प्रयोगकी कहानी ही अिस पुस्तकका विषय है।

कारागृहके वासियोंसे दादासाहबकी अितनी अधिक घनिष्ठता हो गयी कि कैदी अुन्हें 'गुरु महाराज' के नामसे पुकारने लगे। पर दादासाहब केवल 'गुरु महाराज' ही नहीं रहे, अुनके शिष्य भी बने। हंसकी तरह 'नीर-क्षीर-विवेक' द्वारा अपने संत-स्वभावका अनुसरण कर, अुन्होंने बहुतोंके गुण ग्रहण किये और अनेकोंको अपना गुरु बनाया। जो निम्नसे भी निम्नको गुरु बना सकता है, अर्थात् "जड़ चेतन गुण दोषमय" वस्तुओंसे कुछ-न-कुछ सीख सकता है, वही गुरु बननेका भी अधिकारी होता है। अिसलिये दादासाहब यदि 'गुरु महाराज' बने तो अिसी बलपर कि अुन्होंने हंस या संत बनकर नीर-क्षीरका पृथक्करण किया और खूनियोंसे भी गुण सीखा।

प्राचीनकालमें न तो सब-किसीमें लिखनेकी शक्ति थी और न थी मुद्रणकला ही। अिसलिये कम-से-कम पुस्तकें अुस जमानेमें लिखी जाती थीं, पर जो लिखी जाती थीं अुनका अध्ययन बहुत गहरा होता था। सैकड़ों सालों में छः शास्त्र और कुछ अिने-गिने पुराण लिखे गये। पर जो लिखा गया वह था बहुत ठोस। अिसलिये आज भी अुस प्राचीन साहित्यका नयेकी अपेक्षा ज़्यादा चलन है, क्योंकि अुस प्राचीनके पीछे कुछ सद्हेतु है और

वह यह कि पढ़नेवालोंको कुछ जीवनका तत्व मिले। अिस ज़मानेमें हज़ारों पुस्तकें हर साल छपती हैं और लाखों मनुष्य अिन पुस्तकोंके पन्ने अुलट-पल्टकर सरसरी तौरपर अिन्हें पढ़ जाते हैं। पर क्या पढ़ा था, अिसे जल्दी ही भूल भी जाते हैं, क्योंकि अिस नवीन साहित्यमें अक्सर सारभूत मसाला नहींके बराबर रहता है। अिसलिये दिमागपर अिसकी कोअी छाप नहीं रह जाती। अिस दृष्टिसे दादासाहब की यह मौलिक अनुभवजन्य पुस्तक, जो रुचिकर शैलीमें लिखी गयी है, हिन्दी भाषा-भाषियोंके लिये स्वागतकी चीज़ है।

तत्व अिस पुस्तक में यह है कि अीश्वरके अिस विश्वमें कोअी भी प्राणी, चाहे वह कितना ही पापी क्यों न हो, धिक्कार या द्वेषका पात्र नही हो सकता । अीश्वर सबमें है और सब अीश्वरमें हैं, अिस वेदांत-वाक्यका दर्शन हम हर मनुष्यके चरित्रमें कर सकते हैं। ढूँढ़ें तो हमें सभी जगह सोना मिलेगा। "जिन खोजा तिन पाअियाँ गहरे पानी पैठ।" जो गहरे अुतरते हैं, अुन्हें मिट्टीमें से सोना मिलता है। "बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न दीखा कोय", क्योंकि सोनेकी खानमें अुतरनेवालोंकी दृष्टि मिट्टी और कीचड़पर नहीं पड़ती। मिट्टी में जो प्रच्छन्न सोना है, अुसीपर जौहरीकी नज़र जा गड़ती है। दादासाहबकी नज़र खूनी हृदयमें जो प्रच्छन्न सोना था अुसीपर जा गड़ी, जिसका विवरण अुन्होंने रोचक ढंगसे अिस पुस्तकमें दिया है। यह पुस्तक पाठकोंके लिए अेक चुनौती भी है जो यह आवाहन देती है कि हर मनुष्य अपने अिर्द-गिर्द कीचड़में पड़े सोनेको ढूंढ़े, क्योंकि जिसमें सोना छिपा है अुस मिट्टी की अुपेक्षा और घृणा करके हम सोना खो बैठते है और प्रकारांतरमें अपने आपकी ही हम हानि करते हैं।

भर्तृहरिने कहा कि "जब मैंने थोड़ा-सा जाना तो अैसा माना कि मैं सब-कुछ जान गया। पर जब ज़्यादा जाना तो बात समझमें आयी कि अभी कोरा नादान हूँ।"

"यदा किंचिज्ज्ञोऽहं द्विप अिव मदान्धः समभवम् ।"

अज्ञ और विज्ञमें यही बड़ा भारी भेद है। अज्ञ अिसी भ्रमके चक्करमें फँसा रहता है और समझता है कि वह सबकुछ जानता है। विज्ञ-अपनी

मर्यादा पहचानता है और जानता है कि हम अपने आपको ही पूरा नहीं जानते तो दूसरोंपर निर्णय कैसे दे सकते हैं। अेक छोटी-सी मिसालके लिये, हमारे अिस शरीरके भीतर क्या रचनायें हैं ? किस तरह हमारे बिना प्रयास और हमारी बिना जानकारीके हमारा हृदय अेक घंटेमें करीब छः मन रक्तको साढ़े चार हजार मर्तबा हमारे शरीरके कोने-कोनेमें ढकेलता और वापस लेता है. किस तरह यदि शरीरके तमाम अणु-परमाणुओंके आकाशको हम समेट लें. तो परिणामतः शरीरकी विशालता खत्म होकर अेक अितना छोटा ठोस अणु रह जाता है, जो सूक्ष्म-दर्शक यंत्रके बिना आंखोंसे दिखाओ भी नहीं दे सकता, अिस हमारे अपने शरीरकी अिस विचित्र रचनाको भी हम कहाँ जानते हैं ! और जब हम अपनी अिन स्थूल क्रियाओंको नहीं जानते तो फिर अपने सूक्ष्म गुण-दोषोंकी तो हमें परख ही कहाँ है ? जब हम अपने आपको ही नहीं पहचानते तो परायेको हम जान गये, यह दावा बालूकी भीत-जैसी भावना है। दत्तात्रेयने अिसलिये पशु-पक्षियोंको भी गुरु बना लिया था। यही अुनके ज्ञानकी निशानी थी। पापी कहे जानेवालोंके प्रति नफ़रत, यह हमारे अज्ञानका प्रदर्शन है।

मनुष्यका मानस बड़ा विलक्षण है। मनुष्य-हृदयमें न अेक रस सत्व रहता है, न रजस् और तमस्। समुद्रकी लहरकी तरह अेक गुण आता है, तो दूसरा जाता है। कभी-कभी साथ ही दोनों टक्कर मारते हैं। जो गुण जिस समय आता है वह अपना खेल अुस समयके लिये दिखाता है। "रज-स्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत ! रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा" गीताने भी हमें यही बताया है। गुणोंके अिस अुतार-चढ़ावका साक्षात् दर्शन अिस पुस्तकके कुछ नायकोंके चरित्रोंमें होता है। यह दर्शन हमारी कुंठित बुद्धिको विशाल बनानेमें सहायक होगा।

वैसे तो अिसमें कअी चरित्र है, पर महमद मूसा और शिवराम अिन दो खूनियोंकी कहानियाँ अध्ययनके लायक़ हैं, क्योंकि दोनोंके हृदयमें सत्व, रज, तमका युद्ध चला और अंतमें जब सत्वका प्रभाव बढ़ा तब अुन्होंने अनासक्तिसे मृत्यु पर विजय पाअी, निर्भय होकर मृत्युका सामना किया।

महमदकी स्त्री बदचलन थी। महमदको अुसका पता चला और अुसने क्रोधमें आकर अुसपर छुरीसे वार किया और वह मर गअी । जैसा कि

होना है. वकीलोंने अपराधको अस्वीकार करनेकी सलाह दी। महमदने वैसा ही किया; पर तो भी अन्तमें फाँसीकी सज़ा हुअी। अब जो कुछ हो सकता था वह अितना ही कि महमदकी तरफ़से दया-भिक्षाकी प्रार्थना की जाय। दादासाहबने महमदसे कहा, "मनुष्यका शरीर नश्वर है, अिसलिये सच ही बोलना चाहिये।" पर फिर दादासाहबको लगा कि कभी "परोपदेश पांडित्यम्" वाली बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ? अिसलिये दादासाहबने अपना आग्रह छोड़ दिया और महमदके पास जाना भी छोड़ दिया। पर उनके न जानेसे महमदको बुरा लगा। ख़ैर, अन्तमें दादासाहबने दया-भिक्षा का आवेदन-पत्र भिजवाया, जिसमें महमदसे अपने दोषको स्वीकार करवाया, पर अिसका भी कोअी फल नहीं हुआ। फाँसीकी सज़ा क़ायम रही।

अब जैसे-जैसे फाँसीका दिन नज़दीक आने लगा, महमद मृत्युके लिए अधिकाधिक तैयार होने लगा। अुसकी अनासक्ति बढ़ गअी। देह-संबंधी अुसकी अनास्था संपूर्ण हो गअी, मानो गीताके तत्वज्ञानका अुसे साक्षात्कार हो गया। मृत्युका समय निकट पहुँचा तब महमदने खाना छोड़ दिया और करीब-क़रीब केवल दूध पर ही रहने लगा। पहरा देनेवाले संतरियों-को अिससे चोट लगी। दादासाहबसे अुन्होंने कहा, "दादासाहब, हम फाँसीवाले क़ैदियोंको फाँसीके तख्ते पर ले जाकर अुन्हें वहाँ लटका हुआ देखनेवाले लोगोंमेंसे हैं, फिर भी अुन क़ैदियोंके प्रति हमें हमदर्दी है। अिस तरहके दृश्य देखकर भी हमारे दिल निष्ठुर नहीं हुअे हैं। अिसलिये महमदका अनशन हमें परेशान करता है। आप अुसका अनशन तुड़वा दें तो हमारे दिलको शांति मिलेगी।" महमदसे जब दादासाहबने भोजन लेनेके लिये आग्रह किया तो महमदने कहा, "दो-चार दिनके अंदर ही मुझे खुदाके दरबारमें जाना है। वहाँ देह और मनको पाक करके जाना चाहिए। अगर मैं खाना जारी रखूँ, तो मुमकिन है कि फाँसीके वक्त टट्टी और पेशाब हो जाय और मेरी यह देह नापाक हो जाय।" अुत्तरमें महमदकी अीश्वर-श्रद्धा और निर्भयता दोनोंका समावेश था।

मरनेसे अेक रोज पहले महमद सारी रात माला फेरता रहा। सुबह गर्म पानी मँगवाकर स्नान किया। स्नानके बाद प्रार्थना की और बादमें निर्भय होकर फाँसीपर चढ़ गया।

शिवरामने भी गुस्सेमें आकर अेक स्त्रीका खून किया और दादासाहबके प्रयास करनेपर भी अुसकी फाँसीकी सजा कायम रही। मरनेका समय आया। रातभर शिवराम विठोबाके पद गाता रहा। अंत समयमें जब मजिस्ट्रेटने अपराधके बारेमें पूछा तो अुसने साफ़ स्वीकार किया कि "यद्यपि मेरा खूनका अिरादा तो नहीं था तो भी खून मैंने किया है और जो सजा मिली है वह न्याय्य है।" फाँसीके तख्ते पर चढ़ते हुअे अुसने एकत्र अफ़सरोंसे कहा "साहबान्, रातको मैंने पांडुरंगका अेक बहुत अच्छा भजन बनाया है, आप अुसे सुने।" यह कहकर वह अूँचे स्वरसे भजन गाने लगा और गाते गाते अुसने देह-विसर्जन किया।

ये सब अनोखी घटनायें हैं, जो हमें बताती हैं कि मनुष्य-स्वभाव किस तरह क्षण-क्षण पर बदलता है। कभी अच्छी लहर तो कभी बुरी लहर आती है। बुरी लहरको मार भगाना और अच्छीको जकड़के पकड़ लेना यही धर्म और व्यवहार है, जो गीता और शास्त्र हमें सिखाते हैं। अिन क़ैदियोंने अपढ़ होते हुअे भी अैन मौक़ेपर सत्को कैसे पकड़ा और असत्-पर कैसे विजय पाअी, यही अिस पुस्तकका सारभूत है। मावलंकर दादाकी अिस पुस्तकमें पाठक केवल मनोरंजन ही नहीं, नीति और धर्मकी भी झांकी पायेंगे।

नअी दिल्ली,
३ जून, १९५३

—घनश्यामदास बिड़ला

प्रयोजन

अिन पुस्तकमें वर्णित प्रत्येक प्रसंग सत्य घटना है । लेखककी कल्पना-शक्ति द्वारा निर्मित रंगोंसे अिन प्रसंगोंको चित्रित नहीं किया गया है। अिनमें जो संवाद हैं, अुनकी भाषा अुस समयकी नहीं, किन्तु अुनका आशय शत-प्रतिशत सत्य है ।

अिन कथाओंको लिखनेकी प्रेरणा मुझे कैसे मिली ? मुख्य कारण है आत्म-सन्तोष। अपने जीवनके बीते भाग पर दृष्टि डालकर पुराना जीवन स्मरण द्वारा फिर जीनेमें अेक प्रकारका आनन्द मिलता है। आत्म-कथा लिखनेका मुख्य कारण यही होता है। आत्म-विज्ञापन करना, अथवा लोगोंको शिक्षा देना या सुन्दर भाषाका साहित्य-सर्जन करना आत्म-कथाके मुख्य अुद्देश्य नहीं होते, फिर भी अिस दृष्टिकी छाप न्यूनाधिक अंश में होनी स्वाभाविक है।

अनेक वर्षोंसे मेरे मनमें यह ख़याल रहा है कि मुझे अपनी आत्मकथा लिखनी है। अिस ख़यालका निमित्त कारण यह हुआ कि मेरे कुटुम्बका अितिहास लिखनेका काम मेरे प्रिय कुटुम्बीजनोंने हाथमें लिया और मुझसे मेरी शाखाके पुरुषोंका विवरण माँगा। अुस समय मेरे पिता, दादा और अुनके बड़ोंके बारेमें मैं बहुत थोड़ी जानकारी दे सका। कुछ पुराने कागज़-पत्रों और मेरी माता और दादीसे सुनी जानकारीपर आधार रखकर मुझे चलना पड़ा। अिनसे मुझे अैसा प्रतीत हुआ कि प्रत्येक मनुष्यको अितिहासके साधन-रूपमें अपनी भावी पीढ़ियोंके लिअे अपने जीवनकी जानकारी लिखनी चाहिये। अिनके अनुसार जेलमें जब मुझे (सन् १९४०–४१ और ४२–४४) समय मिला तो मैंने कुछ सामग्री लिखी; किन्तु यह काम सन् १९४२ तक आकर अटक गया।

अिसी सिलसिलेमें सन् १९४२–४४ के अर्सेमें मैं बीस महीने साबर-मती जेलमें रहा। अुस समयके संस्मरण लिखनेका विचार जेलसे छूटा

तभीसे किया हुआ था। किन्तु अनेक प्रवृत्तियोंके कारण अुसपर अमल नहीं किया जा सका। अिन कथाओंसे यह भी नहीं कह सकता कि अुस विचारको पूरा-पूरा अमलमें ले आया हूँ।

९ अगस्त १९४२ के दिन हम बड़ी संख्यामें जेलमें आये। अिसका पहला परिणाम यह आया कि जेलके अधिकारियोंके लिये हम लोगोंको सामान्य क़ैदियोंसे अलग रखना असंभव हो गया। सरकारी नियमोंकी दीवार बिलकुल टूट तो नहीं गअी; किन्तु अुसमें बड़ी-बड़ी दरारें अवश्य पड़ गअीं। जेलवालोंने राजनीतिक क़ैदियों और अपनी सुविधाकी ख़ातिर हमको सामान्य क़ैदियोंसे अलग चौक (यार्ड) में रखा था।

अिस बार जेल-अधिकारियोंके सामने कांग्रेसी क़ैदियोंके बारेमें अनेक गुत्थियाँ और संघर्षों के प्रसंग अुठते थे। अधिकारियोंमें कांग्रेसी क़ैदियोंके प्रति काफ़ी सहानुभूति थी और अिसलिये वे नामके लिए जेल-नियमोंका पालन करते चलते थे। अनेक मामलोंमें वे छूट दे देते थे और कांग्रेसी क़ैदियोंके बारेमें पारस्परिक समझौते और चर्चासे जेल-प्रबन्ध चलता था।

अिस परिस्थितिका लाभ अुठाकर अेक दिन मैंने सुपरिंटेंडेंटसे प्रार्थना की कि "मुझे थोड़ा क़ानूनका ज्ञान है, अिसलिअे मेरी यह अिच्छा है कि यहाँ जो साधारण क़ैदी आते हैं, अुनमेंसे किसीको अपील करनी हो या सरकारको कोअी अर्ज़ी भेजनी हो तो मैं अुसके मामलेकी जांच-पड़ताल करके अुसकी योग्य सहायता किया करूँ, विशेषकर फाँसीके क़ैदियोंसे रोज मिलनेका अवसर मुझे प्रदान करें तो मैं आपका अत्यन्त आभारी होअूंगा।"

सुपरिटेंडेंट समय देखकर काम करते थे। सन् १९१२ में बंगालके क्रांतिकारी दलोंके शिक्षित और भावनाशील युवकोंको जब दस-दस, बीस-बीस वर्षकी सजायें हुअीं और अुन्हें जेल भेजा गया तो लार्ड हार्डिंजने सरकारी अधिकारियोंको यह सूचना दी थी कि 'जेल-शासन-तंत्रके अधिकारियोंको यह याद रखना चाहिए कि अुनके पास आये क़ैदी साधारण कोटिके व्यक्ति नहीं हैं। वे असाधारण और महान् देशभक्त हैं। आज जेलके क़ैदी हैं, कल ये सरकारके सलाहकार बननेवाले हैं। अिस बातको ध्यानमें रखकर अुनके साथ सम्मान और विवेकका व्यवहार करना चाहिये।'

साबरमती जेलके सुपरिंटेंडेंटको मानो अिस बातका पता हो, अिस तरह अुन्होंने अपना आचरण रखा था।

अिस प्रकार साधारण क़ैदियोंसे मिलनेकी मुझे छूट मिली और अिसका मैंने पूरा-पूरा लाभ अुठाया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे जेल-अधिकारियोंको यह मालूम होता गया कि मेरे सम्पर्कसे क़ैदियोंपर बुरा असर नहीं होता। अिसलिअे जेलके क़ैदियोंसे मिलनेकी छूट किसी प्रकार मर्यादित होनेके बजाय जेलमें यह परंपरा पड़ गअी कि मैं जब और जिस समय जिस क़ैदीसे मिलना चाहता, मिल सकता था। अिस कारण क़ैदियोंकी जीवन-पुस्तकमें से मैं कुछ-कुछ पढ़ पाया।

जेलमें अनेक किस्से जाननेको मिले, अनेक क़ैदियोंके हाल-चाल मालूम किये। वे अपने-अपने ढंगसे बोधप्रद पर रोमांचक हैं, किन्तु अुन सबका संग्रह करने जितना समय नहीं। आवश्यक भी नहीं है। अिसलिये थोड़ेसे प्रसंग लिखे हैं।

जेलकी दुनियाके बारेमें हम लोगोंमें अनेक गलत और विकृत खयाल हैं। लोग अैसा मानते मालूम होते हैं कि जेलमें तो केवल डाकू, चोर, लुटेरे, खूनी, झूठ अथवा अनैतिक आचरण करनेवाले ही होते हैं और समाजकी स्वच्छता मानो जेलके बाहर ही है! जेल अर्थात् समाज की गंदगी और कूड़ा-कर्कट! मैं अिस धारणाका खंडन करता हूँ। जेलके भीतर बन्द क़ैदियोंकी अपेक्षा समाजमें प्रतिष्ठा-प्राप्त जेल के बाहर रहनेवाले गुनहगारोंकी संख्या अधिक होगी और यह समाजके लिये अधिक हानिकारक और भयंकर बात है। निःसन्देह अिस विषयमें मतभेद हो सकता है। जेलमें मुझे साधारण क़ैदियोंमें जो हिम्मत, सच्चाअी, त्याग-वृत्ति और कृतज्ञता आदिकी भावना दिखाअी दी, वह जेलके बाहर शिक्षित माने जाने-वाले लोगोंमें दिखाअी देनेवाली भावनाकी अपेक्षा अधिक अुच्च कोटिकी प्रतीत होती है। अिसमें अपवाद तो हो ही सकते हैं। समाजको अूँचा अुठानेका प्रयास करनेवाले सेवकों और सरकारको जेलकी तरफ़ अिस दृष्टिसे देखना चाहिये। जेल का स्वरूप क्या होना चाहिए, मनुष्यका सुधार करनेके लिये सज़ाका अुपयोग कितना हो सकता है, मौतकी सज़ाका परिणाम कुल मिलाकर आजतक क्या आया है, अिन प्रश्नों पर

सम्पूर्ण और गहरा विचार किया जाना चाहिये। गुनाह और गुनहगारों और गुनाहोंकी रोकथामके अुपायोंके बारेमें मुझे लगता है कि अब विचार करनेका समय आ गया है। मैं यह भी कह सकता हूँ कि यह सवाल अेक प्रकारसे समाज-शिक्षणसे सम्बंध रखता है।

अिन कथाओंमेंसे अनेक कथायें सत्यके माहात्म्यका रहस्य समझाने वाली हैं। सत्यसे हानि तो शायद ही होती है, किन्तु अगर हानि-लाभका हिसाब लगावें तो हानिकी अपेक्षा लाभ ही अधिक होता है। सत्यका यह व्यावहारिक पहलू लोगों, विशेषकर वकीलों और राजनीतिक पुरुषों के लिये समझ लेना कितना आवश्यक है, यह अिन कथाओंसे ज्ञात हो जाता है। सत्यसे पारस्परिक विश्वास बढ़ता है, सहयोग संभव होता है और समाज अूँचा अुठता है। मेरा वकालतका और जेलका यह अनुभव है कि लोगोंमें यह जो गलत धारणा फैली हुआी है कि अदालतोंमें तो झूठ बोलना ही चाहिये, वह समाजके विकास और प्रगतिको रोकती है, समाजके सुखी जीवनको धूलमें मिला देती है।

महम्मद मूसाने सत्यका आश्रय लिया होता तो फाँसीसे बच जाता; किन्तु क़ानूनके सलाहकारोंकी सलाहकी ख़ातिर वह मर-मिटा। कितना करुण! अदालतने क्या किया होता, अिस बारेमें सन्देह किया जा सकता है, किन्तु कानजीका बचाव सत्यके बिना नहीं होता, सत्यसे ही अुसका बचाव हुआ।

मानसशास्त्रकी दृष्टिसे कितनी ही कथाओंपर विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि अनेक मर्तबा मनुष्यके अिरादों और विचारकी दिशाअें लगभग अतर्क्य होती हैं। अूपर-अूपरसे घटनाओंके कारणोंकी वास्तविक कल्पना नहीं हो सकती। माधो अपना ओझाका धन्धा चलानेके लिये बालकोंका खून करनेको तैयार होता है, यह प्रथम विचारमें माना नहीं जा सकता, किन्तु है यह निरा सत्य ही।

बेमेल विवाहका कैसा नतीजा निकल सकता है, यह शाहजादेके मामले से प्रकट है। बबलीको अगर योग्य वर मिला होता तो अुसकी दुनिया दूसरी ही तरहकी होती। सामाजिक प्रतिष्ठा और पैसेके लोभसे जो बेमेल विवाह होते हैं, अुनके परिणाम सोमाके मामलेमें देखनेको मिलते हैं।

पैसेके लोभसे गुपचुप अनीतिका धंधा समाजमें किस तरह चलता है, अिसका अुदाहरण शिवरामका क़िस्सा है । यह सबकुछ होते हुअे भी अिन्हीं क़िस्सोंपरसे हम देख सकते हैं कि जीवनमें विषय-वासनाका प्रभाव कितना प्रबल होता है, अिसमें लिप्त होनेपर राग और द्वेषके परस्पर-विरोधी भाव किस प्रकार पैदा होते हैं, मरण निश्चित होनेपर मनुष्यकी वृत्तिमें किस प्रकार आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है और गीतामें प्रतिपादित जन्म-मरणका तत्वज्ञान सामान्य मनुष्य बिना किसी पंडिताअीके किस हदतक अपने आचरणमें अुतार सकता है। अिन क़िस्सोंमें समाजके साधारण मनुष्योंके विचारों, आकांक्षाओं, वृत्तियों, अुनके गुण-दोषों आदिका भी दर्शन होता है।

बीस महीनोंके जेल-आवासके दरमियान मुझे अैसे सैकड़ों क़िस्सोंकी जाँच करने और गरीबोंके सुख-दुखमें भाग लेनेका अवसर मिला। अस्पतालके रोगियों, घरकी अुलझनोंके कारण खिन्न बने मनुष्योंके भी अनेक क़िस्से मैंने देखे। अिस प्रकार मानव-जीवनके अनेक पहलुओंको ठीक-ठीक देख सका, सामान्य क़ैदियोंकी संभव सेवा कर सका—मेरे विचारसे मेरे लिये यह बड़े सौभाग्यकी बात हुअी। और केवल अिसी कारण जेल-प्रवासका यह समय मुझे अपने जीवनमें अेक अनमोल विद्यार्थी-जीवन-सा प्रतीत होता है। राजनीतिक साथियोंका गहरा संबंध, अुनके साथ चर्चा, साथ ही लिखने और पढ़ने तथा कातने आदिका आनंद तो मिला ही।

मैं ये कथायें लिखनेको अिस अुद्देश्यसे प्रेरित हुआ हूँ कि मुझे जो प्रतीत हुआ और मेरे मनमें जो विचार आये, अुनमें तमाम भाअी-बहनोंको भागीदार बना सकूँ। अिनका मूल्यांकन करना मेरा काम नहीं।

'सेवा कुटीर'
अहमदाबाद

—गणेश वासुदेव मावलंकर

झरनोंका आचमन

मानवताके अिन 'झरनों' का आचमन करके बड़ी प्रसन्नता हुअी। तीर्थका जल होनेसे अिसमें विशेष महत्व और पावित्र्य है। स्व० मेघाणी की लिखी हुअी "माणसाअीना दीवा" पढ़नेके बाद जो संतोष अनुभव हुआ था, वही संतोष और शुचिता अिस पुस्तकमें मैंने पाअी। फ़र्क़ अितना ही है कि अुस किताबमें श्री रविशंकर महाराजके अनुभवोंको श्री मेघाणीने शब्द-बद्ध किया था, अिस किताबमें श्री दादासाहबने महाराजके जैसे ही अपने अनुभव खुद लिखे है।

धातुका बरतन चाहे जितना दागी क्यों न हो, तेज़ाबके सामने वह तुरन्त ही सब मैल छोड़कर चमकीला बनता है। मौतका साक्षात्कार भी कअी बार अिसी तरह तेज़ाबका काम करता है। मृत्युका यह माहात्म्य अिस किताबमें हर जगह देखनेको मिलता है।

अुपनिषद्के ऋषि कहते है कि सत्यका चेहरा सोनेके ढक्कनसे ढका हुआ रहता है। भगवान सूर्यनारायण ही अुसे खोल सकते है। हम यहाँ देख सकते हैं कि सहानुभूति जब निःस्वार्थ सेवाका रूप लेती है तब अुसका तेजस्वी प्रकाश भी सूर्यनारायणका काम करता है, और सत्यकी पहचान तो दिमागसे नहीं, दिलसे होती है। 'हृदयेन हि सत्यं जानाति।'

शास्त्र-धर्म, प्रतिष्ठा-धर्म, क़ायदे कानून और अुनकी सज़ाअें जो कर नही पातीं, सच्ची सहानुभूति वह कर सकती है।

रविशंकर महाराजके और दादासाहबके अनुभवोंको पढ़कर पाठकोंका मन अवश्य द्रवित और अन्तरमुख होता है; लेकिन अितना काफ़ी नही है। हमें मनुष्य-जीवन और अुसकी विविध प्रेरणाओंका फिरसे अध्ययन करके अपने क़ायदे-कानून, अपना धर्म-शास्त्र, रूढ़ियाँ और सारे समाज-शास्त्रकी रचना नअी बुनियादपर खड़ी करनी चाहिये। हमारी लोक-संसदके अध्यक्ष अिस दिशामें जरूर पहल कर सकते है। अिस कार्यमें अुन्हें समानधर्मा असंख्य सेवकोंकी मदद अवश्य मिलेगी।

—काका कालेलकर

सत्यकी प्रतीति
(पहला खंड)

: १ :

कानजी

अेक दिन कानजी नामका अेक क़ैदी मेरे पास सलाह के लिअे आया। अुसपर खूनका अिल्ज़ाम लगाया गया था। मजिस्ट्रेटकी अदालतमें अुसका मुक़दमा होने वाला था और अपने बचावके लिअे अुसने वकील किया था। वकीलने अुसे सलाह दी थी कि वह अिस तरहका बयान दे कि "मुझे कुछ मालूम नहीं है। मेरे दुश्मनके बहकानेसे पुलिसने मेरे खिलाफ़ झूठा केस किया है" और अिस प्रकार अपना बचाव करे। वह बेचारा असमंजसमें था कि वकीलकी सलाहपर चले या नहीं। अुसे अिस बातका लालच भी था कि शायद वकीलके कहनेके अनुसार चलनेसे, सबूतोंके अभावमें, वह छूट जाय।

मैंने अुससे कहा कि जो बात हुअी हो, वह सच-सच बता दे। ऐसा करने से शायद कुछ रास्ता निकल सके। जेलमें अुसने मेरे बारेमें दूसरोंसे जो कुछ सुना था, अुसके कारण मुझपर अुसकी श्रद्धा थी।

खूनकी घटना छोटी और सीधी-सादी थी। कानजी और अुसका मित्र (जिसकी मौत कानजीके हाथों हुअी थी) अेक ही मिलमें साथ-साथ काम करते थे। अेक दिन कुछ मौजमें थे, सो थोड़ी-सी दारू चढ़ाकर दोनों अेक होटलमें चाय पीने गये। होटलके बाहर फुटपाथपर अेक बेंच पड़ी थी। उसीपर वे बैठ गये। कुछ खाने, चाय पीने और बातें करनेमें वे लग गये। अितनेमें कोअी

अैसा विषय आया कि जिससे दोनों आपसमें तन गये। बात-बातमें मित्रने कुछ अैसी बातें कहीं कि कानजी अेकदम अुत्तेजित हो गया और जेबसे चाकू निकालकर, मारनेके अिरादेसे नहीं बल्कि सबक सिखानेके खयालसे, मित्रपर वार किया। दुर्भाग्यसे हाथ ठीक कलेजे पर पड़ा और अुसका दोस्त बेंचसे नीचे लुढ़क पड़ा।

कानजीको अेकदम होश आया। घबड़ाया। दुःख भी हुआ। खूनसे लथपथ अपने मित्रको देखकर वह काँप उठा; किन्तु अुसी क्षण विचार आया कि अब उसे पुलिस पकड़ेगी और फाँसी पर लटकना होगा।

पास ही किसीकी साअिकिल खड़ी थी। तुरन्त अुसपर सवार होकर वह भाग खड़ा हुआ। यह सब पलक मारते-मारते हो गया। होटलमें बैठे हुअे लोगोंकी अुधर निगाह गअी तबतक कानजी साअिकिलपर सवार हो गया था। अुसे पकड़नेके लिअे कुछ लोग 'खून···खून···' चिल्लाते हुअे अुसके पीछे दौड़े; किन्तु वे अुनके पास नहीं पहुँच सके। कानजी आगे निकल गया था।

रास्तेमें दस-बारह सालकी अुम्रका अेक लड़का खड़ा था। दूसरोंकी तरह अुसने भी 'खून···खून···'की आवाज सुनी। अिस कारण वह भी अुनके पीछे दौड़ा और हिम्मत करके साअिकिलका पीछेका पहिया पकड़ लिया। कानजी साअिकिलसे गिर पड़ा, पर अुठकर फिर दौड़ने लगा।

लोग तो अुनके पीछे पड़े ही थे। अतः वह पासके ही एक घरमें घुस गया। लेकिन अुस घरकी बुढ़ियाने अुसे निकाल बाहर किया। दौड़ता-दौड़ता वह आगे निकल गया। आवाज़ देनेवाले लोगोंने अुकताकर और थककर अुसका पीछा छोड़ दिया।

कानजीने सोचा कि अब अुसे किसी दूसरे गाँव चला जाना चाहिये। सो मणिनगर जानेवाली बसमें वह जा बैठा और मणिनगर स्टेशनसे बड़ौदेका टिकट लेकर, ट्रेनमें सवार होगया। अुसे लगा कि अब वह बच गया, लेकिन अीश्वर भला अैसे थोड़े ही बचने देता !

खूनकी खबर पुलिसवालोंको मिलते ही पुलिस-अधिकारियोंने अुसका पीछा किया। मणिनगर स्टेशनसे ट्रेन छूटनेवाली ही थी कि वे वहाँ पहुँचे और कानजीको गिरफ्तार कर लिया। अिस प्रकार कानजीभाअी सरकारी जेलके मेहमान बने।

अब अिस मामलेमें बचाव क्या करें ? वकीलोंने अपनी रीतिके अनुसार सलाह दी कि आँखोंदेखी बात बतानेवाले गवाहोंका यह सबूत कि खून कानजीने ही किया है, अधिक दमदार नहीं है। खून करना, साअिकिल पर सवार होकर भागना, बुढ़ियाके घरमें घुसना और तुरन्त बाहर निकलना आदि क्रियायें बड़ी तेज़ीसे हुअी थीं। जिस लड़केने साअिकल पकड़ी थी, जिस बुढ़ियाने अुसे घरमेंसे बाहर निकाला था, अिनमेंसे किसीने भी खून होनेकी जगह प्रत्यक्ष कुछ नहीं देखा था। अिसी प्रकार होटलमें बैठे हुअे लोगोंने भी कानजीको चाकू मारते हुअे नहीं देखा था। खूनकी मुख्य घटनाके बादके ही ये सब सबूत थे। अिसलिअे बहुत संभव है कि अिन सबूतोंको अदालत संतोषप्रद न माने और कानजी छूट जाय। अिस कारण वकीलकी यही सलाह थी कि कानजी बयान दे कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है।

कानजी स्वाभाविक रूपसे शंकाशील था। अुसे छुटकारेका लालच तो था ही; किन्तु खून हो जानेके कारण फाँसीपर लटकना पड़ेगा, अिसका अुसे भय भी था। वह द्विविधा में पड़ गया।

हक़ीक़तसे अिन्कार करे या गुनाह क़बूल करे, यह प्रश्न अुसके सामने था। अपराध स्वीकार करनेसे फाँसी हो सकती थी। अिन्कार करनेपर छूटनेकी संभावना थी। जीवन-मरणके अिस प्रश्नको लेकर लालच और भयके बीच वह झूल रहा था। अिस कारण सलाहके लिअे वह मेरी कोठरीमें मेरे पास आया।

अुसकी बात सुननेके बाद मुझे लगा कि फाँसीकी जोखिम अुठाकर भी अुसे अपने गुनाहको स्वीकार करना चाहिये। घटनाको देखते सचमुच अुसे फाँसीकी सज़ा होगी, अैसी संभावना बहुत कम थी। अपने मित्रको जानसे मारनेका अिरादा नहीं था। अुत्तेजित अवस्थामें यह दुर्घटना हो गअी, जिसके लिअे अुसके भी दिलमें दर्द था। साथ ही मुझे यह भी निश्चित रूपसे लगा कि यदि वह हक़ीक़तसे अिन्कार करे तो अुत्तेजित होने आदिकी जो दलीलें अुसके बचावमें हो सकती हैं, अुनका सबूत कहाँसे मिलेगा और कौन देगा? अिस कारण सबसे अच्छी बात तो यही थी कि वह अपने अपराधको खुले दिलसे स्वीकार करे, अपना पश्चात्ताप प्रकट करे और अपने आपको न्यायाधीशके न्याय और दयापर छोड़ दे।

अिस प्रकारके विचारोंके साथ-ही-साथ मेरा यह भी आग्रह था कि किसी भी परिस्थितिमें मनुष्यको जहाँतक बन सके सच बोलनेकी हिम्मत रखनी चाहिये। सच बोलने पर चाहे जो दुःख सहना पड़े, वह झूठ बोल कर संकटसे बचनेकी अपेक्षा अधिक अच्छा है। मेरी अपनी अिस प्रकारकी मान्यता होनेके कारण मैंने कानजीसे तुरंत कहा, "कानजी, मैं समझता हूँ कि तुम्हें गुनाह क़बूल कर लेना चाहिये। वकीलोंके पीछे पैसे खर्च करके पैसे व जान दोनों गंवानेकी अपेक्षा सच बोलकर जान

बचानेका जो मौक़ा मिल रहा है अुसका लाभ अुठा लो और जान और पैसे दोनों बचा लो। मेरी तो यही स्पष्ट राय है।"

अुसने मेरी बातें यों ही नहीं अुड़ा दीं, बल्कि अुसने मुझसे कुछ दलीलें करना शुरू किया।

"मगर साहब, वकील कहते हैं कि मैं अपराध स्वीकार कर लूं तो फाँसी पर चढ़ना होगा। अुसके बजाय अिन्कार करके छूटनेकी जो सम्भावना है, अुसका फ़ायदा क्यों न लूँ?"

"अैसी दलील करते हुअे तुमने और तुम्हारे वकीलने यह मान लिया है कि अदालत तुम्हारा झूठ समझ नहीं सकेगी और तुम्हारे बयानको सत्य मानकर तुम्हें बरी कर देगी। यही न?"

"लेकिन साहब, चाकू मारते हुअे मुझे किसीने देखा नहीं। तब मैंने चाकू मारा, यह किस तरह कहा जा सकता है?"

"हाँ, यह ठीक है कि चाकू मारते हुअे तुम्हें अीश्वरके सिवा और किसीने नहीं देखा। लेकिन तुम्हारा दोस्त खूनसे लथपथ पड़ा हुआ था और तुम तुरंत साअिकिल पर सवार होकर भाग खड़े हुअे, यह देखने वाले गवाह तो हैं न? अगर तुमने चाकू नहीं मारा तो खूनसे लथपथ अपने मित्रको पड़ा छोड़कर भाग क्यों खड़े हुअे? मित्रकी सार-सम्भाल क्यों नहीं की? अिससे तो यह साबित होता है कि तुम्हारा दिल तुम्हें दोषी ठहराता है, अिस कारण तुम भाग खड़े हुअे।"

"हाँ, यह बात विचारने योग्य ज़रूर है। लेकिन साहब, क्या मैं यह नहीं कह सकता कि कहीं अुसकी हत्याका आरोप मुझपर न आ जाय, अिस डरसे मैं भागनेकी कोशिश करता था?"

"तुम यह कह ज़रूर सकते हो, लेकिन है कोअी अक्लमन्द आदमी, जो तुम्हारी यह बात मानेगा? होटलमें देखनेवाले

गवाह, तुम्हारी साअिकिल को पकड़नेवाला लड़का, अपने घरसे निकाल बाहर करनेवाली बुढ़िया, अिनमेंसे किसीको भी तुम नहीं पहचानते और किसीसे भी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है। तब ये लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही क्यों देते हैं? अिन लोगोंको झूठा माननेके बजाय अपराधसे बच निकलनेका तुम्हारा स्वार्थ होनेके कारण तुम्हीं झूठ बोल रहे हो, यह अधिक आसानीसे माना जा सकता है। ये सारे गवाह झूठ बोलेंगे और वह भी तुम्हें फाँसीपर लटकानेके लिअे?"

"साहब, आपका कहना है सही, मगर मैं क्या यह नहीं कह सकता कि पुलिसने मेरे ख़िलाफ़ अिन लोगोंको खड़ा कर लिया है?"

"कह क्यों नहीं सकते; लेकिन अुसपर कोअी विश्वास नहीं करेगा। अुल्टे तुम्हारा ख़ून करनेका अिरादा था, यही सिद्ध होगा और तुमको निश्चित रूपसे फाँसीपर लटकना पड़ेगा। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे मर जानेसे क्या तुम्हारे जीवनका अंत आ जायगा? झूठ बोलनेका पाप करके मरनेकी अपेक्षा सच बोलकर मरे तो सच कहनेका जो पुण्य तुम्हें मिलेगा, अुससे स्वर्गमें जाने का कुछ तो मौक़ा होगा। अुसे छोड़कर झूठ बोलकर, निश्चित रूपसे फाँसीकी सज़ा पाकर, नरकमें जाना तुम्हें अधिक पसंद है क्या?"

कानजी मान गया। मेरी बातें अुसकी समझमें पूरी तरह आ गअीं। नैतिक दृष्टिके साथ व्यवहारकी बात भी किस प्रकार बराबर ठीक बैठती है, यह यदि अुसको जँचा सकूँ तो शायद वह अपने अिस निर्णयपर टिका रहे और अगर फाँसीकी सजा हुअी भी तो वह बादमें मुझे दोष न दे, अिस खयालसे मैंने अुससे कहा, "सच्ची बात कहनेमें नीति तो है ही, परन्तु व्यावहारिक लाभ होनेकी भी संभावना है। यदि अपराधसे अिन्कार किया जाय तो

अदालत को यही लगेगा कि फाँसीकी सज़ा न देनेके लिअे ध्यान देने लायक कोअी भी बात अिस मामलेमें नहीं हुअी है। अिसके विपरीत, सच्ची बात कह दी तो अदालतपर सचाईका असर पड़ेगा और तुम जो कहते हो, अुसपर विश्वास रखनेका अदालतका रुख़ होगा। क्षणिक आवेशमें यह घटना घटी, अैसा समझकर शायद अदालत फाँसीकी सजा न भी दे।" फिर मैंने उससे कहा, "मैंने अपनी राय दे दी; लेकिन तुमको तो तुम्हारा दिल कहे वैसा ही करना चाहिये। हाँ, मैंने जो कहा वह करोगे तो मुझे ज़रूर खुशी होगी। मुझे अैसा भी लगता है कि अगर तुम सच बोलोगे तो फाँसीसे बच जाओगे। फिर भी अीश्वर न करे, अगर तुम्हें फाँसीकी सजा हुअी और फाँसीपर चढ़ते समय तुम्हारे मनमें यह आया कि दादाकी सलाह मानने के कारण फाँसीपर लटकना पड़ रहा है तो मेरे लिअे यह असह्य होगा। अिसलिअे जो मैं कहता हूँ अुसे अपने दिलमें अच्छी तरह समझ कर ही तुम निश्चय करो।"

"आपकी सलाह मैं ठीक समझा हूँ। मैं अपराधका पूरी तरह अिकरार करूँगा और आपको यक़ीन दिलाता हूँ कि फाँसीकी सज़ा होगी तो फाँसी पर चढ़ते-चढ़ते भी मैं आपका अुपकार ही मानूँगा। मैं चाहे ज़िन्दा रहूँ या मर जाअूँ, पर पापसे बचता हूँ, अिस बातका मुझे सन्तोष रहेगा।"

अुसके अिस जवाबसे मुझे स्वाभाविक खुशी हुअी। अुसके दिलकी अुदारता और सत्यके प्रति मनुष्यके स्वाभाविक सम्मान को देखकर किसे खुशी न होगी ?

: २ :

अुसके बाद कानजीकी कसौटीका समय आया। नीचे की

अदालतमें मुक़दमा चला; अुस समय अिक़रार करनेका मेरा और अुसका आग्रह होते हुअे भी अुसके वकीलने अिस बातको मंजूर नहीं किया। अुससे अितना ही जवाब दिलवाया कि अिस बारेमें जो कुछ कहना होगा वह मैं अूपरकी (सेशन) अदालतमें कहूँगा।

शामको जेलमें आनेके बाद जब कानजीने मुझे यह बात बताअी तो मुझे दुख हुआ। डर भी लगा कि कहीं सेशनमें सरकारी वकील यह न कह दे कि अुत्तेजित अवस्थामें और बिना अिरादेके चाकू मारनेकी बात बादमें फाँसीसे बचनेके लिअे जोड़ दी गयी है! अगर यह बात सच होती तो नीचेकी अदालत में ही, जब कि खुलासा करनेका पहला मौक़ा मिला था, क्यों नहीं कही गअी? मुझे अैसा लगा कि संभव है, सारा मामला गलत सलाहसे बिगड़ जाय। कानजीके भविष्यके बारेमें मैं चिन्तित हो गया।

यथासमय सेशनमें मुक़दमा चला। खुशीकी बात थी कि कानजी अपने निश्चय पर अडिग रहा और किसीकी भी सलाह न मानते हुअे अुसने अदालतके सामने सारी हक़ीक़त सच-सच बयान कर दी। नतीजा वही हुआ जो सोचा था। न्यायाधीशने अुसको चार सालकी सख़्त क़ैदकी सज़ा दी।

कड़ी क़ैदकी सजावाले क़ैदीकी हैसियतसे कानजी जब आकर मुझसे मिला तो वह बहुत ही अुत्साह व आनन्दमें था। कहने लगा, "दादासाहब, सिर्फ़ चा···र ही साल···।"

मैंने हँसकर कहा, "बहुत अच्छा हुआ। सज़ा कम करानेके लिअे अपील करनी है?"

"नहीं साहब, मुझे अपील वगैरा कुछ नहीं करनी।"

कानजीके हृदयमें फैले हुअे नव-प्रकाशको मैं देखता रहा।

: २ :

बाबा ब्रह्मानंन्द

अेक रोज़ श्री रविशंकर महाराजने मुझसे कहा,

“दादा, हमारे यार्ड में बेचारा अेक बाबा खूनके अिल्ज़ाममें गिरफ्तार होकर आया है। अुसे सलाह देंगे?” मैंने फ़ौरन ‘हाँ’ कहा और जेलके अधिकारियोंसे बातचीत करके बाबाजीके मझसे मिलनेके लिअे मेरी कोठरीपर आनेका प्रबंध किया।

बाबाजी मिलने आये। मैंने पूछा, “क्यों बाबाजी, क्या बात है?” अुन्होंने खुले दिलसे सब बातें सच-सच बता दीं। मैंने पूछा, “अब क्या विचार है? बचाव क्या सोचा है?”

“बचाव दूसरा और क्या हो सकता है? ‘मुझे कुछ भी मालूम नहीं। पुलिसवालोंने मुझपर झूठा अिल्ज़ाम लगाया है।’ यही कहना है।”

“लेकिन महाराज, अैसा कहना आपको शोभा देगा? आपने तो गेरुआ धारण किया है। दूसरोंकी तो बात और है, मगर आप झूठ कैसे बोल सकते हैं?”

“गेरुअे वस्त्र धारण किये हैं तो क्या अिसलिअे मुझे जान गँवानी चाहिये! फाँसी पर लटकूं? सच बोलूँगा तो फाँसी ही होगी।”

“नहीं, यह ज़रूरी नहीं है। आप सच बोलेंगे तो न्यायाधीश के दिलमें भी आपके और आपके अिन गेरूअे वस्त्रोंके बारेमें कुछ अिज्ज़त और रहमकी भावना जागृत होगी तथा सज़ा कम होगी।

अिसलिअे आपको तो सच ही बोलना चाहिये।"

बाबाजी सोचमें तो पड़े; लेकिन बचाव करनेकी अुनकी वृत्तिमें फ़र्क पड़ा हो, अैसा मालूम नहीं हुआ।

मैंने बात आगे बढ़ाअी, "महाराज, आप तो लोगोंको सच्चे धर्मका पाठ सिखानेवाले हैं न?"

"अिसमें क्या शक है?"

"तो आप लोगोंको कौनसा पदार्थ-पाठ सिखानेकी बात सोच रहे हैं? आपका प्राण, या यों कहिये कि आपका शरीर, आपको अपने धर्मसे भी ज्यादा प्रिय है, यही न?"

बाबाजी विचारमें डूबे। गीताके श्लोक जानते थे। शरीर जो नाशवान है, अुसे बचानेके लिअे वे आत्मा का बलिदान करनेके लिअे तैयार हुअे हैं, अिसका भान होते ही वे कुछ अधिक गंभीर विचारोंमें डूब गये। यह देखकर मैंने आगे कहा, "महाराज, धर्मका बलिदान देकर आप जिस शरीरको बचायेंगे, अुस शरीरका बादमें कौनसा अुपयोग करेंगे?"

बाबाजी फिर चुप रहे। अितनी बातचीत होनेके बाद, मैंने तो सत्य ही बोलनेका अुनसे आग्रह किया और कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ अुसपर आप शांत चित्तसे विचार कीजिये। चार दिन बाद हम फिर मिलेंगे तब आपका बचाव किस तरह किया जाय, अिसपर सोचेंगे।

: २ :

बात यह थी। अहमदाबादके दरियापुर मुहल्लेमें सेठ अचरतलाल वैरागी ट्रस्टकी ओरसे अेक अन्नसत्र चलता है। अुसमें साधुओंको भोजन करानेका प्रबन्ध रहता है। बाबाजी अिस अन्न-सत्र में भोजन करते और बाक़ीका समय नींद, गाँजा और कुछ

शिष्योंके साथ गप्पें लड़ाने में बिताते थे। थोड़े बहुत श्लोक तथा तत्वज्ञानके कुछ वाक्य बाबाजी बोल लेते थे। श्रद्धावान जनताके मनपर उनके गेरुअे कपड़े अौर बाहरसे दिखायी देनेवाली साधु-वृत्तिका बहुत असर पड़ता था। अिसी अन्नसत्रमें अैसे ही अेक दूसरे, लेकिन अवस्थामें ज़रा बूढ़े, बाबाजी भोजनके लिअे आते थे। दोनोंके बीच किसी कारणसे मतभेद शुरू हुआ अौर आख़िरकार अेक दिन परिस्थिति गंभीर हो गअी। भोजनके बाद हाथ धोकर दोनों बाहर आ रहे थे कि अुन बूढ़े बाबाजी ने अिनसे कुछ कहा। अिससे यह अेकदम चिढ़ गये अौर अुन बूढ़े बाबाजीको अुठाकर रास्तेमें ही ज़मीन पर पटक दिया। अुनको मार डालनेकी अिनकी अिच्छा या नीयत न थी, फिर भी बुढ़ापेके कारण अौर पथरीले रास्तेपर सिर टकरा जानेके कारण बूढ़े बाबाजी अेकदम बेहोश हो गये। अिन नौजवान बाबाजीको किसी काममें दूसरे गाँव जाना था, अिसलिअे वे तुरन्त स्टेशन रवाना हो गये। किसीको भी खयाल न था कि बूढ़े बाबाजी तत्काल मर जायंगे।

बूढ़े बाबाजीके पछाड़े जानेके बाद स्वभावत: कुछ गड़बड़ हुअी अौर भीड़ जमा हो गअी। जो आते, 'क्या हुआ? क्या हुआ?' करके पूछने लगते। अिसी बीच नौजवान बाबाजी वहाँसे चल दिये थे। लोगोंने बूढ़े बाबाजीका तात्कालिक अुपचार किया अौर अुसी बेहोशीकी हालतमें अुन्हें दवाखाने ले गये। वहाँ मालूम हुआ कि बाबाजी तो मर गये हैं। मामला पुलिसमें पहुँचा। आँखों-देखा हाल जाननेवाले दो-चार आदमी ही थे। अुन्होंने बताया कि अिन दो साधुअोंके बीच कुछ तकरार हो गअी अौर नौजवान बाबाजीने बूढ़े बाबाजीको अुठाकर रास्तेमें पटक दिया। जवान बाबाजीका नाम, निशान आदि पुलिसको बताये गये; लेकिन

अुनके अहमदाबादसे बाहर होनेके कारण अुनका कोअी पता न चला। अन्नसत्रसे बाहर चले जानेके कारण अुस बूढ़े बाबाका हाल ये नौजवान बाबा नहीं जानते थे। अुनको पता नहीं चला कि बूढ़े बाबा की मृत्यु हो गयी है। पन्द्रह दिन के बाद वे अहमदाबाद वापस आये तब पुलिसको पता चला और बाबाजी को गिरफ्तार करके अुनपर मुक़दमा चलाया गया।

: ३ :

निश्चयके अनुसार तीन-चार दिन बाद बाबाजी मुझसे फ़िर मिलने आये, तब हमारी बातचीत अिस प्रकार हुअी––

"क्यों महाराज, क्या सोचा?"

"आप कहते हैं वह सही है। लेकिन अकेला अेक आदमी दूसरे आदमीको बच्चोंकी तरह अुठाकर फैंक दे, अिसे कौन सच मानेगा?"

"दूसरे सच मानें या न मानें, अिसका विचार आप छोड़ दें। पर आपको तो मालूम है न कि जिस बातको आप सही न मानने जैसी मानते हैं वह प्रत्यक्ष हुअी है?"

"यह तो ठीक है। लेकिन न्यायाधीश या ज्यूरी अिसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं।"

"क्यों नहीं कर सकते? आपकी अवस्था और शरीर और अुस बूढ़ेकी अवस्था और शरीरको देखते हुअे स्वीकार न करने जैसी बात ही क्या है?"

"हाँ, यह बात विचारणीय ज़रूर है।"

"लेकिन महाराज, आपसे अेक और बात पूछता हूँ। वे दो-चार आदमी, जिन्होंने पुलिसमें गवाही दी है कि उन्होंने आपको बूढ़े बाबाजीको अुठाकर फेंकते हुअे देखा था, क्यों

झूठ बोलेंगे ?"

"पुलिसके सिखानेसे।"

"लेकिन पुलिस आपके खिलाफ़ झूठा षड़यंत्र क्यों रचेगी? आपके और पुलिसके बीच या गवाहोंमें से किसीके साथ व्यक्तिगत राग-द्वेष या दुश्मनी है, जो वे आपपर झूठा अिल्जाम लगायें ?"

"नहीं, असी बात तो नहीं है।"

"तो फिर, ये सब लोग अिस तरहके झूठे प्रपंचमें क्यों पड़ेंगे?"

"साहब, अपराध होनेके बाद अगर अपराधी न पकड़ा जाय तो पुलिसवालोंको किसीको भी गिरफ्तार करके अुसपर मुक़दमा चलाना चाहिये न ?"

"आपकी सब बातें वाहियात हैं। कोअी कुछ माननेवाला नहीं है और आप व्यर्थ में फाँसीपर चढ़नेवाले हैं। अुनको मारनेका आपका अिरादा न था, गुस्सेमें आपने अुनको धर-पटका, अुनकी मौत अचानक हुअी, यह हक़ीक़त आपके सिवा दूसरा कौन बता सकता है? और यह बात अगर मामलेमें दर्ज न हुअी तो यही अनुमान लगाया जायगा कि बाबाजी को मारनेका आपका अिरादा था और आपने जानबूझकर अुनका खून किया है। 'मुझे कुछ मालूम नहीं, पुलिसने झूठा मामला खड़ा किया है', यह कहकर आप फाँसीको निमंत्रण दे रहे हैं। और यह मानकर कि आप अेक दुष्ट और झूठे आदमी हैं, गेरुअे वस्त्रोंको लांछन लगाते हैं, किसीकी भी हमदर्दी आपके साथ नहीं रहेगी। खैर, यह तो सब ठीक, लेकिन धर्मके अेक सेवकके नाते आप धर्मको अपने हाथों डुबोते हैं और अीश्वरके दरबारमें पश्चात्ताप न करनेवाले अेक पक्के पापी समझे जायेंगे। अिससे बेहतर यही है कि आप सच्ची बात बता दें। मुझे लगता है कि असा करनेसे आप

फाँसीसे बचेंगे. अितना ही नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत बहुत ही कम सजा आपको होगी। अिसपर सोचिये, और सत्यको न छोड़ते हुअे अपने शरीर और आत्माको बचा लीजिये।"

महाराज विचारमें पड़े। बात उनके गले अुतरती लगी। अिसलिअे मैंने कहा, "अब आप जाअिये। विचार पक्के कीजिये, धर्मका चिन्तन कीजिये। जब मुक़दमा चलेगा तब आपको अहमदाबाद ले जाया जायगा। अिसके पहले आप मुझसे मिल लें और तब आपका अन्तिम विचार क्या होता है, यह जानकर हम फिर बातें करेंगे।"

: ४ :

कोअी अेक महीनेके बाद बाबाजी मुझसे मिलने आये। मैंने पूछा, "क्यों बाबाजी, मुक़दमा शुरू हुआ?"

"हाँ जी, कलसे सेशनमें चलनेवाला है।"

"तो आपने क्या निर्णय किया?"

"यही कि पूरी बात सच-सच कह देना। आपकी बात मुझे जँची है। गेरुअे वस्त्र पहनकर झूठ बोलना महापाप है, मौतसे भी ज्यादा भयंकर।"

मुझे संतोष हुआ। मैंने अितना ही कहा, "महाराज, अिस निश्चय पर अमल करनेके लिअे भगवान आपको बल दे, यही मैं आपकी ओरसे प्रार्थना करूँगा। सत्य ही आपका बचाव है। अिसमें अब आपके और न्यायाधीशके बीच में किसी भी वकीलकी या क़ानूनी सलाहकारकी ज़रूरत नहीं है। आपकी सचाअी आपकी ओरसे सबकुछ कर लेगी।"

दूसरे दिन अदालतमें हाज़िर होनेके लिअे बाबाजी विदा हुअे।

: ५ :

अेक रोज़ शामको मेरी माताजी और कुटुंबियोंके साथ मेरी क़रीब नौ महीनोंके बाद पहली मुलाक़ात हुअी। मुलाक़ातके अंतमें मैं अंदर के दरवाज़ेसे जेलमें घुसा तो देखता क्या हूँ कि वहाँ क़रीब पंद्रह-बीस क़ैदी दो-दोकी पंक्तिमें खड़े हैं। अितनेमें सजा पाये हुओंको जेलके कपड़े पहनाये जा रहे थे। मैं अुनके पाससे होकर अपनी कोठरीकी ओर जा रहा था। अितनेमें पीछेसे आवाज़ आयी: "दादा साहब, मैं सज़ा पाकर अभी आता हूँ।"

मैंने देखा कि आवाज़ देनेवाले वही बाबाजी थे। अुनके शरीरपर गेरुअे वस्त्र नहीं थे, अिसलिअे अुनके पाससे गुज़रते समय क़ैदियोंकी टोलीमें मैं अुन्हें पहचान न सका। अुन्हें देखकर मुझे संतोष हुआ कि चलो, अिन्हें फाँसी तो नहीं हुअी। मैंने पूछा,

"महाराज, कितने सालकी सज़ा हुअी?"

महाराज बहुत ही खुश थे। अुन्होंने तीन अंगुलियाँ दिखाअीं। अिससे मैं समझा, तीन सालकी। मेरा वह भाव बाबाजी समझ गये। तुरन्त ही अुन्होंने कहा—

"साहब, तीन साल की नहीं, तीन महीनेकी।"

: ३ :

बेचारी माँ

स्त्रियोंके यार्डसे मेरी कोठरीपर श्रीमती ज्योत्स्नाबहन शुक्लका संदेसा आया—"कोअी बाअीस सालकी अुम्रकी टाकरड़ा जातिकी अेक नौजवान स्त्री अभी हमारे वार्डमें आयी है। अुसपर आत्महत्याकी कोशिश करने और अपने दो छोटे बच्चोंके खूनका अिल्ज़ाम है। वह रोती रहती है। आप आयेंगे?"

जेलरकी अनुमति लेकर मैं फ़ौरन स्त्रियोंके वार्डमें गया। अुस स्त्रीका नाम शायद डाही था। ज्योत्स्नाबहनके साथ मैं अुससे मिला और पूछताछ की। ज्यों-ज्यों मैं सहानुभूतिसे पूछता गया त्यों-त्यों वह अधिकाधिक रोने लगी। दुःखसे अुसका दिल अुमड़ा जा रहा था और बात बता नहीं पाती थी। अिसलिअे अिस पहली मुलाक़ातमें मैंने अुसे केवल यही तसल्ली दी कि घबराने की कोअी बात नहीं है, तुम्हारे लिअे जितना हो सकेगा, हम करेंगे। दूसरे दिन फिर मिलना तय किया। अिस बीच अुससे बातचीत करके घटनाकी जानकारी हासिल कर लेनेका काम मैंने ज्योत्स्नाबहन और दूसरी बहनोंको सौंपा।

: २ :

स्वभावसे डाही गरीब और दीन थी। ससुरालमें नौजवान पति और सास थी, मायकेमें अेक भाअी। दोनों कुटुम्बोंके पास थोड़ी-सी घरकी खेती थी। गुजारेके लिअे सबको मज़दूरी भी करनी पड़ती थी। खाने-पीनेसे वे सुखी थे।

अुसके पतिका स्वभाव अच्छा था। डाहीके प्रति अुसका प्रेम भी था। पति-पत्नीमें अच्छा मेल था। जब यह घटना हुअी, डाहीके दो छोटे बच्चे थे। अेककी अुम्र करीब तीन सालकी और दूसरेकी कोअी अेक सालकी।

हिन्दू कुटुम्बमें सास अेक बड़ा विचित्र प्राणी होता है। कुटुम्ब चाहे किसी भी जातिका हो, गरीब हो या अमीर, पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़, शहरका हो या देहातमें रहनेवाला, सास हमेशा सास ही है, और बहू बहू।

डाहीकी सास डाहीको बिना बात सताने और ताने मारनेमें अपनेको धन्य समझती थी। डाहीकी तबीअत कैसी भी हो, अुसको खेतमें और दूसरी जगह, सुबहसे शामतक रोज़ाना मज़दूरीके लिअे वह भेजा करती। जो पैसे अुसे मिलते, वह अुससे ले लेती। सारा दिन मज़दूरी करनेके बाद भी शामकी रोटी बनानेका और सुबह मज़दूरीके लिअे जानेसे पहले भी रोटी बनानेका काम डाहीके ही ज़िम्मे था। घरमें बहू हो तो सास क्यों काम करे? अुसे हमेशाके लिअे एक गुलाम जो मिल गयी। सास-बहूके संबंधके बारेमें आम तौरपर यह खयाल रहता है कि सास मानो बहूकी मालकिन है। यहाँ भी वही चीज़ थी। इतना कष्ट होते हुअे भी अपने पति के प्रेमकी वजहसे डाही सब-कुछ सह लेती थी।

डाहीकी पहली प्रसूति हुअी, लड़का हुआ। अैसे समय भी सासने बहूकी ओर किसी तरहकी कृपादृष्टि नहीं दिखाअी। प्रसूतिके बाद दो या तीन सप्ताहमें ही डाहीको मज़दूरीके लिअे जाना पड़ा। वह खूब थक जाती, अपने बच्चेकी देखभाल भी न कर पाती और बहुत कष्ट और चितामें बेचारी दिन काटती। फिर भी अीश्वरकी कृपासे डाहीका शरीर टिका रहा।

कोअी दो सालके बाद दूसरी प्रसूति हुअी। तब भी सास-का वर्ताव पहलेके जैसा ही रहा। डाही अिससे अूब गयी। अुसे लगा कि अिससे तो आत्महत्या करके जीवनका ख़ात्मा कर देना ही अच्छा है।"

डाहीका पति यह सब देखता था। अुसे भी अिससे बहुत कष्ट होता था। डाहीके प्रति उसकी हमदर्दी और प्रेम था। अिसी-लिअे डाही आत्महत्याके विचारोंको अमलमें न ला पाती थी। लेकिन वह बेचरा क्या करे? अुसकी माँका स्वभाव ही अैसा था कि अुसके सामने अुसकी कुछ भी न चलती थी। माँसे अलग घर बसाने या माँको अलग करनेकी बात अुसे भयावनी मालूम होती थी। अिसी कारण बेचारा सबकुछ चुपचाप सह लेता था और डाहीको तो सहना ही पड़ता था।

आख़िर डाही बहुत परेशान हो गयी, और कुछ दिलासा पाने के ख़ातिर नज़दीक के गाँवमें अपने भाअीके यहाँ कुछ दिन रहकर रोज़के कलहसे थोड़ा छुटकारा पानेका उसने सोचा। उसके पतिकी भी यही सलाह थी।

अेक रोज़ सुबह दोनों बच्चोंको लेकर डाही अपने भाअीके घर जानेके लिअे चल पड़ी। भाअीके गाँवके बाहर ही भाअीसे भेंट हुअी। भाअीने पूछा, "बहन, अचानक आज यहाँ कैसे आअी?"

डाही रोने लगी और अपना दुःख हलका करते हुअे बोली, "मैं चार-छः दिनके लिअे तुम्हारे यहाँ रहने आअी हूँ।" भाअीकी यद्यपि सहानुभूति थी; लेकिन सास और पतिसे बिना पूछे मायके आना अुसे ठीक न लगा। अुसने पूछा, "तेरी सासने अिजाज़त दी है?"

डाही कहने लगी, "अुन्हें कैसे पूछने जाअूँ? वह कभी

अिजाज़त नहीं देंगी।"

"तेरे पति क्या कहते हैं?"

"वह बेचारे माँके सामने क्या कह सकते हैं! लेकिन अुनकी अिजाज़त है, अैसा मान लो।"

अपने पतिको विषम स्थितिमें न डालनेके लिअे ही अुसने यह बात छिपाअी कि वह पतिकी सलाह से ही आयी है। डाही चुप रही। आगे अेक शब्द भी न बोली। यह देख भाअीने कहा, "अपने घर फ़ौरन् लौट जा। अपना घर छोड़कर मायके आना अच्छा नहीं है। मैं आजकलमें ही तेरे पतिसे और साससे मिलूँगा और तुझे फिर बुला लूँगा।" अितना कहकर भाअीने अपना रास्ता पकड़ा और डाही अपने गांव लौट चली।

: ४ :

पर लौटते समय डाहीके मनमें तरह-तरहके विचार अुठने लगे। अुसे अपना भविष्य अंधकारमय मालूम होने लगा। पतिके प्रति प्रेम होते हुअे भी अेक प्रकारसे डाहीके मनमें अुसके प्रति तिरस्कार भी था और वह अुसपर कुछ गुस्सा भी थी। मर्द होते हुअे भी ज़ालिम सासके पंजेसे वह अुसे बचा नहीं सकता! माँके प्रति अुसकी स्वाभाविक भावनाका बेचारी डाहीको क्या पता था? अुसको भी डाहीके जैसा ही दुःख होता था; लेकिन अपने दुःखके आवेगमें डाही अुसका दुःख न देख सकी।

"आज यदि मेरी माँ ज़िन्दा होती तो क्या मुझे अिस तरह वापस लौटा देती? अुलटे मुझे अपनी छातीसे लगाकर तसल्ली देती, मेरे साथ रोकर मेरे दिलका बोझ हलका करती! अैसा न करके भाअीने तो मुझको गाँवके बाहरसे ही लौटा दिया! संसारमें अब मेरा कौन है? न पति मेरा सगा है, न भाअी।"

अमनरहके विचारोंका तूफान अुसके दिमागमें अुठता रहा और वह अपने घरकी ओर बढ़ती गई।

जीवनको खत्म कर देनेका ख़याल अेक-अेक क़दमपर दृढ़ होने लगा। आख़िर अुसने निश्चय कर लिया।

रास्तेमें पास ही अुसे अेक कुआँ दिखायी दिया। अुसमें कूदकर अपने दुःखका अन्त करनेके अिरादेसे बच्चोंको अेक ओर छोड़कर वह अुधर चली, लेकिन अेकदम कूद न सकी।

कुअेंकी जगतपर जाते ही ख़याल आया, "मेरा तो छुटकारा होगा, मगर मेरे अिन मासूम बच्चोंका क्या होगा? अुन्हें कौन संभालेगा? अुन्हें कौन प्यार करेगा? तो अुन्हें भी अपने साथ ही क्यों न ले चलूँ? जो मेरा होगा, सो अिनका भी होगा।"

यह विचार आते ही कुअेंकी जगतसे वह लौट आयी। बच्चे पास ही थे। अुनके पास गअी, अुनको गोदमें लिया, प्यार किया और अपनी ओढ़नीसे दोनों बच्चोंको अपनी पीठपर बाँधकर वह कुअेंमें कूद पड़ी। अुसने अपनी दृष्टिसे निर्वाणका रास्ता ढूंढ़ा; लेकिन अीश्वरकी अिच्छासे वह जीवित रही। कुअेंमें कूदते ही अुसकी ओढ़नी छूट गयी और दोनों बच्चे डूब गये। डाही बहुत दुखी हुअी और घबड़ा गयी। अुसने चिल्लाना शुरू किया, "कोअी मेरे बच्चोंको निकालो!" अुसकी आँखोंके सामने ही अुसके बच्चे मर जायँ, यह वह किस तरह देख सकती थी? चिल्लाहट सुनकर पासके खेतसे लोग दौड़कर आये। किसी तरह डाहीको जीवित, लेकिन मूर्च्छित अवस्थामें बाहर निकाला। लेकिन बच्चे मरे हुअे निकले।

अिस करुण घटनाके बाद क़ानूनकी खानापूरी हुअी और वह जेलमें आअी।

: ५ :

मुझे यक़ीन था कि कोअी भी न्यायाधीश बच्चोंकी करुण मौतको जानबूझकर किया हुआ खून नहीं मानेगा और आत्म-हत्याकी कोशिशके लिअे भी डाहीकी तरफ़ बहुत कठोर दृष्टिसे नहीं देखेगा। आम तौरपर लोगोंमें अेक अैसा विचार प्रचलित है कि जाने या अनजाने अपने हाथोंसे या कार्यसे किसीकी मौत हो जाय तो वह खूनका ही मामला गिना जाता है और खूनका बदला फाँसी है।

मैंने डाहीको सलाह दी कि अिस मामलेमें तेरे बचावके लिअे ख़ास कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तेरे पतिको भी पैसे बरबाद करके वकील करनेकी दरकार नहीं है। तुझे तो अदालतके सामने अपनी सच्ची कहानी शुरूसे अन्ततक कह देनी चाहिये और अपना दुःख अदालतके सामने प्रकट करना चाहिये। देखना सिर्फ़ यही है कि तेरा पति अपनी माँके प्रभावमें आकर या लोक-पवादके झूठे डरके कारण अपनी माँके बारेमें सच्ची बात छिपाये नहीं। सब बात साफ़-साफ़ अदालतमें कह दे।

यह सलाह सुनकर जेलकी बहनोंने मुझसे पूछा—"क्यों दादा-साहब, यह सब हाल वह कह दे तो दो बच्चोंकी मौतके होते हुअे भी अुसे फाँसीकी सजा नहीं होगी? और सजा कितनी होगी?"

मैंने कहा, "फाँसी क्यों होगी? अपने बच्चोंकी हत्या करनेका किसी माँका कभी अिरादा हो सकता है? डाहीको कड़ी सजा देना तो जलेपर नमक छिड़कने जैसा होगा। यह कौन कह सकता है कि सजा कितनी होगी? वह तो न्यायाधीशपर निर्भर है। लेकिन मेरा ख़याल है कि कम-से-कम छह महीनेकी और ज्यादा-से-ज्यादा अेक सालकी।"

अिससे सबको शान्ति मिली और डाहीने भी यह सलाह ख़ुशीसे मंजूर की।

अुसके पतिको भी शाबाशी देनी चाहिये। अुसने अदालतमें सच्ची बात कह दी। डाहीके दुःखका वर्णन अुसने रोते-रोते किया।

न्यायाधीश भी तो आखिर आदमी ही होते हैं। अुनका दिल पसीजा और डाहीका बयान सुनकर अुसको अुन्होंने दोषी तो माना; लेकिन सजा नहींके बराबर, सिर्फ़ छह महीनेकी, सादी क़ैदकी, दी।

मैंने तो अंदाज़से छह माह कहे थे। डाही और जेलकी दूसरी बहनोंको भी लगा कि मैं तो भविष्यवाणी करनेवाला ज्योतिषी हूँ।

सज़ा पाकर डाही जेलमें आयी; लेकिन अुसको तो सादी सज़ा दी गयी थी, अिसलिअे अुसे न तो जेलके कपड़े मिले, न सज़ा मेंसे कुछ माफ़ी ही। अिसीलिअे जेलवालोंने अुसके लिअे कपड़े और काम माँग लिया। बादमें अुसको क़रीब अेक महीनेकी माफ़ी भी मिली। अिससे अुसे सिर्फ़ पाँच ही महीने की सज़ा भुगतनी पड़ी।

: ४ :

क्रोधी लेकिन प्रेमी पति

जेलके दवाख़ानेमें मैं बीमारोंसे मिलने जाया करता था। वहाँ ॲक रोज़ धोलकाकी तरफ़का कोॲी पच्चीस सालकी ॲुम्रका ॲक नौजवान किसान मिला। ॲुसपर अपनी पत्नीके ख़ूनका अिल्ज़ाम था। उसने मुझे अपनी बात बताॲी ॲौर सलाह भी माँगी।

यह सच था कि ॲुसके हाथों ॲुसकी पत्नीकी मौत हुॲी थी। मगर पत्नीको मारनेका ॲुसका अिरादा बिल्कुल नहीं था। पति-पत्नीके बीच बहुत प्रेम था ॲौर दोनों ॲक-दूसरेको ख़ूब चाहते थे। किन्तु मैं मानता हूँ कि यह भाॲी जितना प्रेमी था ॲुतना ही क्रोधी भी था। प्रेम ॲौर क्रोध ॲक ही वृत्तिके दो पहलू हैं। जैसा अतिशय प्रेम, वैसा ही अतिशय क्रोध। जिस वक्त जो तार छिड़ जाय, आदमी ॲुसीका हो जाता है।

ये भाॲी खेतमें कामके लिॲ गये थे। पत्नी रोज़ ॲुसके लिॲ रोटी ले जाती थी। ॲक रोज़ ॲुसे आनेमें कुछ देर हुॲी या रोटी कुछ ठीक-ठाक न बनी होगी. यह देखकर वह यकायक बिगड़ पड़ा, या तेज भूख लगनेके कारण भी ॲुनका असर ॲुसके दिमागपर हुआ हो।

हाथमें आरवाली लकड़ी थी। वही पत्नीकी ॲोर फेंककर बोला—"अितनी देरी क्यों हुॲी? क्या करती रही थी?" बद-क़िस्मतीसे लकड़ी अकस्मात् स्त्रीके ठीक सिरपर लगी ॲौर वह

चक्कर खाकर बेहोश हो गअी और ज़मीनपर गिर पड़ी। यह देखते ही अुसे बहुत चोट लगी, पछतावा हुआ और दुःख हुआ। लेकिन होनी थी सो हो चुकी थी। अब क्या किया जाय ?

कुछ देर—दो-चार मिनट अुसने औरतको होशमें लानेके लिअे अुसके सिरपर पानी वगैरा छिड़का। अुसका सिर गोदमें लेकर बैठा, रोने लगा, मगर उसकी हालत न सुधरी। अिससे वह सोचमें पड़ गया। फिर अकेले ही बैल जोतकर पत्नीको अुठाकर गाड़ीमें रखा और धोलकाकी ओर चल दिया, अिस आशासे कि वहाँ पहुँचनेपर कुछ इलाज वगैरा किया जाय।

यह घटना चूंकि खेतमें हुअी थी, अिसलिअे वहाँ देखनेवाला तो कोअी था ही नहीं।

स्त्री रास्तेमें ही मर गअी। फिर भी आस लगाये वह अुसे धोलकातक ले आया। पुलिसवालोंको मालूम होते ही अुसे गिरफ्तार किया गया और अुसपर खूनका मुक़दमा दायर कर दिया गया।

अब सवाल यह था कि वह अपने हाथों जो कुछ हुआ अुसे मंजूर करे या प्रत्यक्ष सबूत न होनेका लाभ लेकर घटनासे अिन्कार कर दे और कह दे कि 'मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मेरी गैरहाजिरीमें ही किसीने अुसे मारा है। मैं अुसे अस्पताल ले जा रहा था कि रास्तेमें ही मर गअी। मारनेवाले कौन लोग हैं, अिसका मुझे पता नहीं', और छूटनेकी कोशिश करे। अिस मुक़दमेमें प्रत्यक्ष या दूसरे किसी सबूतके अभावमें अुसका छूट जाना भी संभव था।

अपराध स्वीकार करनेसे सजा निश्चित थी, जब कि अिन्कार कर देनेसे छूटनेकी ज्यादा संभावना थी। अुसे सलाह

देनेवालों तथा अुसके रिश्तेदारोंकी अिच्छा यह थी कि वह अिन्कार करे और दृढ़ताके साथ यही कहे कि वह कुछ नहीं जानता।

मैं सोच में पड़ गया। मुझे अिसमें ज़रा भी संदेह नहीं था कि अुसे सच ही कहना चाहिये। लेकिन वह सज़ाकी जोखिम अुठानेको तैयार होगा या नहीं, अिसमें मुझे ज़रूर संदेह था। सब परिस्थितियोंपर विचार करके मैंने अुसे सलाह दी कि तुमको सच बोलकर अपराध स्वीकार करना चाहिये। अिसीमें तुम्हारा भला है। अपनी पत्नी के प्रति अुसका प्रेम और मौतकी सज़ाका डर, अिन दो भावोंका सहारा लेकर मैंने अुसे समझानेकी कोशिश की। कहा, "भाअी, मान लो कि तुमने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। तो तुम्हारी पत्नीको किसने मारा? किन कारणों-से मारा? अिस संबंधमें कुछ बता सकोगे?"

अुसने कहा, "जी नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकूँगा!"

मैंने पूछा, "तुम्हारा किसीपर संदेह है, अैसा अगर पूछा गया तो तुम किसीका नाम बता सकोगे?"

"जी नहीं।"

"तुम्हारी किसीके साथ दुश्मनी थी, जिसके कारण तुमसे बदला लेनेके लिअे अुसने तुम्हारी पत्नीको मारा?"

"नहीं।"

"तब तुम्हारी पत्नीकी मौत किस तरह हुअी, अिसका कुछ तो खुलासा होना ही चाहिये न? यह सच है कि आरवाली लकड़ी मारते वक्त किसीने भी तुम्हें नहीं देखा। लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी, दो ही जहाँ थे, वहाँ पत्नीकी मौत किस तरह हुअी, अिसकी कुछ तो सफ़ाअी होनी चाहिये? वह सफ़ाअी संतोषप्रद न हो तो यही अनमान लगाया जायगा कि तुम्हींने कुछ किया होगा, जिससे

अुनकी मौत हुअी। सिरपर चोट लगी तो अुसे लगानेवाला कोअी तो होगा ही और वह तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है ? अगर अनुमानसे यही परिणाम निकाला गया तो यह सिद्ध होगा कि तुमने अिरादतन् खून किया और अिसकी सज़ा फाँसी ही है।"

मेरी दलील वह ध्यानसे सुन रहा था। अिसमें अुसे कुछ तथ्य मालूम हुआ। मैंने कहा, "भाअी, तुम्हारा पत्नीपर प्रेम था—वह भी तुमसे मुहब्बत करती थी। तुम्हारे हाथों वह अकस्मात् मर गयी और वह अिस संसारमें अब नहीं है, अिसलिअे अुसके प्रति बेवफ़ा होकर अपना दोष क़बूल न करके, पापके प्रायश्चित्तके बदले अीश्वर और अपनी पत्नीका गुनहगार बनना चाहते हो क्या ?"

नौजवान किसान सुन रहा था। अुसके चेहरेसे मालूम होता था कि अिस बातका कुछ-कुछ असर अुसपर हो रहा है। मैं कुछ देर चुप रहा। कोअी पाँच मिनट बाद निश्चयकी मुद्रामें अुसने कहा—

"दादासाहब, मैंने निश्चय कर लिया है।"

"क्या ?"

"यही कि जो कुछ हुआ वह सच-सच बता दूँ और पत्नीसे माफ़ी माँगकर अीश्वरपर श्रद्धा रखूँ।"

मैंने अुसे प्रोत्साहन दिया और कहा—"अिस निश्चयपर अडिग रहनेके लिअे अीश्वर तुम्हें बुद्धि और बल दें।" साथ ही मैंने यह चेतावनी भी दी कि अब तुम्हें अपने बचावके लिअे कोअी वकील या किसी औरको करनेकी ज़रूरत नहीं है,। फ़िज़ूल खर्च मत करो।

यह बात भी अुसने मान ली।

मुक़दमा लंबा थोड़े ही चलने वाला था। थोड़ेमें ही ख़त्म हुआ और अुसे चार सालकी सज़ा हुई। अदालतसे सज़ा पानेके बाद वह मुझसे मिलने आया। अुसे दो प्रकारसे संतोष था। अेक तो सज़ा कम हुअी अिसका और दूसरा यह कि अुसने सच कहा।

मैंने अुसे तीसरा पहलू बताया. "भाअी, यह संतोष तो ठीक है। लेकिन गुस्सेमें आकर निर्दोष पत्नीके साथ जो अन्याय किया अुसके प्रायश्चित्तके रूपमें यह सज़ा है, अैसा मानकर तुम अपनी पत्नीके साथ प्रेम और वफ़ादारी प्रकट कर रहे हो, अैसा नहीं मानोगे?"

वह मुस्करा दिया।

मैंने पूछा, "आगे अब कोअी अपील वग़ैरा करनी है?"

पलभर वह ख़ामोश रहा। फिर बोला, "ना जी, बेचारी स्त्री जान से गअी, तब प्रायश्चित्तके लिअे चार साल जेलमें बिताना मेरे लिअे कोअी बड़ी बात नहीं है।"

मानो जीवनका गहरा तत्वज्ञान अुसने समझ लिया हो, अैसा परम संतोष अुसके चेहरेपर झलक रहा था।

मृत्युपर विजय
(दूसरा खंड)

: ५ :

महमद मूसा

"महमद, तुम सच्ची बात नहीं बता रहे हो। क्या मुझपर भरोसा नहीं है? तुम्हें अपने बस भर मदद करनेके लिअे ही मैं यहाँ आता हूँ। सारी बात तुम सच-सच बताओ।" आँखोंमें आँसू भरकर फाँसीकी कोठरीमें सीखचोंके पीछे बैठे हुअे महमदसे मैंने गद्गद होकर कहा। मेरा यह कथन सुनकर अुसके पहरेदार भी ज़रा नरम पड़े और अुनमेंसे अेकने महमदसे कहा, "महमद, तुम दादाको पहचानते नहीं। अिनसे जितनी हो सकेगी तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे और फाँसीसे बचायेंगे। तुम अपने दिलमें किसी तरहका भी शक-शुबा न करो।"

महमद सिसकियाँ भरकर रोने लगा।

जेलमें तमाम क़ैदियोंके संपर्कमें आने और अुनकी यथा-शक्ति सेवा करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। किसीकी सज़ाके खिलाफ़ अपील, तो किसीकी रिहाअीकी अर्ज़ी, किसीके लिअे दवा-दारूका प्रबन्ध, आदि अनेक प्रकारके सेवाके क्षेत्र मुझे मिलते रहते थे। अिनमें, फाँसीकी सजा पाये हुअे क़ैदियोंसे मिलना, अुनकी ओरसे अपील या रहमकी अर्जियाँ तैयार करना और जिन्हें मौतकी सज़ा पक्की हो गअी, अुनको फाँसी होने वाले दिनतक हररोज़ मिलकर तसल्ली देना, यह सबसे महत्त्वका काम था। अैसे क़ैदियोंसे मिलनेमें रोज़ मेरा अेकसे डेढ़ घंटा बीतता था। अिन लोगोंके सहवाससे मुझे बहुत-कुछ जानकारी

मिली और फाँसीकी सज़ा पाये हुअे क़ैदियोंके मनकी क्या हालत होती है अिसका भी कुछ अध्ययन मैं कर सका। फाँसी पानेवाले क़ैदियोंसे मिलनेके लिअे मैं बहुत अुत्सुक था। अैसा मौक़ा मुझे साबरमती जेलमें मिला। -

अिसकी कुछ पूर्वभूमिका भी कह दूं। सन् १९४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रहके समय मुझे यरवडा भेज दिया गया था। जेलमें स्व० श्री सरदार पटेल, स्व० भूलाभाअी देसाअी, श्री बालासाहब खेर, श्री मोरारजीभाअी, श्री मंगलदास पकवासा आदि आठ लोग साथ थे। हमारे वार्डके सामने ही रास्ता छोड़कर फाँसी देनेकी जगह थी। बीचमें अूँची-अूँची दीवारें होनेके कारण कुछ भी दिखाअी नहीं देता था; किन्तु हमारे यार्डसे ज़रा दूरीपर फाँसीकी सज़ा पाये हुअे क़ैदी रखे जाते थे। अेक बार रातमें जब मेरी नींद खुली तो ज़ोर-ज़ोरसे 'रामनाम' की धुन सुनाअी दी। कौन होगा? जेलमें रातको किसी क़ैदीको चिल्लाने नहीं दिया जाता था, अिसलिअे मैं ज़रा विचारमें पड़ा। थोड़ी देर सोचनेके बाद खयाल आया कि कल सुबह किसीको फाँसी दी जानेवाली होगी। वही भाअी रामको याद कर रहे दीखते हैं। यह खयाल दिमागमें आते ही मेरी नींद अुड़ गयी। आदमी मरनेके लिअे कैसे तैयार होता होगा? अुसके अंतिम विचार क्या होते होंगे? अुसके मनमें कुछ घबराहट होती होगी, या अुसका दिल तैयार रहता होगा, आदि विचारोंका चक्र शुरू हुआ। हम फाँसीकी सज़ा क्यों रखें? किसी भी गुनाह में अेक जीवित आदमीको मार डालना कहाँतक मुनासिब है? फाँसीकी सज़ा बरसोंसे दी जाती आ रही है; लेकिन फिर भी खून आदिके अपराध क्या कम हुअे हैं? आदमी कअी कारणों

से अपराध करता है। अुसमें समाजका भी थोड़ा बहुत दोष है या नहीं? राज्य-व्यवस्थाका भी क्या कोअी दोष नहीं? अगर हो तो अुसको (मनुष्यको) फाँसी कैसे दी जाय? अुसे ज़िंदा रखकर सुधारनेकी कोशिश करना क्या बेहतर नहीं है? अिस तरहके अनेक विचार मेरे दिमागमें चक्कर काटने लगे। अुस रातको मैं सो न सका।

दूसरे दिन बड़े तड़के जेलके डाक्टर हमारे यार्डमें आकर कह गये, "आज हैंगिग (फाँसी) है, अिसलिअे मुझे यहाँ आनेमें देरी होगी।" रातको जो मैंने अनुमान किया था, वह सही साबित हुआ। हम कुछ देख न सकते थे; किन्तु मन और कान फाँसी पानेवालेकी तरफ लगे हुअे थे। फाँसीके लिअे पैदल जानेवाला आदमी कैसे चलता होगा? अुसके चेहरे पर क्या भाव होते होंगे? अुसके मनमें क्या मंथन चल रहा होगा? आदि बातें जाननेकी तीव्र अिच्छा हुई। हमारे यार्डमें बाहर जानेके दरवाज़ेपर सीढ़ी थी। अुसपर मैं चढ़ा और दीवारसे झाँककर देखा। फाँसी पाने वालेको लेकर आता हुआ जुलूस दिखाअी दिया। क़ैदीके दोनों हाथोंमें हथकड़ी पड़ी हुअी थी। अुसके दोनों तरफ़ और पीछे संगीन-धारी कोअी अेक दर्जन संतरी, सुपरिण्टेण्डेण्ट, मजिस्ट्रेट आदि थे। क़ैदी बेचारा बंधे हुअे हाथों 'नम:शिवाय, नम:शिवाय' बोलता हुआ तेजीसे चला जा रहा था, मानो मृत्युसे भेंटनेके लिअे वह अधीर हो अुठा है। अुसकी अुम्र क़रीब बाअीससे पच्चीस सालके बीचकी होगी। अुसे देखते ही मैं सिहर अुठा और यह चलता-फिरता पुतला अेक-दो मिनटके भीतर ही अिस दुनियाको छोड़कर चल बसेगा, अिस खयालसे मेरा दम-सा घुटने लगा। लेकिन मैं कर क्या सकता था? बहुत ही विह्वल और विकल

होकर मैं सीढ़ीसे नीचे अुतर आया। फाँसीकी जगह का दरवाजा खुलनेकी आवाज़ सुनी। दूसरी आवाज़ 'खट-खट' की आअी। वह फाँसीके तख्तेकी सीढ़ियोंपर चढ़ा। अेकाध मिनट ख़ामोशी रही और अुसके बाद ज़ोरके खटकेकी आवाज सुनाअी दी। फाँसी दे दी गयी। क़ैदीके गलेकी डोरी सख्त हुअी। वह लटक गया। यह सारा दृश्य प्रत्यक्ष आँखोंसे नहीं, बल्कि कल्पनाकी आँखोंसे मैं देख सकता था। अिस दृश्य और कल्पनासे मेरा मन बहुत शोक-मग्न हो गया। फिर भी फाँसीकी सज़ावालेको देखने, अुससे बातचीत करनेकी अुत्कंठा मनमें अधिक जागृत हुअी। अिसलिअे जब साबरमती जेलमें साधारण क़ैदियोंसे मिलनेकी मुझे अिजाज़त मिली तब फाँसीकी सजा पानेवालोंसे मिलनेकी मैंने खास तौरसे अपनी अिच्छा प्रकट की और अिजाज़त मिल गयी। साबरमती जेलमें मैं क़रीब अुन्नीस महीने तक रहा। अिस अरसेमें पाँच आदमियोंको फाँसी दी गअी और अुन पाँचोंमें से हर अेकके साथ मैं बहुत निकट परिचयमें आया था।

: २ :

महमद मूसा मेरे परिचयमें आनेवाले फाँसीके क़ैदियोंमें सबसे पहला आदमी था, जिसे फाँसीकी सज़ा मिली थी। अुससे मिलकर और अुसके मुक़दमेकी हक़ीक़त जान कर दयाकी अर्ज़ी वगैरा देनेका काम मैंने सुपरिन्टेण्डेण्टसे अपने हाथ में ले लिया। दो दिन तक अुसके पास बैठकर पूछताछ की, अुसके मुक़दमे के कागज़ात पढ़े; लेकिन अुसने दिल खोलकर बातें नहीं कीं और यही कहता रहा कि वह बिलकुल निर्दोष है, तभी मुझे अुपरोक्त शब्द अुससे कहने पड़े।

महमद खूब रोया। अुसे मरना होगा, अिस बातका अुसे

दु:ख तो था ही; पर मुझे अैसा भी लगा कि अुसे अिस बातका भी दु:ख था कि वह मेरे साथ सचाअीसे पेश नहीं आया। आखिर अुसने अपना अपराध मेरे सामने स्वीकार किया और सारी बातें मुझे बता दीं। बात वही निकली, जिसका मुझे अंदाज़ था।

जब महमद बालक ही था तभी अुसके पिता अिस दुनियासे चल बसे थे, और अुनकी माँ दूसरी शादी करके अपने नये खाविंदके साथ चली गअी थी। महमदकी परवरिश अुसके दादाने की। बढ़े इब्राहीम अभीतक ज़िंदा हैं और बहुत ही मुहब्बत और आदरके साथ कभी-कभी मुझसे मिलते रहते हैं।

महमदकी बीबीका चाल-चलन अच्छा नहीं था। अुसके तीन सालकी अेक छोटी लड़की थी। अेक दिन दोपहरको क़रीब बारह-साढ़े बारह बजे महमद खेतसे घर लौटा। अुसने अेक नौजवान आदमीको अपने घरसे बाहर आते हुअे देखा। फ़ौरन् अुसके मनमें शक हुआ और वह तुरंत मकानकी दूसरी मंजिलपर चढ़ गया, जहाँ रसोअीघरमें अुसकी बीबी बैठी थी। अुसने अुससे पूछताछ की; लेकिन बीबीने साफ़ अिन्कार कर दिया। अितना ही नहीं, अुल्टे बुरे शब्दोंमें महमदको वहमका शिकार हो जानेके लिअे कोसना शुरू किया। महमद आपेसे बाहर हुआ। तरकारी काटनेकी छुरी वहीं पड़ी थी। अुसे अुठाकर बीबीपर वार किया। वह लहू-लुहान होकर ज़मीनपर गिर पड़ी और तुरंत मर गयी। अिस घटनाको प्रत्यक्ष देखनेवाला कोअी नहीं था। सामनेके घरके किसीने अुस स्त्रीकी चिल्लाहट सुनी और जो कुछ थोड़ा-बहुत देखा, अुतना ही सबूत था। किन्तु खून करनेके बाद महमद गाँवके चौकीदारके पास गया और अपने कियेको मंजूर कर लिया। आज भी मेरा विश्वास है कि अदालतमें मुक़दमा पेश

मिले तो भी मौत निश्चित होनेके बाद अब झूठ बोलना क्यों जारी रखा जाय? सच बोलकर मरना स्वर्गमें जानेका रास्ता है। अपराध करना और फिर झूठ बोलना, यह जहन्नुमका रास्ता है।

अिसी प्रकारकी दलीलें मैं अुससे करता था। तीसरे दिन यह दलील अुसको जँची और खूनको साफ़ शब्दोंमें कबूल करके दयाकी याचना करनेवाली अर्ज़ीका मैंने मसविदा बनाया। अिसका भी खुलासा किया कि अदालतमें झूठका आश्रय क्यों लिया और जो हक़ीक़त अिस दयाकी अर्ज़ीमें लिख रहा हूँ, वह बादमें गढ़ी हुअी बात नहीं है; बल्कि सत्य है, अिसके प्रमाण-स्वरूप खूनके फ़ौरन बाद ही चौकीदारके सामने जो बयान दिया गया था, अुसे देखनेकी प्रार्थना भी की। अन्तमें अर्जीमें यह भी सूचित किया कि अुत्तेजित होकर औरतको मारनेमें मैंने अपराध ज़रूर किया है। मौतसे बचनेके लिअे मैं यह अिक़रार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि किये हुअे पापके प्रायश्चित्तके तौरपर यह क़बूल कर रहा हूँ। मौतकी सज़ा कायम रही तो भी मुझपर अन्याय नहीं हुआ है, पूरा न्याय ही हुआ है, अैसा समझकर अपनी बीबीसे माफ़ी चाहता हुआ मैं फाँसीके तख्तेपर चढ़ूँगा।

अपराध स्वीकार करके दया माँगना, यही सत्यका रास्ता था। अितना ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रास्ता भी वही था। हमारा नित्यका अनुभव भी यही है कि पूरी बातको पूरी तरह क़बूल करके अगर कोअी माफ़ी चाहे तो हम माफ़ी देनेसे अिन्कार नहीं कर सकते। यह भी हरेकका अनुभव है कि झूठ बोलकर कोअी अपना बचाव करे तो अुल्टा गुस्सा बढ़ता है और अपराधके लिअे न्यायसे भी अधिक कड़ी सज़ा होती है। वकालतका मेरा अनुभव भी अैसा ही है।

लेकिन महमदकी अर्ज़ीका मसविदा बनाते समय मुझे अेक प्रकारका संकोच और डर-सा मालूम होता था। अुसके क़ानूनी सलाहकारोंने अुसे जो सलाह दी थी, मेरी सलाह अुससे बिलकुल अुल्टी थी; लेकिन मेरी सलाहकी जड़में मेरी जो दलील थी वह मज़बूत थी। क़ानूनी रास्तेसे जो होना था सो हो चुका था। अब सरकारके दिलको (यदि सरकार नामक संस्थाके पास मनुष्य का दिल हो तो) दर्द-भरी अपील करना ही अेक रास्ता बचा था। अिसमें मुझे कोअी संदेह नहीं था कि झूठ बोलनेसे फाँसीकी सज़ा क़ायम रहेगी ही। सच बोलनेसे फाँसीकी सज़ा घटनेकी कुछ संभावना थी। फिर भी मुझे संकोच अिसीलिअे हो रहा था कि सत्यके अनुसार चलनेकी मेरी नैतिक और व्यावहारिक सलाह महमदको जँच तो गअी थी, तो भी यह संभव था कि फाँसी के तख्तेपर चढ़ते-चढ़ते भी अुसको यह विचार आजाय कि अपने अिक़रारके कारण ही मैं फाँसीपर चढ़ रहा हूँ, और मुझसे यह अिक़रार दादाने ही कराया था। अुसके दिलमें अैसा ख़याल आना ही मेरे दिलको दुःखी करनेके लिअे काफ़ी होता। लेकिन अिस तरहके ख़यालोंके धर्मसंकटसे अीश्वरने मुझे बचा लिया। दयाकी अर्ज़ी भेजनेकी मियादके ठेठ आख़िरी दिन बम्बअीके अुसके वकीलका जेलके सुपरिण्टेण्डेण्टके नाम ख़त आया। साथमें दयाकी अर्ज़ीका मसविदा था। पत्रमें सुपरिण्टेंडेंटको यह लिखा था कि 'आप स्वयं जाकर महमदको अिस अर्ज़ीका मतलब समझा दें। अपराधको स्वीकार करके दयाकी याचना की है।' महमदको जब यह बताया गया तो अुसने मुझसे कहा कि मेरा तो अब वकीलों-पर विश्वास ही नहीं रहा है। अुनकी सलाहसे मैं झूठ बोला, और अुसके फलस्वरूप मौतकी सज़ा पाअी। अब मौतके दरवाज़ेपर

मैं अुनकी कुछ भी सुनना नहीं चाहता। खुदाको याद करके मैं सचाईकी राहको ही पकड़ा रहूँगा। आपने जो सच्ची सलाह दी है अुसीके मुताबिक मुझे अपनी अर्ज़ी भेजनी है।

अर्ज़ी भेजनेके बाद आख़िरी फ़ैसला होनेमें क़रीब अेक महीना लगा। अिस बीच हर रोज़ शामको क़रीब अेक घंटा मैं महमदके पास बिताता था। कअी तरहकी बातें होती थीं। मौतके बाद अुसकी जायदाद व शवकी व्यवस्था किस तरह की जाय, अिसकी भी सचनायें अुसने मुझे दीं। मैंने अुससे कहा, "आदमी की यह काया हमेशा रहनेवाली नहीं है। लेकिन महमद, तुम अेक तरहसे बड़े खुशकिस्मत हो। मौतका वक्त और दिन तुमको पहलेसे मालूम हो जायगा। अिसलिअे अपनी आख़िरी घड़ी तुम ख़ुदाको याद कर सकोगे और अिस तरह खुद पाक बनकर ख़ुदाके दरबारमें जानेकी तैयारी करनेका तुम्हें वक्त मिलेगा। हम जैसोंकी हालत तो बहुत ही बेढंगी है। स्टेशनपर पहुँच गअे हैं, लेकिन अिसका कोअी पता नहीं कि सफ़र कितना लम्बा है और साथमें बिस्तर या पानीका लोटा भी नहीं है। यकायक ट्रेन आकर खड़ी हो जाय और हुक्म हो जाय कि बैठ जाओ तो बिना किसी तैयारीके बैठना पड़े। रिश्तेदारोंकी पूछ-ताछ करने या अुनसे बिदा होनेका वक्त भी नहीं मिलता और ट्रेन छूट जाती है। लेकिन तुम्हें अिन सब चीज़ोंके लिअे क़ाफ़ी वक्त मिल रहा है।"

अिस तरहकी दलीलोंसे अुसको संतोष होता था; लेकिन मुझे बहुत परेशानी होती थी। मुझे अैसा महसूस होता था कि सब 'परोपदेशे पांडित्यम्' हैं। यदि मुझे अैसी सज़ा हुअी तो क्या मैं चित्तको शांत रख सकूँगा? अीश्वरकी प्रार्थना करने जितनी क्षमता भी क्या मेरे मनमें रह सकेगी? अंदरकी आवाज़

अिन्कार कर रही थी। अिस कारण मनमें यह ख़याल होता था कि जिस बातको मैं अमलमें ला नहीं सकता, अुसका दूसरोंको अुपदेश करनेका मुझे क्या अधिकार है? मेरे अुपदेशोंसे भले ही महमद थोड़ा ख़ुश हो जाता हो या अुसे ज़रा तसल्ली मिलती हो, लेकिन क्या यह मेरा भारी दंभ नहीं है? सत्यकी दृष्टिसे मेरे कार्यकी क्या क़ीमत आँकी जा सकती है?

अिस प्रकारके विचार मुझे अपनी कोठरीमें लौटनेपर आते रहते, और अेक दिन तो मैं अितना अकुला गया कि मैंने निश्चय किया कि महमदके पास जाकर दंभ भरे अुपदेश देनेकी अपेक्षा वहाँ न जाना ही ठीक है।

दूसरे दिन मैं महमदके पास नहीं गया। अिससे वह बहुत दुःखी हुआ और अुसकी ओरसे संदेसे आने लगे, "दादा क्यों नहीं आते? क्या अुनकी तबीअत खराब है? मुझसे नाराज़ तो नहीं हुअे। मुझसे कोअी क़सूर हुआ? अुन्हें कहें कि थोड़े समयके लिअे ही महमदसे ज़रूर मिल लें।" अपने दिलकी अुलझन संदेसा लानेवालोंको मैं क्या बताअूँ? और वे समझते भी क्या? दो दिन मैं नहीं गया। लेकिन महमदके हृदयकी व्यथा देखकर मुझे दूसरी प्रकारकी परेशानी हुअी। मैं भी कैसा निर्दयी हूँ! अिस आशंकासे कि मैं अपने आचरणमें दंभकी छाया देख रहा हूँ, अुससे मिलने नहीं जाता, यह क्या ठीक है? पर मैं क्या करूँ? जाअूँ या नहीं? मेरी मनोव्यथा और बढ़ गअी। यह भी अनुभव हुआ कि 'किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः' (क्या करना चाहिअे और क्या नहीं, यह बड़े-बड़े लोग भी तय नहीं कर पाते)। भगवानका यह कथन कितना सही है!

दो-तीन दिनकी मेरी अुलझन और गैरहाज़िरीके दरम्यान

महमदकी ओरसे तो संदेसे आते ही रहे। अन्तमें मुझे अेक रास्ता सूझा। मेरा यह दावा नहीं है कि यह अिलाज बिलकुल ठीक था, लकिन अुससे मैं अपने मनको संतोष कर सका। मैंने तय किया कि महमदके पास जाकर अपनी कमज़ोरी मंजूर कर दूँ। मैं उसके पास गया और साफ़ तौरसे उससे कहा "महमद, जो नसीहत मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह सही होते हुए भी मुझे अैसा लगता है कि मैं खुद अुसपर अमल कर नहीं सकता। अिसलिअे तुम्हारे पास अिस तरहके फिलसफेकी बड़ी-बड़ी बातें करनेका मुझे कोअी हक़ नहीं है। अितना ही नहीं, अुस तरहकी बातें करना भी मुनासिब नहीं है, अिसी वजहसे मैं नहीं आ रहा था। आज तय किया कि अपनी कमजोरी साफ़ शब्दोंमें तुम्हें बता दूँ, ताकि तुम्हारे दिलमें मेरे बारेमें किसी तरह की गलतफ़हमी न रहे और अुसके बाद ही मैं ये नसीहतकी बातें तुम्हारे साथ किया करूँ।" महमदकी आँखें भर आअीं। वह बोला, "दादासाहब, आप भले ही अपने बारेमें अिस तरहका ख़याल करें; लेकिन मुझे तो पक्का भरोसा है कि अगर आपके सामने भी अिस तरहका मौक़ा आ जाय तो आप भी अुसी तरह पेश आयँगे, जैसी कि आपने मुझे नसीहत दी है। मेरे लिअे तो आपके बारेमें अितनी इज्ज़त काफ़ी है। आप अपने मनमें और कोअी ख़याल न रखें! रोज़ यहाँ आया करें। आपके आनेसे मेरे मनको ढाढ़स मिलता है और जी ख़ुश रहता है।"

अिसके बाद मैं रोज़ नियमित रूपसे महमदके पास जाने लगा। हमारे जेलर मि० जोसेफ मुझे जब-जब महमदकी तरफ़ जाते देखते, तब-तब हँसकर कहते, "Mr. Mavalankar on his mercy mission" (श्री मावलंकर अपने दयाके

मिशनपर निकले हैं !)

महमदके पास जाता तो अनेक प्रकारकी चर्चाअें होतीं, जैसे—अुसकी अपने दादाके साथ हुअी मुलाकातें, अुसकी मृत्युके बाद अुसकी लड़कीकी व्यवस्थाके बारेमें लिखा-पढ़ी, अुसके शवको भड़ोंचके पासके अुसके गाँवमें ही दफ़नानेकी व्यवस्था, फाँसी दिये जानेके बाद अुसके शवको नीचे अुतारनेमें किन-किनकी मदद ली जाय, किसके हाथों नीचे अुतारा जाय, आदि बहुतसे विषयोंकी बातें होतीं, दुनियादारीकी बातें होतीं, नरदेहका साफल्य किसमें है, मौत यानी क्या, मौतके बादकी स्थिति, वगैरा तत्त्वज्ञानकी और बातें भी हमने कीं।

जैसे-जैसे फाँसीका दिन नज़दीक आने लगा, महमद अिस नाशवान दुनियाका त्याग करनेके लिअे अधिकाधिक तैयार होने लगा। अुसकी अनासक्ति खूब बढ़ गयी। मैंने देखा कि देह-संबंधी अुसकी अनास्था संपूर्ण हो गयी थी, मानो गीताके तत्वज्ञान का अुसे साक्षात्कार हुआ हो। मेरे मनमें अुसके प्रति ममताके साथ-साथ आदर भी पैदा हुआ।

मेरे जेल-निवासके दरमियान फाँसीपर चढ़नेवाले पाँच आमदियोंके साथ मेरा गहरा परिचय हुआ। अुस अनुभव परसे मुझे लगा कि पढ़े-लिखे कहे जानेवाले लोगोंकी अपेक्षा अनपढ़ व गँवार समझे जानेवाले लोग जीवन-मरणका तत्वज्ञान अपेक्षा-कृत बहुत कम समयमें समझ लेते हैं। यही नहीं, उसपर अमल भी करते हैं। हो सकता है कि अपनी मृत्युका भान तीव्रताके साथ होनेके कारण अुनकी दृष्टि आध्यात्मिक हो जाती हो और वे अेक प्रकारकी स्थितप्रज्ञता अपनेमें अुत्पन्न कर लेते हों। महमद क़रीब-क़रीब हर रोज़ मुझसे अेक बात कहा करता था,

'दादासाहब, मुझे फाँसी हो जानेके बाद मेरी रूह (आत्मा) के लिअे आप सब दुआ माँगियेगा।" मैं अुसे 'हाँ' कहता था और अिसके मुताबिक जिस दिन अुसे फाँसी दी गयी, अुस दिन जेलमें हम सब राजनैतिक कैदियोंने अुपवास किया था और सामूहिक प्रार्थना भी।

दयाकी अर्ज़ी देनेके बाद महमद और मैं, रोज़ आशा-निराशाके बीच झूल रहे थे। मेरी श्रद्धा न थी कि सरकारी तंत्रमें मानव-भावनाओंका ख़याल किया जायगा, फिर भी रुपयेमें चार आने भर यह अुम्मीद थी कि मुक़दमेके सारे कागजात देखनेवाला कोअी-न-कोअी माअीका लाल सेक्रेटेरियटमें मिल जायगा और फाँसीकी सज़ा कम करके अुसके बजाय क़ैदकी सज़ा कर दी जायगी; किन्तु वैसा न हुआ। दयाकी अर्ज़ी रद्द हुअी। अिस बातकी जानकारी जब अधिकारियोंने महमदको दी तबसे अुसने खाना छोड़ दिया, सिर्फ़ चाय, दूध वगैरा कुछ वह ले लेता था। रोटी-तरकारी लेना अुसने त्याग दिया।

दो दिनके अुसके अैसे अुपवासके बाद अुसके संतरियोंने मुझसे कहा, "दादासाहब, हम फाँसी पानेवाले क़ैदियोंपर पहरा देनेवाले और बंदूकोंके पहरेमें अुन्हें फाँसीके तख्तेपर ले जाकर अुन्हें वहाँ लटकता हुआ देखनेवाले लोगोंमेंसे हैं, फिर भी अुन क़ैदियोंके प्रति हमें हमदर्दी है। अिस तरहके दृश्य देखकर भी हमारे दिल निष्ठुर नहीं हुअे हैं। कुछ दिनोंके बाद महमद मरनेवाला है। फिर भी वह कुछ खाता नहीं है, अिससे हमें बड़ा दुःख होता है। अुसका अनशन आप तुड़वा सकें तो हमारे दिलको शांति मिलेगी।" सात्विक अनशनमें कितनी शक्ति होती है, अिसका सबूत यह छोटा-सा क़िस्सा देता है। मुझे भी

लगा कि महमद अपवास करनेके बजाय कुछ खाया करे तो अच्छा। असकी अपवासकी मीमांसाका मुझे पता नहीं था।

मैंने महमदके साथ अिस संबंधमें बातें कीं। पूछा, "महमद, क्या यह सच है कि तुम दो-तीन रोज़से कुछ खा नहीं रहे हो?"

महमदने कहा, "जी हाँ।"

मैंने फिर पूछा—"खाते क्यों नहीं? अेक-न-अेक दिन तो सबको मरना ही है। तुम तो मरनेके लिअे तैयार हुअे हो। फिर क्यों मौतका डर आजसे ही लगने लगा कि जिससे खाना भी अच्छा नहीं लगता। अिस तरह डरनेसे कैसे काम चलेगा? जो तक़दीरमें लिखा है, असके लिअे तो तैयार होना ही चाहिये न?"

महमद बोला, "दादा साहब, क्या आपका यह खयाल है कि मैं मौतके डरसे खाना नहीं खाता? लेकिन, वैसी कोअी बात नहीं है।"

"तो खाना बन्द करनेकी वजह क्या है?"

महमदने कहा, "देखिये, दो-चार दिनके अन्दर ही मेरा ख़ुदाके दरबारमें जाना तय है। वहाँ जानेके लिअे मुझे अपनी देह और मन बिलकुल साफ़ रखना चाहिये। ख़ुदाके दरबारमें किसी भी तरहका मैल नहीं चल सकता। अगर मैं खाना जारी रखूं तो क्या यह डर नहीं है कि फाँसीके वक्त गला रुँध जानेके सबब टट्टी-पेशाब निकल जाय और मेरी देह नापाक हो जाय? अिस तरह नापाक होकर मैं पाक ख़ुदाके दरबारमें पहुँचूँ, यह आपको ठीक लगता है?"

असकी यह मान्यता चाहे सच हो या झूठ, असकी दलीलमें मुझे सचाअी मालूम हुअी। मनको शुद्ध और शांत रखनेके लिअे

ख़ुराक भी कम ली जाय और जो ली जाय वह सात्विक हो, अिस बातसे भी अिन्कार नहीं किया जा सकता। अिसलिअे मैं अुसे अुपवाससे परावृत्त कैसे कर सकता था? अुसका रास्ता सही था। फिर भी दुनियादारीकी दृष्टिसे अुसकी सच्ची हालत लोगोंको कैसे समझायी जाय? वे तो यही माननेवाले थे कि मौतके डरसे अुसने खाना छोड़ दिया है और अूपरसे ढोंग करता है। अिसलिअे मैंने अुससे कहा, "तुम्हारी बात तो सही है। लेकिन वह अिन संतरी और दूसरोंकी समझमें आना कठिन है। तुम्हारे लिअे अिन लोगोंके दिलोंमें जो हमदर्दी है अुसमें कुछ कमी आवे, यह मैं नहीं चाहता। अिसलिअे मेरा अितना ही कहना है कि मैं तुम्हें डबलरोटीका अेक टुकड़ा दूंगा। तुम अुसे दूध, काफ़ी या चायके साथ ले लो। अुसके बाद अुपवासके बारेमें तुम्हारा जो ख़याल है, वह मैं अुन लोगोंको समझा दूँगा। तुम्हारे कुछ खानेके बाद ही वे लोग तुम्हारी बात समझ सकेंगे, वरना अुनके दिलमें यही शक बना रहेगा कि मौतके डरसे महमद कुछ नहीं खाता है।"

अिस प्रकार महमदने थोड़ा कुछ खाया और काफ़ी ली। सब ख़ुश हो गअे। बादमें मैंने अुन लोगोंको महमदका दृष्टिबिन्दु समझाया। अिससे महमदके प्रति अुन लोगोंकी अिज्ज़त और भी बढ़ गअी।

फाँसीके पहलेकी शामको मैं महमदसे मिला। वह हमारी आख़िरी मुलाक़ात थी। अिसकी याद हमेशा बनी रहेगी। महमदके दादा भी आये थे। शाम होनेपर मैं अपने यार्डकी ओर जानेके लिअे तैयार हुआ तो महमदने पूछा, "कल सुबह हमारी मुलाक़ात हो सकेगी?" बड़े दुःखके साथ मैंने अिन्कार किया और कहा, "कल तो बाहरके हाकिम भी आवेंगे। मेरा

यहाँ मौजूद रहना जेलके हाकिमोंके हक़में अच्छा नहीं होगा। फिर हम दोनोंको अेक-दूसरेसे विदा लेना बहुत ही दुःखकी बात होगी। अिसीलिअे यही हमारी आख़िरी मुलाक़ात है।" महमदने जवाबमें अितना ही कहा, "ख़ुदा आपका भला करे। मुझसे कोअी गलती हुअी हो तो आप सब, मुझे माफ़ करें। मेरी आत्माके लिअे दुआ करेंगे न?"

अुस रोज़ रातको मुझे नींद नहीं आयी। जेलकी घड़ीके सारे घंटे मैंने सुने। सुबह आठ बजे महमदको फाँसी दी जाने वाली थी। अुसके कोअी पौन घंटे बाद मुझे वहाँ जाना था और अुसके शवका प्रबन्ध करना था। महमद तो सारी रात जागता रहा और तस्बीह फेरता रहा। सुबह चार बजे अुसने संतरियोंसे कहा, "नहानेके लिअे गर्म पानी मिल सकेगा? पाक ख़ुदाके पास जानेका वक्त नज़दीक आ रहा है। अिसलिअे मैं नहाना चाहता हूँ।" नहा-धोकर अुसने अिबादत की। ठीक समय पर जेलके अधिकारी आये। हमेशाकी रीतिके अनुसार अुन्होंने महमदसे पूछा, "ख़ूनके क़सूरके लिअे तुम्हें मौतकी सज़ा दी गअी है। कुछ कहना है?"

महमदने जवाब दिया, "नहीं, मुझे तो अिन्साफ़ ही मिला है। मैं अपनी बीबीसे माफ़ी चाहता हूँ। सब लोगोंसे कहियेगा कि मुझसे कोअी गलती हुअी हो तो मुझे माफ़ कर दें। दादासाहबसे भी कहियेगा कि मैं अुनको भूलनेवाला नहीं हूँ। वे भी मुझे न भूलें। मेरा आख़िरी सलाम मंजूर करें।"

अितना कहकर वह फाँसीके तख्तेकी ओर चल दिया। तख्तेपर चढ़ा और पट्टीपर खड़ा रहा। दोनों हाथ पीठ पीछे ले जाकर अुनमें हथकड़ी डाल दी गअी। दोनों पाँव रस्सीसे

बाँध दिये गये। मुँहपर काली थैली चढ़ा दी गयी और गलेमें फाँसीकी रस्सी डाल दी गयी। महमद खुदाकी बंदगी करता हुआ शांत और चुपचाप खड़ा था। जल्लादने लीवर (हुंडा) घुमाया। खट्...तख्ता नीचे गिर गया...महमद नीचे लटक गया। गलेके फंदे कस गये। उसकी जीवन-ज्योति बुझ गयी। उसकी निश्चलताका. शांतिका हाल जेलके डाक्टरने आकर मुझे बताया। दुःखमें भी मुझे एक तरहका सन्तोष हुआ कि आखिर तक वह शांतचित्त रहा। उसके शवकी अन्तिम क्रियाके लिए उसकी सूचनाके अनुसार सबकुछ किया गया। ताबूतमें शवको रखकर नजदीककी मसजिदमें नमाज़ पढ़ी गयी। बादमें शवको ट्रेनमें भड़ोंच भेजा गया। इस कार्यमें जेलके बाहरके अनेक मित्रोंने केवल मानवताकी भावनासे मदद की। धर्म कोई भी हो, लेकिन मानवता एक ही है, इसका सच्चा सबूत इस घटनासे मिला।

शामको हमने जेलमें सामुदायिक प्रार्थना की। मित्रोंके आग्रहसे मैंने महमदकी कुछ बातें बताईं। सुनते-सुनते बहुतोंकी आँखोंसे आँसू बहने लगे और दो-चार तो फूट-फूटकर रोने लगे। सारा वातावरण बाहरसे शांत था, लेकिन मन क्षुब्ध और मानवताके हृदयस्पर्शी भावोंसे भर गया। जाति-भेद, धर्म-भेद, सब भेद चले गये और थोड़े समयके लिए ही क्यों न हो, हम सब लोगोंने मानवीय ऐक्यका अनुभव किया। मुझे आज भी लगता है कि हम सब लोगोंके जीवनमें यह क्षण धन्य था। महमदकी आत्माको शांति मिले, यही प्रार्थना है।

महमदके दादा इब्राहीम मियाँ और उसकी लड़की आयेशा बीबी कभी-कभी भड़ोंच स्टेशन पर मिलते हैं। बूढ़े दादा मुझपर

यहाँ मौजूद रहना जेलके हाकिमोंके हक़में अच्छा नहीं होगा। फिर हम दोनोंको अेक-दूसरेसे विदा लेना बहुत ही दुःखकी बात होगी। अिसीलिअे यही हमारी आखिरी मुलाक़ात है।" महमदने जवाबमें अितना ही कहा, "ख़ुदा आपका भला करे। मुझमें कोअी गलती हुअी हो तो आप सब, मुझे माफ़ करें। मेरी आत्माके लिअे दुआ करेंगे न ?"

अुस रोज़ रातको मुझे नींद नहीं आयी। जेलकी घड़ीके सारे घंटे मैंने सुने। सुबह आठ बजे महमदको फाँसी दी जाने वाली थी। अुसके कोअी पौन घंटे बाद मुझे वहाँ जाना था और अुसके शवका प्रबन्ध करना था। महमद तो सारी रात जागता रहा और तस्बीह फेरता रहा। सुबह चार बजे अुसने संतरियोंसे कहा, "नहानेके लिअे गर्म पानी मिल सकेगा ? पाक ख़ुदाके पास जानेका वक्त नज़दीक आ रहा है। अिसलिअे मैं नहाना चाहता हूँ।" नहा-धोकर अुसने अिबादत की। ठीक समय पर जेलके अधिकारी आये। हमेशाकी रीतिके अनुसार अुन्होंने महमदसे पूछा, "ख़ूनके क़सूरके लिअे तुम्हें मौतकी सज़ा दी गअी है। कुछ कहना है ?"

महमदने जवाब दिया, "नहीं, मुझे तो अिन्साफ़ ही मिला है। मैं अपनी बीबीसे माफ़ी चाहता हूँ। सब लोगोंसे कहियेगा कि मुझसे कोअी गलती हुअी हो तो मुझे माफ़ कर दें। दादासाहबसे भी कहियेगा कि मैं अुनको भूलनेवाला नहीं हूँ। वे भी मुझे न भूलें। मेरा आखिरी सलाम मंजूर करें।"

अितना कहकर वह फाँसीके तख्तेकी ओर चल दिया। तख्तेपर चढ़ा और पट्टीपर खड़ा रहा। दोनों हाथ पीठ पीछे ले जाकर अुनमें हथकड़ी डाल दी गअी। दोनों पाँव रस्सीसे

बाँध दिये गये। मुंहपर काली थैली चढ़ा दी गयी और गलेमें फाँसीकी रस्सी डाल दी गयी। महमद खुदाकी बंदगी करता हुआ शांत और चुपचाप खड़ा था। जल्लादने लीवर (ठूंठा) घुमाया। खट्...तख्ता नीचे गिर गया...महमद नीचे लटक गया। गलेके फंदे कस गये। अुनकी जीवन-ज्योति बुझ गयी। अुनकी निश्चलताका, शांतिका हाल जेलके डाक्टरने आकर मुझे बताया। दुःखमें भी मुझे अेक तरहका सन्तोष हुआ कि आखिर तक वह शांतचित्त रहा। अुसके शवकी अन्तिम क्रियाके लिअे अुसकी सूचनाके अनुसार सबकुछ किया गया। तावूतमें शवको रखकर नजदीककी मसजिदमें नमाज पढ़ी गयी। बादमें शवको ट्रेनसे भड़ोंच भेजा गया। अिस कार्यमें जेलके बाहरके अनेक मित्रों-ने केवल मानवताकी भावनासे मदद की। धर्म कोअी भी हो लेकिन मानवता अेक ही है, अिसका सच्चा सबूत अिस घटनासे मिला।

शामको हमने जेलमें सामुदायिक प्रार्थना की। मित्रोंके आग्रहसे मैंने महमदकी कुछ बातें बताअीं। सुनते-सुनते बहुतोंकी आँखोंसे आँसू बहने लगे और दो-चार तो फूट-फूटकर रोने लगे। सारा वातावरण बाहरसे शांत था, लेकिन मन क्षुब्ध और मानवताके हृदयस्पर्शी भावोंसे भर गया। जाति-भेद, धर्म-भेद, सब भेद चले गये और थोड़े समयके लिअे ही क्यों न हो, हम सब लोगोंने मानवीय अैक्यका अनुभव किया। मुझे आज भी लगता है कि हम सब लोगोंके जीवनमें यह क्षण धन्य था। महमदकी आत्माको शांति मिले, यही प्रार्थना है।

महमदके दादा अिब्राहीम मियाँ और अुसकी लड़की आयेशा बीबी कभी-कभी भड़ोंच स्टेशन पर मिलते हैं। बूढ़े दादा मुझपर

बहुत ही प्रेम रखते हैं। मेरे लड़केकी शादीके समय (मअी, सन् १९४८) वह खास तौरपर मेरे यहाँ आये थे, और किसीकी भेंट न लेनेका हमारा निश्चय होते हुअे भी, नज़दीकके आप्तजन समान अिब्राहीम मियाँकी भेंट (बीस रुपये) लेनेके सिवा कोअी चारा नहीं था। अनके घर शेरपुरा जानेका वचन मैंने अुनको दिया है। अुम्मीद करता हूँ कि कभी-न-कभी अुसका पालन कर सकूंगा।

: ६ :

स्वाभिमानी शिवराम

"जवाँमर्द आदमी, फ़ौजमें नौकरी कर आये, फ़ौजी पुलिसमें नौकरी करते हो, बंदूक तुम्हारे पास रहती है, और कहते हो कि नंदाबाअी तुम्हें धमकी दे रही है और कहती है, देख लूँगी, आणंदके बाज़ारसे तुम कैसे निकलते हो! अैसी कायरता क्या तुम्हें शोभा देती है? पुलिस अगर अैसा कहे तो अुसकी आबरू चली जाती है। तुम्हारे पास हथियार तो है न? फिर तुम्हें रास्तेमें रोक कौन सकता है? और अगर कोअी रोके भी तो क्या तुम अुसका मुक़ाबला नहीं कर सकते? जाओ, फिरसे अिस तरहकी शिकायतें मेरे पास मत लाना।"

अिन शब्दोंमें बंदूकधारी सिपाही शिवरामको अुसके अधिकारी पुलिस अिन्स्पेक्टरने फटकारा। शिवराम चुपचाप चला गया। अुसने बंदूक़को साथ लेकर आणंदके बाज़ारमें जानेका मन-ही-मन निश्चय कर लिया।

: २ :

शिवराम सतारा ज़िलेकी खटाअु तहसीलमें भोंसरे नामक गाँवका रहनेवाला है। अिस घटनाके वक्त अुसकी अुम्र क़रीब छत्तीस सालकी होगी। आणंदमें बंदूक-धारी सिपाहीकी नौकरी करता था। अिक्कीस बरसकी अुम्रमें वह फ़ौजकी अेकसौ दसवीं मराठा लाअिट अिन्फेन्ट्रीमें शामिल हुआ था और बेलगाँव, नीमच, अिलाहाबाद, पचमढ़ी आदि जगहोंपर

अुनने नौकरी की थी। ३० अप्रैल १९३३ के दिन वह अिस नौकरीसे मुक्त हुआ। तबसे अुसको फ़ौजी अमानत दल (Reserve Force) में रक्खा गया। दिसम्बर '३७ में वह खेड़ा ज़िलेके सशस्त्र पुलिस दलमें शामिल हो गया।

अुसकी नौकरीका प्रधान कार्यालय आणंदमें था और वहाँकी पुलिस कोठरियोंमें रहता था। कुंवारा था। घरपर बूढ़े बाप और अेक बहनके अलावा और कोअी न था। अुसकी माँ बचपनमें ही गुज़र गअी थी।

आणंदमें नंदा नामकी वाघरी जातिकी अेक औरतसे अुसकी जान-पहचान हुअी। दोनों एक-दूसरेके निकट परिचयमें आये। जब पुलिस अधिकारियोंको पता चला तो अुन्होंने अुस औरतको पुलिस कोठरीमें आनेकी मनाही कर दी। फ़ौजकी नौकरीके समयसे तथा बादमें भी अधिकारियोंके हुक्मका पालन करनेकी खासी तालीम शिवरामको मिली थी। अिसलिअे अपने अधिकारीका हुक्म अुसने शिरोधार्य किया और नंदाको पुलिस कोठरियोंमें न आनेकी अुसने ताकीद कर दी।

शिवरामके साथके संबंधकी वजहसे अुस औरतको अुससे माहवार कुछ रक़म मिलती थी। पुलिस कोठरियोंमें जानेकी मनाही हो जानेकी वजहसे अुसकी वह आमदनी बंद हो गयी। अिसलिअे शिवरामके साथ अपना संबंध जारी रखकर अुसने पैसे अैंठनेकी युक्तियाँ और कोशिशें शुरू कीं।

: ३ :

आणंदके निजोरी थाने परका अपना पहरा ख़त्म करके रातको शिवराम अपनी कोठरीपर वापस आता था। संतरियोंके लिअे अैसा नियम था कि अपना पहरा खत्म होनेके बाद जब दूसरा

संतरी आता तो अपनी बंदूक नालेमें बन्द करके ही घर जाता। शिवराम जब घरपर लौटता था तब अेक छोटी-सी लाठीके अलावा अुसके पास और कोअी हथियार नहीं रहता था।

अेक दिन अंधेरेमें दो-तीन आदमियोंने अचानक अुसपर लाठी-से हमला किया। शिवरामने अुनका सामना किया और हमला-वरोंको मार भगाया। अुनके दिलमें पूरा विश्वास था कि अिस हमलेके पीछे नंदाबाअी का हाथ है: क्योंकि अपने साथ संबंध कायम रखनेके लिअे ललचानेवाले कअी निमंत्रण अुनको मिले थे। अिसी प्रकार जानसे मार डालनेकी धमकियाँ भी अुनको दी जाती थीं, लेकिन शिवराम अपने निश्चयपर अडिग था।

पुलिस-कोठरीपर पहुँचनेके बाद दूसरे दिन सुबह शिवरामने रातकी अिस घटनाकी बात अपने दोस्तोंसे कही। सलाह भी माँगी कि अुसे क्या करना चाहिये। दोस्तोंने अुनका मज़ाक अुड़ाया, ताने दिये और कहा कि अिसमें शिकायत क्या करना है? खुदही समझ लेना चाहिये।

: ४ :

अिसके बाद कुछ दिन शांतिसे निकल गये। अेक दिन नंदाके अुकसानेसे दो-तीन गुण्डे शिवरामसे मिले और कहने लगे, "बच्चूजी, हिम्मत हो तो आणंदके बाज़ारमें होकर निकलो। तिजोरीसे पुलिस लाअिन और पुलिस लाअिनसे तिजोरीके रास्तेमें तो बच निकले। लेकिन हिम्मत हो तो बाज़ारमें आओ। ज़िंदा नहीं लौटोगे। अगर ज़िन्दा रहना है तो नंदाबाअीको रखो।"

यह बात जब शिवरामने अधिकारीसे कही तब अुसने अुसे अुपरोक्त ताना दिया। शिवरामने तय किया कि भरी बंदूक

लेकर वह बाज़ारमें जायगा और अगर कोअी सामने आकर अुससे छेड़खानी करेगा तो फिर अुसका मुक़ाबला करेगा। नंदाको या और किसीको मार डालनेका अुमका क़तअी अिरादा नहीं था। अगर अुसपर हमला हो तो अुससे बचनेके लिअे ही बंदूकका अुपयोग करनेका अुसका निश्चय था।

: ५ :

दूसरे दिन दोपहरके बाद पहरा खत्म करके वापस लौटते समय अपनी बंदूक कोठरीमें रखनेके बजाय अुसमें कारतूस भर, अूपर संगीन चढ़ा और अपने कंधेपर रख शिवराम आणंदके बाज़ारकी ओर चल पड़ा। वहाँ नंदा बैठी फल-तरकारी बेच रही थी। साथमें छः-सात सालकी अुसकी लड़की भी बैठी थी। शिवराम अुसके सामने जाकर खड़ा हो गया। बाज़ारमें अुस समय काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हर आदमी अपने-अपने काममें लगा हुआ था।

शिवरामने नंदाको चुनौती दी, "देख, मैं बाज़ारमें आया हूँ। मुझे मारनेकी हिम्मत है किसीको ? कहाँ गअे तेरे भाड़ेके टट्टू ? हिम्मत हो तो आ जायँ मुझे मारनेके लिअे।"

शिवरामकी अिस चुनौतीपर से नंदाने समझ लिया कि यह समय सामना करनेका नहीं है। अुसने शिवरामको गालियाँ देना शुरू किया। फिर भी शिवराम सीना ताने वहीं खड़ा रहा। अन्तमें वह माँ-बहनकी गालीपर अुतर आअी। शिवराम यह किसी भी हालतमें सहन नहीं कर सकता था। अुसकी लड़ाकू-वृत्ति जाग्रत हुअी और अपने स्वाभिमानपर वार करनेवालेको मज़ा चखानेका विचार यकायक अुसको आया। गालियाँ सुनते ही खड़े-ही-खड़े अुसने नंदाबाअीपर बंदूक चला दी। नंदा

वहीं की वहीं ढेर हो गअी ।

बंदूककी आवाज़ सुनते ही अिधर-अुधरके लोगोंका ध्यान बंदूक लेकर खड़े शिवरामकी तरफ़ गया। नंदा लहू-लुहान हालतमें वहीं पड़ी थी। शिवरामको पकड़नेको या अुसके पास जानेकी कौन हिम्मत करता? शिवराम वहाँसे चलकर पुलिस थानेपर आया और अुसने जो किया था अुसका बयान अपने अधिकारीको दे दिया। खूनके अिल्ज़ाममें शिवराम गिरफ्तार कर लिया गया।

: ६ :

खूनके जुर्म को मंजूर करते हुए मैजिस्ट्रेटके सामने शिवरामने जो बयान दिया, अुसमें अुसने पूरी हक़ीक़त जैसी थी वैसी बता दी। लेकिन आखिरमें अुसका रूप थोड़ा-सा बदल दिया। गुस्सेमें आकर गोली चलाअी, यह कहनेके बजाय अुसने कहा कि नंदा हाथापायी करने लगी, अिसमें गोली छूट गयी। यह कथन स्वीकार किया ही नहीं जा सकता था।

सेशन्स-अदालतमें जब मुकदमा चला तब बाज़ारके दो-तीन गवाहों ने कहा था कि नंदाके पेटमें संगीन भोंकते हुए अुन्होंने शिवरामको देखा है। यह भी झूठ था। हो सकता है कि गवाह झूठ कहते हों या भ्रमसे ऐसा कहते हों।

अदालतने शिवरामको गुनहगार ठहराकर फाँसीकी सज़ा दी।

हाअीकोर्टमें अपील हुई, लेकिन फाँसीकी सज़ा क़ायम रही। दयाकी अर्ज़ीमें शिवरामकी फ़ौजी तालीमपर ज़ोर देकर मैंने यह लिखा था कि चूंकि अुसको अैसा बनानेवाली ख़ुद सरकार ही है, अिसलिअे सरकारको अिस बातपर गौर करना चाहिये।

ज़ोर-ज़ुल्मका या धमकियोंका सामना हिंसासे भी किया जा सकता है, अिस प्रकारकी शिक्षा जिसे बरसोंसे मिलती रही है अुसको अगर कोअी अन्यायसे दबानेकी कोशिश करे तो अुसका नतीजा क्या होगा, अिस बातपर भी सरकारको सोचना चाहिये और फाँसीकी सज़ाको घटाकर शिवरामको जेलकी सज़ा दी जानी चाहिये। अिस प्रकारकी मेरी दलील थी। लेकिन सरकारी तंत्र विधि-विधानपर चलता है। बदलती हुअी परिस्थितिमें अिन तंत्रसे यह बुनियादी विचार हो सकेगा, अिसे बातकी आशा शायद ही रखी जा सकती है।

: ७ :

शिवराम सज़ा पाकर जेलमें जिस रोज़ आया अुसी दिनसे मैं अुससे मिलने जाया करता था। वह लिखना-पढ़ना ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन बहुत-सी चीज़ें अुसे कंठस्थ थीं। मराठी संतोंमें श्री तुकाराम, नामदेव आदिके भक्ति और तत्वज्ञानके अभंग जानता था और ख़ूब भक्तिभावसे गाता था। भक्त था। जोखिम अुठाकर दूसरोंके लिअे अपने आपको अर्पण करनेमें मराठापनकी शान समझता था। कवि भी था। अैसी मनोभूमिकावाले आदमीके लिअे मुझे बहुत ज्यादा प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं मालूम हुअी। जब कभी मैं जाता, वह मुझे संतोंकी बातें सुनाता, अभंग भी सुनाता। पंढरपुरके विठोबाकी बातें करता और फ़ौजमें नौकरी करते समय कहाँ-कहाँ जाना पड़ा, अिसकी भी चर्चा करता। बीच-बीचमें कभी अपने बारेमें सवाल किया करता कि अुसकी दयाकी अर्ज़ीका क्या नतीजा होगा। आदि।

मुझे पच्चीस फ़ीसदी आशा थी कि अुसकी फ़ौजी नौकरीकी

बातपर ध्यान देकर शायद सरकार अुसे फाँसीकी सज़ासे बचा लेगी। मैं शिवराम से अैसा कहता भी था।

वह मुझे 'गुरुमहाराज' कहा करता था। अब भी मेरी समझमें नहीं आता कि अुसने मुझे गुरु क्यों माना था। अिनना तो निश्चित था कि अुसका मित्र होनेकी वजहसे वह मेरे सलाह-मशविरेकी आशा रखता था। मुमकिन है कि अिसी वजहसे वह मुझे 'गुरुमहाराज' के संबोधनसे पुकारता हो।

दयाकी अर्ज़ीके रद्द होनेकी बात जब अुसे बताअी गयी तब मुझे बहुत दुःख हुआ। लगा कि अेक अैसे शूर और भक्त मनुष्यके प्राण सरकार ले, अिसके बदले क्या ही अच्छा होता कि देशके किसी अच्छे कामके लिअे अुसका अुपयोग किया जाता। खिन्न मनसे जब मैं अुससे मिला तो अुसीने मेरा समाधान करना शुरू किया, "गुरुमहाराज, आप क्यों दुखी होते हैं? मरना तो हरअेकको है ही। और मैं तो सिपाही हूँ। मौतसे नहीं डरता। अिसलिअे आप बिलकुल दुःख या शोक न करें।"

मेरे दिलको सहज शांति मिली और अुसके प्रति आदर-भावना बढ़ी।

शिवरामके बूढ़े पिताको हाअीकोर्टकी अपीलके फ़ैसलेके बाद ख़बर दी गअी। मेरी अिच्छा थी कि पिता अपने अिकलौते बेटेसे यहाँ आकर मिलें। लेकिन वृद्धावस्था के कारण वह अकेले आ नहीं सकते थे। दूसरे किसीको साथ लायें तो आने-जानेका ख़र्च कहाँसे आवे? महज़ थोड़ेसे पैसोंके लिअे बाप-बेटेकी मुलाक़ात न हो सके, यह बात मुझे असह्य-सी मालूम हुअी। अिसलिअे मैंने अुसके पिताको लिखवाया कि "शिवरामसे मिलनेके लिअे यहाँ आ जायें। सफरके खर्चका प्रबन्ध यहाँसे हो

जायगा।"

शिवरामके पिता और भानजे दोनों सतारासे साबरमती आये। अुनके ठहरनेका अिन्तजाम सावरमती आश्रममें किया गया था। पिता-पुत्र अेक-दूसरेसे मिले। लेकिन अचरजकी बात यह कि दोनोंमेंसे किसीकी आँखोंमें आँसू न थे। बाप और बेटेने गीताका तत्वज्ञान अितनी हदतक अपने खूनमें मिला दिया था। दोनोंको दुःख तो बहुत हुआ था; लेकिन समझदारीके साथ उन्होंने संयम रक्खा। अिन पिता-पुत्रमें जो बात दिखाअी दी, वही बात अनपढ़ कहे जानेवाले हमारे सामान्य भाअी-बहनोंमें भी काफ़ी मात्रामें दिखायी देती है। अिन लोगोंको हम अनपढ़ कैसे कह सकते हैं?

दो दिनतक शिवरामके पिता यहाँ रहे। बादमें चले गये। चार-पाँच रोज़के बाद शिवरामको फाँसीपर चढ़ना था। अिसलिअे जब वे जानेके लिअे तैयार हुअे तब मैंने अुनसे कहा, "आप कुछ दिन और रह जाअिये। आपके लिअे रहनेका तो सब अिन्तज़ाम है ही।" लेकिन बूढ़ेने अिन्कार कर दिया। कहने लगे, "शिवराम तो अब अीश्वरकी गोदमें है। मैं दो-चार दिन ज्यादा रह भी जाअूं तो अुससे क्या होगा!"

शिवरामका यह भी खयाल था कि अुसे बचानेके लिअे शायद अीश्वर कोअी चमत्कार करे। बात यह नहीं थी कि अुसको मौतका डर था, या जीने की लालसा थी; लेकिन भीतर-ही-भीतर अुसे कभी-कभी अैसा महसूस होता था कि "मैं छूट जाअूँगा।" फाँसीके अगले दिन अुसने मुझसे कहा, "अिन दो दिनोंमें मैं ज़रूर छूट जाअूँगा।"

फाँसीकी तारीखका अुसको पता नहीं था। फिर भी दो

दिनकी बात जब अुसने कही तो मैंने पूछा, "ऐसा तुम किस आधार-पर कहते हो ?"

अुसने कहा, "कल रातको मुझे अेक स्वप्न दिखायी दिया था।" मैंने कहा, "अुसका मतलब कहीं यह न हो कि दो दिनमें तुम्हें फाँसी दी जायेगी और तुम्हारे प्राण चले जायँगे । अिस अर्थमें तो वह छुटकारा नहीं है ?"

शिवराम हँस दिया। बोला, "नहीं-नहीं, अिस अर्थमें नहीं है। मैंने अैसे भी किस्से देखे हैं कि जिसमें फाँसीके तख्तेपर चढ़े हुअे लोगोंको आखिरी क्षणमें मुक्ति मिली है।"

मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, "अैसा कहाँपर देखा है ?" अुसने किसी चित्रपट (सिनेमा) का नाम लिया। लोगोंपर चित्रपटका कितना असर होता है, यह अिस छोटी-सी बातसे मालूम होता है।

फाँसीसे एक दिन पहले रातको बड़ी देरतक कअी लोग अुसके साथ बैठे रहे। अुस दिन दोपहरको मुझे बुखार आगया था। अिसलिअे अुसके पास स्ट्रेचरपर ले जाया गया था। फाँसीके पहले अुससे मिलना ही चाहिये, अैसा मेरा आग्रह था। जेलवालोंने अिसकी स्वीकृति दे दी थी।

: ८ :

अंधेरी रात बीती। फाँसीके दिनका अुदय हुआ। रातका समय शिवरामने श्री विठोबाका अेक भजन रचनेमें बिताया। कअी भजन भी गाये और सुबह नहा-धोकर वैकुंठलोकको जानेके लिअे वह वैष्णव तैयार हुआ।

अपराधके बारेमें सुबह मजिस्ट्रेटने अुससे पूछा तो अुसने जवाब दिया, "नंदा मेरी गोलीसे मर गयी, यह सच है।

लेकिन ख़ूनके अिरादेका मैं अिन्कार करता हूँ। फिर भी जो सज़ा मुझे मिली है अुसको मैं अीश्वरका न्याय समझता हूँ। अिसलिअे मुझे किसी भी प्रकारका असंतोष नहीं है। मैंने अगर किसीको कुछ कहा हो तो सब मुझे माफ़ करें।"

अिसके बाद अुसने सुपरिन्टेंडेंट, जेलर, डॉक्टर, आदिसे अलग-अलग पूछा, "गुरुमहाराजकी तबीयत अब कैसी है? अुनको मेरे अंतिम प्रणाम कहियेगा। भूलियेगा नहीं।"

फाँसीके तख्तेपर चढ़ते हुअे अुसने कहा, "साहब, रातको मैंने पांडुरंगका अेक बहुत अच्छा भजन बनाया है, आप सुनें।" यह कहकर अुसने अूँचे स्वरमें भजन गाना शुरू कर दिया। वह भजनकी धुनमें था कि अुसके सिरपर काली टोपी पहना दी गअी। शिवराम धुनके आरोहमें था तभी गलेमें फाँसीका फंदा डाल दिया गया। अुसकी धुन चालू थी। यकायक नीचेका पटिया खिसक गया। खट्केकी आवाज़ हुअी और अुसकी जीवन-ज्योति बुझ गअी। भजनकी धुन शांत हो गअी।

: ७ :

यह चोला ही तो है

फाँसीकी सज़ा पाकर सोना जेलमें दाखिल हुआ। अुसी दिन सुबह क़रीब दस बजे फाँसीकी कोठरीके सींखचोंके पीछेसे अुससे मिला। आंसू-भरी आँखोंसे अुसने मुझसे पूछा, "मौतसे बचनेका मेरे लिअे क्या कोअी रास्ता नहीं है?"

मैंने अितना ही दिलासा दिया, "अभीसे तुम्हें घबड़ानेका कोअी कारण नहीं है। अभी तो हाअीकोर्टमें अपील जायगी। यदि हाअीकोर्टने अपील नामंजूर कर दी तो सरकारसे दयाकी अर्ज़ी तो हम कर ही सकते हैं। तुम्हारे मुक़दमेमें मैं सबकुछ करूँगा। लेकिन कागज़ात देखे बिना क्या किया जा सकता है? अभीसे अिस बारेमें क्या कहूँ? पर फिलहाल तो अितना ही कहता हूँ कि अीश्वरका स्मरण करो और अुसकी कृपाकी याचना करो। अीश्वरकी कृपा तुम्हें संकटसे ज़रूर बचा लेगी।"

अितना कहनेके बाद मैंने अुससे सारी हक़ीक़त जाननेकी कोशिश की। लेकिन मुझे लगा कि वह बातें ठीक बता नहीं रहा है। अपने निर्दोष होनेका दावा वह करता था और रोता भी था। अितनी बातचीतके साथ अुसके साथकी मेरी पहली मुलाक़ात समाप्त हुअी।

अिसके बाद मैं स्त्रियोंके यार्डमें मणिसे मिलने गया। अुसे भी सोमाके साथ फाँसीकी सज़ा हुअी थी। मुझे सोमाके मुक़ाबले

यह औरत ज्यादा बहादुर मालूम हुअी। वह रोती नहीं थी, किन्तु अुसकी बोलीमें और आँखोंमें सोमाके बारेमें खून अुतर रहा था। दृढ़ताके साथ अपनेको निर्दोष बताती थी, "वह मरा सोमा खुद तो गड्ढेमें पड़ा ही, अुसने मुझे भी हमेशाके लिअे कलंकित कर दिया।" अिस औरतसे भी पूरी हक़ीक़त अिस समय मिलना असंभव-सा मालूम हुआ। अिसलिअे मैं अपनी कोठरी-में चला गया और मन-ही-मन तय किया कि अिन लोगोंके मुक़दमेके कागज़ात आनेके बाद ही अधिक पूछताछ करूँगा। दूसरे दिन कोर्टके फ़ैसलेकी नक़ल मेरे हाथमें आयी। छह दिनके भीतर ही अिन दोनोंकी अपील हाअीकोर्टमें दाखिल करनी थी।

: २ :

मणिकी अुम्र क़रीब पच्चीस सालकी थी। जातिकी पाटी-दार। सोमाकी अुम्र क़रीब तीस सालकी, जातिका लोहार। गोधरा तहसीलके गोकलपुरा गाँवकी अेक गलीमें आमने-सामनेके घरोंमें दोनों रहते थे।

चतुर रणछोड़ नामके अेक सुखी पाटीदार युवकके साथ कोअी दस-बारह सालकी अुम्रमें मणिका ब्याह हुआ था। चतुरका खानदान खाने-पीनेसे सुखी था; लेकिन चतुर देखनेमें अच्छा न था। मणि खूबसूरत थी। अिस दृष्टिसे यह विवाह बेमेल था। लेकिन विशेष दुःखकी बात तो यह थी कि चतुर नपुंसक था।

मणिकी अुम्र जैसे-जैसे बढ़ती गयी, अुसे चतुरकी नामर्दी खलने लगी और अपनी प्राकृतिक अिच्छाओंको तृप्त करनेके लिअे वह मार्ग खोजने लगी। अिसके लिअे अुसे दूर नहीं जाना पड़ा। सामनेके ही घरमें युवक सोमा रहता था। देखनेमें सुन्दर था। मणिने अुसके साथ अपना संबंध जोड़ा। चतुरको अिस बात-

का पता चल गया, मगर अपनी कमज़ोरी जाहिर न होने देनेके विचारसे तथा अुसके बच्चे भी हों, अिस अिच्छासे अुसने अपनी आँखोंपर पर्दा डाल लिया। अितना ही नहीं, यह भी कहा जा सकता है कि सोमा और मणिके अिस संबंधमें अुसकी मूक सम्मति भी थी।

अिस प्रेम-संबंधसे मणिके दो बच्चे पैदा हुअे, जिन्हें दुनिया तो चतुरके बालकके रूपमें जानती थी।

-२. चतुरका मकान बड़ा था। अुसमें दो या तीन कमरे पास-पास थे। अैसे अेक कमरेमें चतुर और अुसका कुटुम्ब रहता था। अैसी आजादी होते हुअे भी गाँवके जीवनमें मणि और सोमाको अेक-दूसरेके साथ मिलनेके लिअे बहुत ही कम मौक़ा मिलता था। दोनों शामको अंधेरेमें ही मुश्किलसे मिल पाते थे।

अेक रोज़की बात है कि चतुर कहीं बाहर गया था और दो-तीन दिन बाद आनेवाला था। अुस रोज़ शामको दिया-बत्तीके वक्त मणि और सोमाको निश्चिततासे मिलनेका मौक़ा मिला। अंदरके कमरेमें खटियापर लेटे-लेटे दोनों बातें कर रहे थे। कोअी छः सालकी अुमरका लड़का बाहरके कमरेमें खेल रहा था। कमरेके किवाड़ खुले थे।

ये दोनों अपनी बातोंमें व्यस्त थे कि चतुर यकायक आ पहुँचा। अिन दोनोंके संबंधके बारेमें मूक सम्मति होनेपर भी अिस दृश्यको देखकर अुसे स्वाभाविक रूपसे गुस्सा आ गया। अपनी स्त्रीके बुरे आचरणसे भी कहीं अधिक स्पष्ट अुसे अपनी कमज़ोरीका ख़याल हुआ और अिससे अुसका गुस्सा और भी बढ़ा। चतुरको आगबबूला देखकर सोमाने समझा कि यह आदमी अब सारे मुहल्लेमें अिस भेदको खोल देगा। अिससे

बेहतर है कि अिसको यहीं ख़तम कर दिया जाय।

पास हीकी ताकमें नरकारी काटनेकी अेक छुरी पड़ी हुअी थी। सोमाने अुससे चतुरपर हमला किया। अुसे खटियापर गिराकर अुसकी छातीपर चढ़ बैठा और छुरीसे वार-वार वार करके अपने घरकी ओर भाग गया। मणि वहीं खड़ी रही। या तो वह घबड़ा गअी थी या सोमाके काममें अुसकी सम्मति रही हो। जो हो, मणि चिल्लाअी नहीं। "मुझे मार डाला! मुझे बचाओ।" अिस प्रकार चतुर दो-तीन बार चिल्लाया। अुसे-सुनकर पास-पड़ौसके अुसके रिश्तेदार आ पहुँचे। अुनके आनेके पहले ही वार हो चुका था और चतुर मौतकी घड़ियाँ गिन रहा था। मणिके छोटे लड़केने सोमाको चतुरकी छातीपर बैठकर छुरीसे वार करते देखा था। अुसीके कथनके अनुसार मणि खटियापर चतुरके पैर दबाये बैठी थी।

दूसरे दिन रामनवमी थी। यह घटना १३ अप्रैल १९४३ की शामको हुअी थी।

: ३ :

मुक़दमेके कागज़ तैयार हुअे। पंचमहालके सेशन कोर्टमें मुक़दमा चला और ख़ूनका षड़यंत्र साबित करके जजने दोनोंको फाँसीकी सज़ा दी। अिसमें कोअी संदेह ही नहीं था कि सोमाने ख़ून किया; लेकिन ख़ून करनेमें मणिकी सहमति थी या नहीं, यह बात गंभीरतासे विचार करने योग्य थी।

सोमाका बचाव यह था कि अिस ख़ूनके विषयमें अुसे कुछ भी मालूम नहीं है। दुश्मनीके कारण अुसे अिसमें फँसाया गया है। अुसने ख़ून किया है, यह बतानेवाला तो मणिके छोटे लड़केके सिवा और कोअी था ही नहीं। रिश्तेदारोंके सिखानेसे वह झूठ

बोल रहा है।

अुधर मणिने अपने बचावमें सोमाको फँसाया था। अुनका कहना था कि चतुरके यकायक आजानेसे डरके मारे अुत्तेजित होकर सोमाने चतुरका खून किया और तुरत अपने घर भाग गया। मैं घबड़ाअी हुअी कमरेमें ही थी; लेकिन खून करनेमें न तो मेरा हाथ था, न साथ ही।

सोमाके बचावके लिअे अपीलमें क्या लिखा जा सकता था? वह अुस समय शराब पिये हुअे था; लेकिन यह भी अदालतके सामने कैसे कहा जा सकता था? जब कि वह यह कहता था कि वह कुछ जानता ही नहीं है तो वहाँ दूसरी बात क्या कही जा सकती थी? अुसके विरुद्ध मणिका बयान और अुसका समर्थन करनेवाली बालककी गवाही थी और आगे-पीछेके संयोग थे। अिसलिअे सोमाके बचावमें कहने योग्य कुछ भी नहीं था।

लेकिन मणिकी बात और थी। मैं खुद शंकाशील था। बच्चेकी गवाहीपर मेरा विश्वास था। बालक क्यों अपनी माँके खिलाफ़ झूठ बोलेगा? और मणिको ख़ामख्वाह फँसानेमें अुसके रिश्तेदारोंको क्या लाभ था? लेकिन यह संभव था कि कमरेमें अंधेरा हो और सब बातें स्पष्ट दिखायी न देती हों। निश्चितरूपसे यह भी नहीं बताया जा सकता था कि मणि खटियापर अपने पतिके पाँवोंके पास खून होनेके पहले ही बैठी थी या सोमाके वार करनेके बाद घबड़ाकर अुस दुःखमें वह पाँवोंके अूपर पड़ी थी। अिसलिअे मणिके अपराधके बारेमें शक तो था ही और मेरी दलील यह थी कि क़ानूनके अनुसार शकका फ़ायदा मणिको मिलना चाहिये।

अपील करनेके वक्त मैंने मणिके साथ खासी जिरह की।

तो सिवा अिस बातके कि हाअीकोर्टमें भेजी हुअी अर्जीका नतीजा क्या आयगा, सोमाको और किसी भी चीज़में दिलचस्पी नहीं थी। मेरी हालत भी विषम थी। सच बात अुससे कही नहीं जा सकती थी और झूठ मैं बोल नहीं सकता था। अैसी हालतमें मैं अुसे क्या बताता? सिर्फ़ यही कहता रहता था कि अपीलका नतीजा कुछ भी हो, अीश्वरकी जैसी अिच्छा होगी, वैसा ही होगा। हम तो अुसका स्मरण करके अुसका आशीर्वाद माँगें।

अिससे अुसे कुछ दिलासा मिलता था। बादमें अिधर-अुधर-की बातें भी करते थे।

जैसा कि मेरा ख़याल था, सोमाकी अपील हाअीकोर्टने रद्द कर दी। अुसकी फाँसीकी सजा क़ायम रही और मणिको निर्दोष कहकर छोड़ दिया। अब सोमाका भविष्य निश्चित हो गया। मुझे अिसकी भी कोअी अुम्मीद नहीं थी कि दयाकी अर्ज़ीका कोअी शुभ परिणाम निकलेगा। फिर भी दयाकी अर्ज़ी तो करनी ही थी। नियम है कि फाँसीके हर मामलेमें दयाकी अर्ज़ी भेजी ही जानी चाहिये। अगर अपराधी अर्ज़ी न भेजे तो अुसकी ओरसे जेलके अधिकारी अर्ज़ी लिखकर भेजते हैं। बहुत समयसे यह प्रथा चलती आयी है। अिसकी वजह शायद यही है कि फाँसी देनेके पहले मामलेके हर पहलूपर सरकारको सोचनेका मौक़ा मिले।

अिस क़िस्सेमें मुझे अेक बातपर बड़ा अचरज होता था। सोमा हररोज़ कहता था कि फाँसी दिये जानेसे पहले कम-से-कम पाँच मिनटके लिअे अुसकी मणिसे मुलाक़ात करा दी जाय। लेकिन यह नामुमकिन था। अिसकी अेक वजह यह थी कि वह ख़ुद फाँसीकी सज़ा पानेवाली थी। अुसको भी स्त्रियोंके यार्डमें

चौबीसों घंटे तालेके अन्दर बंद रहना पड़ता था। अुसे बाहर कैसे लाया जा सकता था ? और फिर पुरुषोंके यार्डमें ? दूसरे, खूनकी घटनाके बाद मणिका अुसके प्रति किसी भी प्रकारका सद्भाव नहीं रह गया था। अितना ही नहीं, वह अुससे नफ़रत भी करने लगी थी। वह यह कहती थी, "अिसी मरेने मेरा यह हाल किया है।" अिसलिअे मैं हमेशा सोमाको समझानेकी कोशिश करता था कि अब मणिसे मिलकर अुसे क्या करना है ? अब पराअी स्त्रीको भूल जा। फिर जेलके क़ानूनके मुताबिक अुसको यहाँ लाया भी नहीं जा सकता, आदि। लेकिन अिससे सोमाके दिलको कुछ भी सन्तोष नहीं मिलता था। अुसको संतोष देनेके लिअे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। हाँ, अेक मौक़ा ज़रूर था और वह यह कि हाअीकोर्टसे मणिकी रिहाअीका हुक्म आ जानेपर अुसे जेलसे रिहा करते समय सोमाकी कोठरी-पर लाया जा सकता था। अिसके लिअे मैंने जेलवालोंसे अिज़ाजत भी ले रक्खी थी।

लेकिन मणिको समझाना टेढ़ी खीर था। अेक दिन मैंने अुसे सोमाकी अिस अिच्छाके बारेमें बताया तो वह बहुत चिढ़ गअी और अपनी 'पाटीदारी' भाषामें सोमाको खूब गालियाँ सुनाते हुअे बोली, "अुससे कहो कि मैं अुसका काला मुंह नहीं देखना चाहती।"

अुसका यह रोष मैं समझ सकता था। पर ब्याह न होते हुअे भी जिसके साथ अुसने विवाहित जीवनके सुखका अनुभव किया, अुसकी अिस आखिरी अिच्छाको न माननेमें मुझे बड़ी क्रूरता मालूम होती थी। जब तिरस्कार करनेपर भी वह मरने ही वाला है तब अुसकी अंतिम अिच्छाको पूरी करनेकी अुदारता और क्षमा

सोमाके प्रति मणिको दिखानी ही चाहिये, अैसा मेरा मन था। अिसलिअे कअी दलीलें करनेके बाद मैंने मणिसे कहा, "देखो, अुसने बहुत बुरा काम किया, तुम्हारी सारी ज़िन्दगी अुसने बरबाद कर दी, यह सब सही है। लेकिन तुम्हारे प्रति अुसकी जो भावना है अुसे देखते हुअे अुसकी अन्तिम अिच्छाको अिस तरह ठुकराना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा कहना है कि तुम सिर्फ़ दो मिनटके लिअे मेरे साथ चलो। सोमाके साथ किसी भी तरहकी बात मत करना। तुम्हारी अिच्छा हो तो बोलना, नहीं तो अपनी सूरत दिखाकर फ़ौरन चली आना।"

मणिने मेरी बात मान ली। मुझे अिससे संतोष हुआ। मणिकी रिहाअीका हुक्म आनेके बाद अुसे लेकर मैं फाँसी-कोठरीमें सोमासे मिलने गया। मैंने पहलेसे अिसकी सूचना दे दी थी। सोमा अुससे मिलनेके लिअे बहुत अुत्सुक था। हम दोनोंको आया देखकर वह गद्‌गद् हुआ। हाथ जोड़कर अुसने मणिसे अितना ही कहा, "मैं पापी हूँ। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझे माफ़ करना।"

अिस हालतमें मणिका रोष अुग्रताके साथ जागृत हुआ और अुसने तो क्षमाके बदले सोमाको फटकारना शुरू किया। मुझे यह दृश्य बहुत करुण लगा। सोमाने कुछ भी किया हो, फिर भी जिस हालतमें आज वह रखा गया था अुस हालतमें ठुकराना मुझे अुचित न लगा। अिसलिअे मणिकी बातचीत मैंने आगे नहीं बढ़ने दी और सोमासे बिदा लेकर हम वहाँसे चल दिये। सोमा शांत था।

मनुष्यके हृदयमें प्रेमके झरने कितने वेगवान होते हैं, वह कौन बता सकता है!

: ५ :

सोमाकी मौत तो अब करीब-करीब सौ फ़ीसदी निश्चित हो चुकी थी। अुसकी दयाकी अर्ज़ीमें अपराधका स्वरूप सौम्य बनानेके लिअे लिखने जैसा कुछ था भी नहीं। अिसलिअे सज़ाकी महत्ता कम करनेके लिअे ज़ोर देनेके विचारसे मैंने नीचे लिखे चार मुद्दे पेश किये :

(१) सोमाकी जवान अुम्र,

(२) अुसकी मौतसे अुसकी बूढ़ी माँको होनेवाला दुःख,

(३) अुसके छोटे भाअियोंका कोअी सहारा नहीं है,

(४) अपराध अिरादतन किया हुआ नहीं है, बल्कि शराबके नशेमें किया गया है।

ज़ाहिरा तौरपर यह अंतिम कारण बिलकुल पंगु था।

अिस अर्ज़ीका नतीजा साफ़ था। अिसलिअे अब मौतकी तैयारी करना ही अेक रास्ता बचा था। अिस कारण मैं अुससे कहता था कि आख़िरी क्षणतक हम अच्छे नतीजेकी अुम्मीद करेंगे। किन्तु मौतकी तैयारी करना ही हमारा फ़र्ज़ है। मौतसे कौन बचा है? किसीकी मौत जल्दी होती है तो किसीकी देरीसे। मनुष्य-जीवनमें मरना तो निश्चित ही है। अिसलिअे मौतका डर न रखना ही अुसका सामना करनेका हथियार है।" अिस तरहकी तत्वज्ञानकी बातें होती थीं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि सोमापर अिनका क्या असर होता था। "मेरा अब किसी भी प्रकारसे छुटकारा नहीं होगा", यही अेक विचार अुसे मौतके लिअे तैयार कर रहा था।

अैसेमें अेक दिनके अन्दर मैंने सोमामें अेक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा। जो हमेशा गीली आँखों अौर डरे मनसे फाँसीकी

बातें करता था, अुसमें हिम्मत आयी हुअी नज़र आयी। बात यह थी कि वह मुझसे कहा करता था कि मुझे कुछ पढ़नेके लिअे दो। अिसलिअे मैं अुसे कुछ आसान चीज़ें पढ़नेके लिअे देता रहता था। लेकिन जब हाअीकोर्टमें अुसकी अपील रद्द हुअी तब मुझे खयाल आया कि अुसके हाथमें भगवद्गीता रखूँ और अुसका पाठ करके आत्माका श्रेय साधनेका प्रयत्न करनेके लिअे अुससे कहूँ। अिस प्रकार 'सस्तुं-साहित्य-वर्धक' कार्यालयने प्रकाशित गीताका गुजराती अनुवाद मैंने अुसे दिया। चार-पाँच दिन गुजरे होंगे। नित्यके अनुसार मैं अुससे मिलने गया तो मैंने और ही दृश्य देखा। आश्चर्यके साथ-साथ मुझे शांति भी मिली। मुझे देखते ही सोमाने हँसते-हँसते कहा, "दादासाहब, अब मैं समझ गया।"

मैंने पूछा, "क्या समझा?"

अपने दोनों हाथ ऊपर-नीचे हिलाकर अपना शरीर बताकर वह बोला, "यह चोला ही तो है!"

"किसने कहा?"

"देखो न, खुद भगवान् ने कहा है। मेरा शरीर जायगा, किन्तु आत्मा अमर है। यह चोला भले जाय। अब मैं समझ गया।"

अिसके बाद कभी सोमाके चेहरेपर दुःख या खेदकी परछाअीं मैंने नहीं देखी। भगवद्गीताका 'वासांसि जीर्णानि यथा विहाय' का तत्वज्ञान सोमाने अितनी जल्दी और पूरी तौरसे अपने मनमें जमा लिया था कि सचमुच मुझे तो वह अेक आश्चर्यजनक घटना ही मालूम हुअी। यह भी हो सकता है कि मौतसे छूटनेका कोअी रास्ता नहीं था, अिसलिअे अिस तत्वज्ञानको अुसने तत्काल और

सही तौरसे स्वीकार कर लिया हो। जो हो, अिसमें कोअी शक नहीं कि सोमा गीताका ज्ञानी बना था।

२४ जनवरी १९४४ को सुबह नौ बजे अहमदाबाद (साबरमती) सेंट्रल जेलमें सोमाको फाँसी दी गअी।

अुसका चोला तो यहीं रहा, आत्मा अीश्वरमें लीन हो गअी।

: ८ :

शाहज़ादे का प्यार

शाहज़ादा कानपुरका रहनेवाला था। बदन न दुबला, न मोटा। कद करीब सवा पाँच फुट। वर्ण श्याम। आँखें पानीदार। चेहरा खुशनुमा। अुम्र करीब तीस साल। मिलमें नौकरी करनेके लिअे अहमदाबाद आकर रहता था। संबंधियोंमें माँ-बाप और बहन-बहनोअी। ये सब कानपुरमें रहते थे।

अहमदाबादमें वह अकेला ही रहता था, अिसलिअे बेफिक्र और तुनक-मिजाज था। हिम्मतका पूरा। लड़ाअी-झगड़ोंमें या धींगा-मस्तीमें कूद पड़ना तो अुसके खूनमें ही था। स्वभावसे अुदार और रंगीला। गोमतीपुरमें रहता था। लोग अुसे 'गोतमीपुरका दादा' (मनचला) के नामसे पहचानते थे।

अुसके पड़ोसमें ही 'बबली' नामकी अेक जवान स्त्री रहती थी अुम्र कोअी बीस-बाअीस सालकी होगी। जातिकी वाघरी। अपने माँ-बापके साथ ही रहती थी। अुसकी शादीको कुछ साल हो चुके थे। अुसके पतिकी अुम्र कोअी पचपन-साठ सालकी होगी। अुसकी अेक आँख भी चली गयी थी। शाहज़ादेके मुक़ाबलेमें वह कहीं भी टिक नहीं सकता था। बबलीको अपना पति ज़रा भी पसंद न था। अिसलिअे वह अपने घर नहीं जाती थी और अपने माँ-बापके साथ ही रहती थी। अिस बबलीके साथ शाहज़ादेका प्रेम हुआ। वे दोनों खुल्लमखुल्ला साथ-साथ बैठते-अुठते थे। बादमें तो शाहजादा बबलीके पिताके यही

रहने लगा। वह क़रीब-क़रीब घरजंवाअी जैसा बन चुका था। फ़र्क़ अितना ही था कि शाहज़ादेकी कमाअीसे बबली और अुसके माँ-बापका गुज़ारा होता था।

विनोदमें कह सकते हैं कि विषम विवाहके परिणाम-स्वरूप हिन्दू-मुस्लिम अैक्य अच्छी तरहसे जम गया।

बबलीपर शाहज़ादेका बेहद प्यार था। अपनी ब्याहता स्त्री न होते हुअे भी वह अुसे अपनी बीबीके जैसा ही मानता था। अिस कारण बबलीकी ओर कोअी जवान आदमी ज़रा देखे या बबली किसी भी जवानकी ओर देखे तो अुसके मनमें शक पैदा होता था और ईर्ष्या होने लगती थी। बबलीको ख़ुश रखनेके लिअे वह अपनी ओरसे अथक प्रयत्न करता था। खाना-पीना, कपड़े-लत्ते आदिमें वह खुले हाथों ख़र्च करता था। कानपुर अपने माँ-बापको वह पैसे नहीं भेजता था; पर बबलीके लिअे सबकुछ ख़र्च करता रहता था।

बबलीके यहाँ अेक वाघरी युवक आता था। अुसके साथ बबलीका बहुत अच्छा संबंध था। वे दोनों आज़ादीसे बोलते-चालते, घूमते-घामते और अेक-दूसरसे परस्पर हँसी-मज़ाक करते, मगर यह सारा व्यवहार भाअी-बहनके समान था। किसी तरहका अुनमें कोई अनुचित संबंध न था। फिर भी शाहज़ादेके अीर्ष्यालु मनमें पक्का वहम बैठ गया कि बबली अुस लड़केके साथ अनुचित संबंध रखती है। अिस कारण शाहज़ादा गुस्सेमें मन-ही-मन झुंझलाता रहता था। पराअी ब्याहता स्त्रीके साथ अनुचित संबंध रखनेका अपना हक़ माननेवाला शाहज़ादा वही आज़ादी दूसरेको देनेके लिअे तैयार न था, यह भी अेक प्रकारकी मनोवृत्तिका दर्शन है।

जहाँतक मुझे याद है, होलीका त्यौहार था। वह वाघरी युवक बबली के यहाँ खाना खाने आया था। दोनों खाते-खाते बातों और हँसी-मज़ाकमें मशगूल थे। अितनेमें शाहज़ादा भी आ पहुँचा। अुस वाघरी युवकको वहाँ देखते ही वह आग-बबूला हो गया। अुसने बबलीपर निर्दयता-पूर्वक छुरीसे हमला करके अुसे घायल कर दिया।

बबली लहूलुहान होकर बेहोश हो गअी और तुरंत मर गअी। शाहज़ादेको अपार दुःख हुआ। अुसने जो कुछ किया, अुससे अुसके दिलको बड़ी चोट लगी। किन्तु जो होना था वह हो चुका था। अब अुसके दिलमें डर पैदा हुआ कि 'मुझे पुलिस पकड़ेगी।' अिससे वह वहाँसे भागा। पुलिसवालोंको पता चला, पर वे आकर तहकीकात शुरू करें अिससे पहले ही शाहज़ादा अहमदाबाद स्टेशनपर पहुँच गया और ट्रेनमें बैठकर सीधा कानपुरके लिअे रवाना हो गया। शाहज़ादेकी खोज अहमदाबाद-में पुलिसवालोंने बहुत की; लेकिन कोअी पता न चला। वह कहाँ गया, अिसका भी पुलिसको पता न चला। शाहज़ादा कानपुरमें आजादीसे घूमता-फिरता था। अगर वह वहीं रहा होता तो शायद पकड़ा भी न जाता।

लेकिन अीश्वरकी योजना अपूर्व होती है। गुनहगारको नसीहत देनेके अीश्वरके मार्ग हम नहीं समझते। कानपुरमें अेकाध महीना रहनेके बाद शाहज़ादेके मनमें आया कि अब तो अहमदाबादमें खूनकी बात ठंडी पड़ गअी होगी। लेकिन अिस विचारसे भी बढ़कर अुसकी भावना यह थी कि वह बबलीके माँ-बापसे मिलकर माफ़ी मांगे और बबलीके स्मारकके तौरपर जहाँ वह रहती थी अुस कुटियाका दर्शन करे। प्रेमका आकर्षण

रहने लगा। वह क़रीब-क़रीब घरजंवाअी जैसा बन चुका था। फ़र्क़ अितना ही था कि शाहज़ादेकी कमाअीसे बबली अौर अुसके माँ-बापका गुज़ारा होता था।

विनोदमें कह सकते हैं कि विषम विवाहके परिणाम-स्वरूप हिन्दू-मुस्लिम अैक्य अच्छी तरहसे जम गया।

बबलीपर शाहज़ादेका बेहद प्यार था। अपनी ब्याहता स्त्री न होते हुअे भी वह अुसे अपनी बीबीके जैसा ही मानता था। अिस कारण बबलीकी अोर कोअी जवान आदमी ज़रा देखे या बबली किसी भी जवानकी अोर देखे तो अुसके मनमें शक पैदा होता था अौर ईर्ष्या होने लगती थी। बबलीको ख़ुश रखनेके लिअे वह अपनी अोरसे अथक प्रयत्न करता था। खाना-पीना, कपड़े-लत्ते आदिमें वह खुले हाथों ख़र्च करता था। कानपुर अपने माँ-बापको वह पैसे नहीं भेजता था; पर बबलीके लिअे सबकुछ ख़र्च करता रहता था।

बबलीके यहाँ अेक वाघरी युवक आता था। अुसके साथ बबलीका बहुत अच्छा संबंध था। वे दोनों आज़ादीसे बोलते-चालते, घूमते-घामते अौर अेक-दूसरसे परस्पर हँसी-मज़ाक करते, मगर यह सारा व्यवहार भाअी-बहनके समान था। किसी तरहका अुनमें कोई अनुचित संबंध न था। फिर भी शाहज़ादेके अीर्ष्यालु मनमें पक्का वहम बैठ गया कि बबली अुस लड़केके साथ अनुचित संबंध रखती है। अिस कारण शाहज़ादा गुस्सेमें मन-ही-मन झुंझलाता रहता था। पराअी ब्याहता स्त्रीके साथ अनुचित संबंध रखनेका अपना हक़ माननेवाला शाहज़ादा वही आज़ादी दूसरेको देनेके लिअे तैयार न था, यह भी अेक प्रकारकी मनोवृत्तिका दर्शन है।

जहाँतक मुझे याद है, होलीका त्यौहार था। वह वाघरी युवक बबली के यहाँ खाना खाने आया था। दोनों खाते-खाते बातों अौर हँसी-मज़ाकमें मशगूल थे। अितनेमें शाहज़ादा भी आ पहुँचा। अुस वाघरी युवकको वहाँ देखते ही वह आग-बबूला हो गया। अुसने बबलीपर निर्दयता-पूर्वक छुरीसे हमला करके अुसे घायल कर दिया।

बबली लहूलुहान होकर बेहोश हो गअी अौर तुरंत मर गअी। शाहज़ादेको अपार दुःख हुआ। अुसने जो कुछ किया, अुससे अुसके दिलको बड़ी चोट लगी। किन्तु जो होना था वह हो चुका था। अब अुसके दिलमें डर पैदा हुआ कि 'मुझे पुलिस पकड़ेगी।' अिससे वह वहाँसे भागा। पुलिसवालोंको पता चला, पर वे आकर तहकीकात शुरू करें अिससे पहले ही शाहज़ादा अहमदाबाद स्टेशनपर पहुँच गया अौर ट्रेनमें बैठकर सीधा कानपुरके लिअे रवाना हो गया। शाहज़ादेकी खोज अहमदाबाद-में पुलिसवालोंने बहुत की; लेकिन कोअी पता न चला। वह कहाँ गया, अिसका भी पुलिसको पता न चला। शाहज़ादा कानपुरमें आजादीसे घूमता-फिरता था। अगर वह वहीं रहा होता तो शायद पकड़ा भी न जाता।

लेकिन अीश्वरकी योजना अपूर्व होती है। गुनहगारको नसीहत देनेके अीश्वरके मार्ग हम नहीं समझते। कानपुरमें अेकाध महीना रहनेके बाद शाहज़ादेके मनमें आया कि अब तो अहमदाबादमें खूनकी बात ठंडी पड़ गअी होगी। लेकिन अिस विचारसे भी बढ़कर अुसकी भावना यह थी कि वह बबलीके माँ-बापसे मिलकर माफ़ी मांगे अौर बबलीके स्मारकके तौरपर जहाँ वह रहती थी अुस कुटियाका दर्शन करे। प्रेमका आकर्षण

बहुत ज़बर्दस्त होना है। जिस जगहपर बबली चलती-फिरती थी, अुस जगहका दर्शन करके उससे मिलनेका समाधान मानना, यही अहमदाबाद आनेका अुसका मुख्य हेतु था।

शाहज़ादा अहमदाबाद आया। दो दिन में ही पुलिसवालोंको पता चल गया और अुन्होंने अुसे गिरफ्तार कर लिया। उसपर बबलीके ख़ूनका मुक़दमा दायर कर दिया गया।

अुसका नैतिक या क़ानूनी बचाव कुछ भी नहीं था। नीति-का खयाल भी कभी शाहज़ादेको न छुआ था। अुसने तो यही बचाव किया कि बबलीका ख़ून किसने किया, यह अुसे नहीं मालूम। बबलीपर अुसका प्रेम था। अिसलिअे वह अुसका ख़ून करे, यह असंभव था। लेकिन और सबूत तो थे ही। अुस वाघरी युवकके कारण बबलीपर अुसकी शककी निगाह थी और अीर्ष्याके कारण गुस्सेमें आकर अुसने ख़ून किया, यह हक़ीक़त थी। साथ ही शाहज़ादेका यह भी कहना था कि वह शराबके नशेमें चूर था।

अदालत और जूरीने अुसका कथन न मानकर अुसे गुनह-गार ठहराया और अुसे फाँसीकी सज़ा दी। शाहज़ादेने सज़ा ठंडे दिलसे सुन ली; लेकिन जेलमें आने और कोठरीमें बंद होनेके बाद अुसे फाँसीके स्वरूपका दर्शन हुआ। अुसकी हिम्मत टूटने लगी और आँखोंसे आँसू बहने लगे।

शाहज़ादेके जेलमें दाखिल होनेके दूसरे रोज़ मैं अुससे मिला। हाअीकोर्टमें अुसकी अपील तो बाहरसे ही दाख़िल कर दी गअी थी। अिसलिअे अपील लिखनेका मेरा काम था ही नहीं। जब अपील रद्द हुअी, जैसी कि हमें कल्पना थी, तब दयाकी अर्ज़ीका मसविदा बनानेका काम मेरे पास आया। अिस बीच में

अुससे रोज़ मिलना था. अनेक बातें करके सारी सचाई मैंने जान ली थी। मुझे अुसका स्वभाव अुच्छृंखल और बच्चोंके जैसा मालूम हुआ। अतिशय भावना-प्रधान, अिस कारण अतिशय क्रोधी और साथ ही अविचारी भी। मनमें कुछ आया नहीं कि तुरन्त कुछ किया नहीं। जैसे-जैसे दिन बीतते गये, फाँसीका डर कम होता गया और फाँसीपर चढ़नेकी हिम्मत पानेके लिअे प्रयत्न किये जाने लगे।

दयाकी अर्जी भेजनेका समय आया तो महत्व का सवाल यह उठा कि किन मुद्दोंपर अर्जी की जाय। शाहज़ादेने अदालतमें झूठा बचाव किया था, अिसमें तनिक भी संदेह न था। अिस बचावपर अड़े रहनेसे दया कैसे मिल सकती थी! किये हुअे अपराधके बारेमें सच्चा अिक़रार हो, पछतावा हो तो दया देने-वालेका दिल कुछ पिघलाया जा सकता है। अिसलिअे शाहज़ादेसे मैंने कहा :

"अबतक तो तुमने अदालती ढंगसे झूठ चलाया; लेकिन अिसका नतीजा क्या हुआ? अब दयापर जीना है। जब फाँसी-पर जाना ही है तो सच बात बताकर, अपना गुनाह क़बूल करके, सरकारकी दयापर बातको छोड़ देना ही मुझे व्यावहारिक और लाभप्रद मालूम होता है।"

अुसे बहुत नहीं समझाना पड़ा। अुसने मेरी बात मान ली और दयाकी अर्जीमें सारी बातें सच-सच लिख दीं। बबलीके प्रति अुसने बड़ा अन्याय किया, यह स्वीकार करके अुससे माफ़ी चाही, अपने बूढ़े माँ-बापके दुःखपर ध्यान देनेकी बात कहकर दयाकी याचना की और अन्त में सरकारकी दया-दृष्टि-पर सबकुछ छोड़कर कहा कि "अगर सरकारने फाँसी क़ायम

रखी तो बबलीसे क्षमा चाहता और पछताता हुआ वह फाँसीके तख्तेपर चढ़नेके लिअे तैयार है। अगर ज़िन्दा रहा तो सारी ज़िन्दगी बबलीको याद करता रहेगा और रोज़ अुससे माफ़ी माँगता रहेगा।"

अर्जी भेजी गअी, लेकिन अनुकूल परिणामकी आशा नहीं थी। अिसलिअे अुसे मौतका तत्वज्ञान समझानेके सिवा मेरे पास दूसरा क्या रास्ता था? वह मुझसे बहुत बातें करता था। बबली कितनी प्रेमल थी, अुसपर बबलीका कितना स्नेह था, बबलीके साथ वह कैसा सुखी जीवन बिताता था, आदि बहुत-सी बातें वह करता रहता था। थोड़ेमें कहूँ तो अुसकी आँखोंके सामने अधिकतर बबली ही रहती थी।

अुसे अपने बूढ़े बापसे मिलनेकी अिच्छा थी। लेकिन गरीब आदमीकी मुराद आसानीसे पूरी नहीं होती। पैसोंका सवाल था, अिसलिअे मैंने अुसे आश्वासन दिया कि किरायेका अिन्तजाम मैं करवा दूंगा। यह आश्वासन मिलते ही अुसे बहुत शांति मिली। अुसने कहा, "दादासाहब, मेरी याददाश्तके तौरपर मेरी माँको अुसकी मुसीबतोंमें मददके लिअे कुछ पैसे भेजनेकी व्यवस्था आप नहीं करेंगे?" मरनेवालेकी अिस अिच्छाको कैसे ठुकराया जाता! अिसलिअे अिस बातको भी मैंने मंजूर कर लिया। अिससे शाहज़ादेको जो शांति मिली, वह देखकर मैंने भी अेक प्रकारका आनंद अनुभव किया।

शाहज़ादेका पिता अुससे मिलने आया और फाँसी दिये जाने तक वहीं रहा। शाहज़ादेकी लाश भी अुसीके सुपुर्द की गयी।

जब बाप मिलने आया तो अुसे बहुत दुःख हुआ। आँखोंसे आँसू बह रहे थे। सीखचोंके बाहर बाप खड़ा था। अुसकी बहुत

अिच्छा थी कि बेटेको छातीसे लगा ले। लेकिन जेलका कानून दोनोंके बीचमें होनेके कारण अुसे बाहर कैसे निकाला जा सकता था? अगर बाहर निकाला भी जाय तो अुसे हथकड़ियाँ पहनानी पड़तीं। शाहज़ादेने कहा, "दादासाहब, आप चाहे जो करें, लेकिन अेकबार मुझे अपने पिताके पैरोंपर पड़ लेने दीजिये।"

बात छोटी-सी थी; लेकिन मानव-जीवनमें यह भावना अमूल्य है। मुझे लगा कि अिसे किसी भी तरह संतोष मिलना ही चाहिये। बाप-बेटेको अिस तरहकी छोटी-सी चीज़में निराश करना मुझे भयंकर क्रूरता लगी। लेकिन मैं क्या कर सकता था? अिस संबंधमें जेलवाले अिजाज़त देंगे, यह मुझे संभव मालूम नहीं होता था। अिसलिअे मैंने ज़रा क़ानूनके बाहरका रास्ता अपनाया। पुलिस पहरेदारसे विनती की।

मेरी दर्दभरी विनतीको वह अस्वीकार न कर सका। मैंने अुसको आश्वासन दिया कि अगर तुम अिन बाप-बेटोंको मिलने दोगे और बेटेको हथकड़ीके बिना बापके पैरोंमें पड़ने दोगे तो यह बात बाहर किसीके भी कानोंमें नहीं जाअगी, यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। जेल-नियमके ख़िलाफ़ अिस कामके करनेके कारण अगर तुम्हें कुछ सहना पड़ा तो अुसमेंसे तुम्हें बचानेके लिअे मैं सुपरिन्टेंडेंटके पास अपनी तमाम ताक़त खर्च कर दूंगा। पहरेदार भी तो आख़िर मनुष्य ही था। अुसका दिल पिघल गया। जेल-अधिकारी यार्डमें आकर देखने न पावें, अिसलिअे अुसने पहले बाहरके यार्डका दरवाज़ा अन्दरसे बन्द किया। शाहज़ादेकी कोठरीका दरवाज़ा खोला। दो तो क्या, दस मिनिट बाप-बेटे मिले। बेटेने अपने बापके पाँव दबाये और आँसुओंसे

धोये। यह प्रसंग बहुत ही करुण और रोमांचकारी था। शाहज़ादेको फिरसे कोठरीमें बंद करनेके बाद मैंने भी अपने अन्दर अेक प्रकारके सन्तोषका अनुभव किया।

जब शाहज़ादेकी फाँसीका दिन निश्चित हुआ और अुसका अुसे पता चला तो मैं अुससे मिलने गया। अुसने पूछा, "दादा-साहब, आपको मालूम हुआ ?"

मैंने पूछा, "क्या ?"

वह बोला, "जिस दिन मुझे फाँसी दी जायगी अुसी दिन बबली मरी थी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि बबली जिस दिन स्वर्ग सिधारी अुसी दिन मैं भी अुसे मिलनेके लिअे जानेवाला हूँ।"

अुसके चेहरेपर आनन्दका भाव था।

प्रेमका कितना प्रभाव है! वह खून भी कराता है और मरनेमें आनन्द भी प्राप्त कराता है!!

: ९ :

हृदय-परिवर्तन

धंधुकाकी ओरका अेक गोसाअीं बाबा खूनके अिल्ज़ाममें फाँसीकी सज़ा पाकर आया। अुसके आनेके बादसे ही जब-जब मैं अुससे मिलनेके लिअे फाँसीकी कोठरीमें जाता था, वह अपनी कोठरीमें गाढ़ी नींदमें सोता हुआ दिखाअी देता था। अिस कारण अुसके साथ बातचीत करके गहरा परिचय करनेके मौक़े नहीं मिले और अिस प्रकार अुसके मुक़दमेकी बातें मैं अुससे विस्तृत रूपसे नहीं जान सका।

बाबाने पड़ोसकी अेक जवान औरतका खून किया था। अुस औरतके साथ अुसका अनुचित संबंध था। अेक रोज़ अुस बाअीने अुसकी अिच्छाके अधीन होनेसे अिन्कार किया। अिससे अुत्तेजित होकर अुसने अपने पासका तीखा नोकदार सींग अेकदम ज़ोरसे अुस स्त्रीके पेटमें भोंक दिया, जिससे बाअी वहीं-की-वहीं मर गअी।

सच पूछा जाय तो मुक़दमेमें अपील या दयाकी अर्ज़ी करने जैसा कुछ था ही नहीं। जेलवालोंने अुसकी अपील व दयाकी अर्ज़ी भेजी थी, मगर अुसका नतीजा कुछ भी निकलनेवाला नहीं था, यह निश्चित था।

अपनी विषय-वासना तत्काल पूरी न हो सकी, अिस कारण क्रोधमें आकर अेक जवान औरतका निर्मम खून करनेवालेके प्रति किसकी सहानुभूति हो सकती है? मुझे भी अुसके अिस कृत्यसे

नफरत थी, पर अुसे तालाबंद कोठरीमें देखकर मेरी अुसके प्रति अैसी भावना होती थी, मानो कसाअीखानेमें जानेवाला प्राणी है। केवल अिस भावनाके वशीभूत होकर ही मैं अुससे बातें करने और कुछ दिलासा देनेके लिअे अुसके पास जाता था।

बाबाको जिस दिन फाँसी दी जानेवाली थी अुससे पहली शामको अुन्होंने मुझसे बहुत ही आजिजीके साथ आग्रह किया, "दादासाहब, कल सुबह मैं यह संसार छोड़कर चला जाअूँगा। तड़के ही यहाँ आकर अीश्वर-प्रार्थना और गीताजीका अेक अध्याय मुझे नहीं सुनायेंगे?" मुझे अुनकी अिस माँगपर आश्चर्य हुआ। किन्तु जिस तरह अुन्होंने विनती की, अुसमें मुझे अुनके दिलका दर्द और अुनकी निष्कपटता दिखाई दी। अिस कारण मैंने फ़ौरन अिसकी स्वीकृति दे दी। श्री मामासाहब फड़के (गोधरा हरिजन आश्रमवाले) मेरे साथ थे। सुबह अुनके साथ जानेका मैंने तय किया। गीताके अध्यायका पाठ तो मैं कर सकता था; पर प्रार्थना और भजन गानेका काम मामासाहब अच्छी तरहसे करते हैं, यह मैं जानता था।

जेलके अधिकारियोंकी खास अिजाजत लेकर हम सुबह, क़रीब छह बजे, बाबाकी कोठरीमें पहुँचे। मजिस्ट्रेट और बाहरके दूसरे अफ़सर फाँसीके समय हाज़िर रहनेके लिअे आनेवाले थे और अुनके सामने हम राजनैतिक क़ैदियोंको बाबासे मिलने नहीं दिया जायगा, अिस कारण अुन लोगोंके आनेसे पहले ही हमें प्रार्थना और गीतापाठ करके वापस लौटना था। अिसलिअे भी हम दोनों बड़े तड़के वहाँ गअे थे।

हम दोनोंको देखकर बाबाको बहुत संतोष हुआ। हमने अुनकी कोठरीके दरवाज़े खुलवाये और अुनके पास बैठकर दोनों

ने 'आश्रम भजनावली' मेंसे आश्रममें रोज की जानेवाली सुबहकी प्रार्थनाकी. अुसके बाद गीताके आठवें अध्यायका पाठ किया।

यह कार्यक्रम पूरा होनेके बाद हमने बाबाजीसे कहा, "अब हमें जाना चाहिये। अब आप अीश्वरका ध्यान करके अिस दुनियाको भूल जाओ। अीश्वर तुम्हें शक्ति दे. यही हमारी प्रार्थना है।"

बाबाने पूछा. "अब फांसी होनेतक मुझे अीश्वरका स्मरण किस तरह करना चाहिये?"

मैंने कहा. "गीताके आठवें अध्यायका अभी हमने पाठ किया। अुसमें स्वयं भगवानने कहा है:

ॐ अित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्।
यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्॥

आखिरी क्षणमें जो ॐ कहकर देहका त्याग करता है, अुसको अुत्तम गति प्राप्त होती है। अिसलिअे अब तुम 'ॐ—ॐ' की रटन अंतिम क्षणतक करते रहो।"

बाबाने हँसते हुअे कहा, "बहुत अच्छा।" अुन्हें लगा कि वह भले ही चाहे जितने बड़े पापी हों; लेकिन स्वर्ग प्राप्त करनेकी कुंजी अुन्हें मिल गअी। अुन्होंने 'ॐ—ॐ' का जाप तुरंत शुरू कर दिया। बादमें पता चला कि वह बहुत ही हिम्मत व शांतिके साथ फाँसीके तख्तेपर चढ़े। मुंहसे 'ॐ—ॐ' का अुच्चार करते ही रहे। फाँसी दे चुकनेके बाद कहीं अुनका 'ॐ—ॐ' का जाप बंद हुआ।

मनुष्यकी मनोरचनामें अैसा कौन-सा तत्व अीश्वरने रखा है, जिससे मृत्युको प्रत्यक्ष देखकर अुसका सामना करनेका तत्वज्ञान थोड़े ही समयमें वह ग्रहण कर लेता है? कोअी मनोविज्ञानवेत्ता ही अिसका रहस्य बता सकेगा।

: १०

तिकड़मी ओझा

सन् १९४३ की बात है। साबरमती जेलमें मैं अपनी कोठरीमें बैठा काम कर रहा था कि अितनेमें अेक काँग्रेसी भाअीने, जो अभी जेलके आफिससे होकर आये थे, बहुत ही कातर होकर कहा, "दादासाहब, अभी-अभी गोधरासे फाँसीके सजायाफ्ता दो कैदी आये हैं, अुनमेंसे अेककी अुम्र तो बहुत ही कम यानी सोहल-सत्रह सालकी है। क्या अितनी कम अुम्रवालोंको कानून फाँसीकी सजा दे सकता है ?"

सुनकर मुझे भी धक्का लगा। जिसने अभी जीवनका प्रारंभ ही नहीं किया है अुसके हाथों अैसा क्या हुआ ? और कुछ हुआ भी तो फाँसी जैसी कड़ी सज़ा क्यों दी गयी ! मैंने अुन भाअीसे पूछा, "क्या कहते हैं आप ? सोलह-सत्रह सालकी अुम्र है ? यकीन नहीं होता। शायद देखनेमें वह छोटा मालूम होता होगा। अुम्र अुसकी पक्की होगी, वरना कोअी न्यायाधीश अैसी सजा नहीं देता।"

कहनेको मैंने कह तो दिया; लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। अूपरकी बातें सुनते ही मैं अुन दोनोंसे मिलनेके लिअे फाँसीकी कोठरीपर गया।

जिस जगहपर फाँसी दी जाती है अुसके पास ही सामनेकी ओर कअी कोठरियाँ बनायी गअी हैं, अुस हिस्सेको जेलकी भाषामें 'फाँसी की कोठरी' कहा जाता है। अिस नामके कारण अेक दिलचस्प

क़िस्सा भी बन गया था। सत्याग्रह-आन्दोलनके समय जब कांग्रेसी क़ैदियोंकी तादाद बहुत बढ़ गयी थी तब कुछ कांग्रेसवालोंको 'फाँसीकी कोठरी' में रखा गया था। ये लोग जब अपने घर कुशल-समाचार भेजते थे तो अपने पतेकी जगह 'फाँसीकी कोठरी' लिखा करते थे। अिस परसे कअियोंके रिश्तेदारोंको चिन्ता होने लगी कि क्या...भाअीको फाँसी होनेवाली है? सजा कब दी गअी? अुनकी अपील वगैरा कुछ नहीं होगी क्या? अिस तरहकी चिन्ता से भरे पत्र रिश्तेदारोंकी ओरसे आये थे। तब अिसका कुछ-कुछ खयाल हुआ कि फाँसीकी कोठरीके नामसे बाहर कितना क्षोभ हो गया था।

फाँसीकी कोठरीमें जाकर मैंने अुन दोनोंको देखा। दोनों खूब रोते थे। अुनके मन अस्थिर थे और आस-पासके दृश्य और वायुमंडलसे उन्हें अैसी अनुभूति हो रही थी, मानो वे मौतका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हों।

पहले मैंने अुस लड़केके साथ बातचीत की और पूछताछ शुरू की। अुसकी अुम्र सचमुच सोलह-सत्रह सालकी थी। दूसरेके साथ भी बात की। लेकिन अुस लड़केको देखनेके बाद मेरे मनकी अस्थिरता अितनी बढ़ी कि अुनके साथ मैं ब्यौरेवार बातें नहीं कर सका। अुन्हें अितना ही दिलासा दिया कि "कुछ चिन्ता न करें। भविष्यमें जो होनेवाला है, वही होगा। लेकिन तुम्हारे मुक़दमेके फ़ैसलेकी नक़ल मिलनेपर, अुसे देखकर हाअीकोर्टमें अपील दाखिल कर दूँगा। आशा करता हूँ कि अीश्वर सब अच्छा ही करेगा।"

अिन शब्दोंसे अुन्हें कुछ तसल्ली हुअी। साथ ही मैंने पहरे-दारोंसे कहा कि अिन दोनोंको और ख़ास तौरसे अिस किशोर

बालकको जो कुछ चाहिये वह लाकर दे दिया करें। जेलके कानूनके मुताबिक जेलर या सुपरिण्टेंडेंटकी अिजाजत लेना हो तो मुझे बतावें। मैं जो ज़रूरी होगा करूँगा।

: २ :

फाँसीकी सजा देनेवाले पंचमहालके सेशन्स जजके फैसलेकी नकल मुझे दो दिन बाद मिली। अिस फैसलेको मैंने दो बार ध्यानसे पढ़ा। अुसमें बताये अनुसार अुनके मुकदमेकी हकीकत अिस प्रकार थी—

वीरा (अुस लड़केका नाम) अुसका बाप शंकर और माधो (फाँसीकी सजावाला) जो अुनके यहाँ नौकरी करता था, अिन तीनोंने अेक षड्यंत्र रचा और शंकरके चचेरे भाअी (जिसका नाम कचरा था) के तीन बच्चोंको (अनुक्रमसे सात, पाँच और तीन सालकी अुम्र के) ज़हर दिया, जिससे दो छोटे बच्चे मर गये और सबसे बड़े बच्चेको बहुत पीड़ा हुअी (वह मरा नहीं)। अिस तरह अिन बालकोंके ख़ूनका अुन दोनोंपर आरोप था। शंकर और कचराके बीच अपने पिताकी संपत्तिके बँटवारेके संबंधमें कोअी बारह साल पहले कुछ झगड़ा हुआ था। पुलिसवालोंका कहना था कि अिस झगड़ेका बदला लेनेकी शंकर और वीराने गुप्त सलाह की और अुसमें माधो कुम्हारकी मदद ली। ज़हरमें नीलाथोथा चीनीके साथ दिया गया था। वीराने मंजूर किया कि चीनीकी पुड़ियां अुसने अुन तीनों बालकोंको दी थीं। लेकिन अुसका कहना था कि माधोने अुसे 'माताजीका प्रसाद है' बताकर बच्चोंको देनेके लिअे कहा था और अुसने अुसके अनुसार किया। अुसे क्या मालूम कि अुसमें क्या था! अिधर माधोका कहना था कि वह अिस विषयमें कुछ नहीं जानता। भाअी-भाअीके झगड़ेमें

बालकको जो कुछ चाहिये वह लाकर दे दिया करें। जेलके कानूनके मुताबिक जेलर या सुपरिण्टेडेंटकी अिजाजत लेना हो तो मुझे बतावें। मैं जो ज़रूरी होगा करूँगा।

: २ :

फाँसीकी सजा देनेवाले पंचमहालके सेशन्स जजके फैसलेकी नकल मुझे दो दिन बाद मिली। अिस फैसलेको मैंने दो बार ध्यानसे पढ़ा। अुसमें बताये अनुसार अुनके मुकदमेकी हकीकत अिस प्रकार थी—

वीरा (अुस लड़केका नाम) अुसका बाप शंकर और माधो (फाँसीकी सजावाला) जो अुनके यहाँ नौकरी करता था, अिन तीनोंने अेक षड्यंत्र रचा और शंकरके चचेरे भाअी (जिसका नाम कचरा था) के तीन बच्चोंको (अनुक्रमसे सात, पाँच और तीन सालकी अुम्र के) ज़हर दिया, जिससे दो छोटे बच्चे मर गये और सबसे बड़े बच्चेको बहुत पीड़ा हुअी (वह मरा नहीं)। अिस तरह अिन बालकोंके खूनका अुन दोनोंपर आरोप था। शंकर और कचराके बीच अपने पिताकी संपत्तिके बँटवारेके संबंधमें कोअी बारह साल पहले कुछ झगड़ा हुआ था। पुलिसवालोंका कहना था कि अिस झगड़ेका बदला लेनेकी शंकर और वीराने गुप्त सलाह की और अुसमें माधो कुम्हारकी मदद ली। ज़हरमें नीलाथोथा चीनीके साथ दिया गया था। वीराने मंजूर किया कि चीनीकी पुड़ियां अुसने अुन तीनों बालकोंको दी थीं। लेकिन अुसका कहना था कि माधोने अुसे 'माताजीका प्रसाद है' बताकर बच्चोंको देनेके लिअे कहा था और अुसने अुसके अनुसार किया। अुसे क्या मालूम कि अुसमें क्या था! अिधर माधोका कहना था कि वह अिस विषयमें कुछ नहीं जानता। भाअी-भाअीके झगड़ेमें

अुन्होंने कुछ किया हो तो अुसकी ज़िम्मेदारी अुनपर है। वह तो नौकर है। अुसे कुछ भी पता नहीं।

पुलिसकी तहक़ीक़ातमें यह मालूम हुआ कि ख़ून होनेके कुछ दिन पहले माधो गोधरा गया था और वहाँके किसी बोहरेकी दुकानसे नीलाथोथा ख़रीद लाया था। अिसलिअे यह बात निश्चित थी कि माधोका यह कथन कि वह कुछ नहीं जानता, बिलकुल झूठ है। लेकिन बादमें माधोने बताया कि नीलाथोथा मालिक (शंकर) के कहनेसे वह लाया था। अुसका शंकरने क्या अुपयोग किया, यह अुसे नहीं मालूम। वीराका कहना कि प्रसाद कहकर अुसने (माधोने) वे पुड़ियां दीं, बिलकुल झूठ है। वीराने ही वे दी। लेकिन वह अुन्हें कहाँसे लाया, अिसकी अुसे कोअी जानकारी नहीं है।

बारह साल पहलेके मिलकियत-संबंधी झगड़ेपरसे अदालतने मान लिया कि अदावतके कारण यह ख़ून हुआ है। लेकिन शंकरको अिस संबंधमें कुछ जानकारी थी या नहीं, या शंकरसे वीराको पुड़ियां मिली थीं या नहीं, अिस बारेमें कोअी सबूत न होनेके कारण अदालतने यद्यपि ख़ून का षड़यंत्र स्वीकार किया, तथापि शंकरको निर्दोष छोड़ दिया और माधोको फाँसीकी सजा दी।

: ३ :

फाँसीकी सजाके विरुद्ध मुद्दोंपर हाअीकोर्टमें अपील की जा सकती है अिसे देखनेके लिअे सेशन कोर्टके फैसलेका मैंने सूक्ष्म अध्ययन किया। वीराकी कम अुम्रको देखते मुझे विश्वास था कि अुसे फाँसी नहीं दी जा सकती, किन्तु फैसलेको पढ़नेके बाद मुझे लगा कि पुलिसवालोंने जो ख़ूनकी वजह बताअी थी, वह काफ़ी नहीं थी। बारह साल पहलेके क़रीब-क़रीब विस्मृतिमें पड़े हुअे

कुटुम्बी मिलकियतके झगड़ेके कारण यकायक कोअी ख़ून करे और वह भी अुसका नहीं जिससे अदावत है, बल्कि अुसके मासूम बच्चोंका, यह मूल बात ही मेरे गले नहीं अुतरी। अिसीलिअे मैं मानता था कि मुल्ज़िमोंके लिअे अपील करनेका बहुत बड़ा कारण है। लेकिन वीराने पुड़ियां देनेकी बात कबूल की थी, अिसलिअे अुसका निर्दोष होकर छूटना असंभव था। यह तो हुअी क़ानूनी अपीलकी बात। वीराकी बात मैं बिलकुल सत्य मानता था। अिसलिअे ख़ून किस तरह हुआ, यह जाननेकी मुझे बड़ी जिज्ञासा थी। सच्ची बात जाननेके लिअे मेरा मन आतुर था।

लेकिन वह अेकदम कैसे मालूम हो? क़ानूनके अनुसार सात दिनोंमें अपील लिखकर भेज देनी चाहिये, अिसलिअे पहले तो अपील लिख डाली। अुसमें मुख्य मुद्दा यह था कि ख़ूनकी जो वजह पुरानी अदावत बताअी गअी है वह संतोषजनक नहीं है। अिसलिअे बच्चोंकी मौत हो जानेपर भी अिनपर ख़ूनका अिल्ज़ाम साबित नहीं होता। वीराने जानबूझकर दी थीं, अिस बातको भी स्वीकार कर लें तो भी अधिक-से-अधिक लापरवाही वाले कृत्यके लिअे अुसे गुनहगार ठहरा सकते हैं। और अंतमें मैंने जजसे अपील की थी कि जब यह मुक़दमा चले हमें रूबरू बुलाया जाय। हमारे चेहरे और वीराकी अुम्रको देखनेसे आपको लगेगा कि हम ख़ून करें, अैसे आदमी नहीं हैं। अिस माँगके पीछे मेरा हेतु यही था कि नाबालिग वीराको देखकर, अुसने अपराध चाहे किया हो, या न किया हो, अदालत अुसकी फाँसीकी सज़ा कम किये बिना नहीं रहेगी। माधोका जो होना होगा सो होगा।

अब मैं ख़ूनका हेतु खोजनेके पीछे पड़ गया। कागजातसे

अिस बारेमें कोअी रोशनी नहीं मिली और मिले, अैसा संभव भी नहीं था। मुझे तो माधो या वीरासे ही सच्ची हक़ीक़त मालूम कर लेनी थी। अपने नित्यक्रमके मुताबिक मैं अुनके पास रोज़ घंटा-डेढ़ घंटा बैठता था। किन्तु वीरा अिससे ज्यादा कुछ भी मुझसे बता न सका। वह तो अेक ही बात बहुत दयनीय रीतिसे कहता था कि अिस माधोने माताजीका प्रसाद कहकर पुड़िया मेरे हाथोंमें दीं और मैंने वह बच्चोंको दीं। अिसके सिवा मैं और कुछ विशेष जानता नहीं हूँ।

मेरी परेशानी बढ़ी। अब सिर्फ़ माधो ही कुछ रोशनी डाल सकता है। मुझे अैसा भी लगा कि निःसंदेह ख़ून माधोने ही करवाये हैं। लेकिन सवाल यह था कि माधो बच्चोंका ख़ून किसलिअे करता? बच्चोंके साथ अुसकी क्या अदावत हो सकती थी? मैं सोचमें पड़ा और मुझे सूझा कि अिन बच्चोंके पिताके खिलाफ़ माधोको शायद कुछ रोष होगा, जिसका बदला लेनेके लिअे अुसने यह सब किया होगा। अिस अनुमानके सहारे मैं आगे बढ़ा। माधोको ख़ूब समझाकर अुससे बातें कीं। मैंने कहा, "तुझे फाँसीपर चढ़कर मरना तो है ही। और मैं न तो तुम्हारा कोअी दुश्मन हूँ और न सरकारी आदमी। मैं तुम्हारा मित्र ही हूँ। तुम्हें बचानेकी कोशिश करता हूँ। फिर भी तुम मुझे सच्ची बात नहीं बता रहे हो!"

दो-तीन दिनके बाद अुसके दिलमें भगवान अुतरे और वह तब जब कि मैंने तंग आकर और कुछ गुस्सेमें अुससे कहा, "तुम सच तो बोलते नहीं, अिससे अब मैं तुम्हारे पास नहीं आअूँगा। अेक पापीकी हैसियतसे ही तुम फाँसीपर लटकने और नरकमें जानेके योग्य हो। तुम्हारा मरना अब निश्चित है।

फिर भी तुम्हें सच बोलनेकी सद्बुद्धि नहीं होती। तो तुम जैसेके पास आकर मैं अपना वक्त व्यर्थ क्यों बरबाद करूं? मान लो कि हाओीकोर्टने तुम्हें निर्दोष कहकर छोड़ दिया, फिर भी मेरा तो विश्वास है कि कचरासे दुश्मनी के कारण खून तो तुमने ही किया है। तुम चाहे अुसे क़बूल करो या न करो, अीश्वरके सामने तो यह बात निश्चित है ही।"

यह तीर ठीक लगा। माधो रोने और माफ़ी माँगने लगा। अुसने आजिजीसे कहा कि आप मुझको न छोड़िये और रोज़ मिलते रहिये। अुसने सच्ची बात बता दी।

: ४ :

माधो गाँवमें ओझाका धंधा करता था। जंतर-मंतर करके कुछ आय भी कर लेता था। अिस धंधेसे अुसे ठीक-सी आय होती थी। कचरा सचमुच अेक तरहसे गाँवका कचरा ही था, बहुतोंके लिअे कष्टदायक। लोग अुससे तंग आ गये थे। अुससे बचनेके लिअे गाँवके कअी लोग समय-समयपर माधोके पास आते और पैसे देकर कुछ टोने-टोटके कराते थे। लेकिन अिससे कोअी फ़ायदा नहीं हुआ। पैसे देनेवाले लोग अिस कारण माधोसे बहुत नाराज़ हुअे। अुन्होंने कहा, "क्यों माधोजी, तुम्हारा तो यह सब ढोंग-ढकोसला मालूम होता है। अितना जादू-टोना किया करते हो; पर कचरापर अुसका कोअी असर नहीं होता। अैसा मालूम होता है कि तुम लोगोंको ठगते हो और अुनसे पैसे अैंठते हो।"

माधोको यह बात बहुत चुभी। अुसे डर लगा कि अुसका पेशा अब नहीं चलेगा। अिसलिअे अुसने लोगोंसे कहा, "देखो, अब मैं दूसरी तरहका मंतर करता हूँ। यदि कचरा सीधी राह

न चलेगा तो तुम देखोगे कि अुसपर थोड़े ही दिनोंमें माताजीका कोप होगा और आफ़त आ जायगी।"

अिसके बाद माधोने सोचा और तय किया कि कुछ अैसा करे जिससे कचरेके बच्चे मर जायँ। अिसलिअे गोधरा जाकर बाज़ारसे वह नीलाथोथा ले आया और अुसमें चीनी मिलाकर पुड़ियां बनायीं और उनको माताजी के प्रसादके तौरपर निर्दोष बच्चोंको वीराके हाथों दिलवायीं।

अब ठीक तरहसे कड़ी हाथमें आगयी। खूनका सच्चा हेतु भी मालूम हुआ। अदालतमें जो सत्यकी खोज हुअी वह अुल्टे ही प्रकारकी थी, यह सहज ही मालूम हो गया। साथ ही मनुष्य जो बर्ताव करता है अुसके पीछे कैसे गहरे हेतु हो सकते हैं, अिसका भी कुछ अन्दाज़ अिस क़िस्सेसे होता है। यह बात सुनकर मेरे मनमें जो हक़ीक़त जाननेकी अुत्कंठा थी, अुसका समाधान हो गया। माधोके प्रति मेरी भावना बदल गअी। वह सच बोला, अिसी कारण मैं अुसे क्षमा दिलवानेके लिअे तैयार हो गया। मेरे दिलमें तो अुसके प्रति क्षमाभाव ही अुमड़ने लगा।

: ५ :

शामके साढ़े सात बजे थे। सारा जेलखाना बंद हो गया था। सब क़ैदियोंकी कोठरी और वार्डमें ताले लगाये जा चुके थे। अितनेमें मेरे वार्डके दरवाजे खटके। जेलरका संदेशा लेकर वार्डर आया था। कहने लगा, "साहब, ज़रूरी काम है। जेलर साहब आपको दफ्तरमें बुलाते हैं।" मैं अुलझनमें पड़ा। क्या होगा? अिस वक्त अैसा कौनसा ज़रूरी काम आया होगा? मेरी जेल बदली होती तो स्वयं जेलर यहाँ आकर कह देता कि 'साहब, बिस्तर बाँध लीजिये, आपको जाना है।' अैसा कहनेके

बजाय अुन्होंने दफ्तरमें बुलाया है !

लेकिन मुझे अधिक समय तक भ्रान्तिमें नहीं रहना पड़ा। दफ्तरमें पहुँचते ही मैंने माधो और वीराको हाथ-पाँवोंमें बेड़ियाँ पहने वहाँ बैठे देखा। मैं समझ गया। जेलरने बताया, "दादा-साहब, अभी हाअीकोर्टसे तार आया है। अिन लोगोंकी अपीलका फैसला कल बम्बअीमें सुनाया जायगा। अिसलिअे अदालतमें अुन्हें प्रत्यक्ष हाजिर रहनेका हुक्म दिया है। अिन लोगोंको पुलिसके पहरेमें अभी भेज रहे हैं। अिन लोगोंकी अिच्छा थी कि जानेसे पहले आपसे मिल लें। अिसलिअे आपको तकलीफ देनी पड़ी।"

मुझे स्वाभाविक रूप से बड़ा आनंद हुआ। पहला भाव तो मनमें यही आया कि अपीलमें की हुअी विनयके अनुसार कैदियोंका अदालतमें अुपस्थित रहनेका जो हुक्म हाअीकोर्टने किया है अिससे वीरा तो फाँसीसे बच ही जायगा। मुझे अिस बातका भी संतोष था कि अिन लोगोंसे मिलनेका और अुन्हें दो बातें कहनेका मुझे मौका मिला। दोनों बड़े प्रेमसे मेरे पाँवोंपर गिर पड़े। मैंने अुनसे कहा, "देखो, जज साहब तुमसे कुछ पूछें तो लंबी-चौड़ी बातें करनेके बदले अितना ही कहना कि हमारी अर्जीमें जो लिखा है, अिससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना है। आप जो अिन्साफ करेंगे वही हमें कबूल है। हमपर रहमकी निगाह रखियेगा, अितनी ही हमारी प्रार्थना है।"

अिस प्रकारकी सूचना देनेकी वजह यह थी कि आरोपी अेक-दूसरे के खिलाफ़ आक्षेप करके कहीं अपने मामलेको बिगाड़ न लें।

चार-पाँच दिनके बाद शामके करीब ७ बजे मेरी कोठरीपर आकर जेलरने कहा, "दादासाहब, आपको तकलीफ़ देनेकी मुझे कोअी अिच्छा नहीं थी। लेकिन वह दुष्ट माधो आज सुबहसे

जेलके दरवाज़ेपर आकर बैठा है और कहता है कि "असे आपके दर्शन करने हैं?" मैंने असससे कहा कि तुम्हारे जैसे पापीको दर्शन काहेके? असे नालायक आदमीके लिअे आपको तकलीफ़ देना मुझे पसन्द नहीं है। लेकिन वह तो वहाँ जमकर बैठा है! और कहता है कि जबतक दादासाहबके दर्शन नहीं होते तबतक यहीं बैठा रहूँगा। कोअी ग्यारह घंटेसे बैठा है, असलिअे मैंने सोचा कि चलो, आपको थोड़ी तकलीफ़ ही दूँ और अस बलाको दरवाज़ेसे टालूं। आप आयेंगे तो ठीक होगा।"

मैंने हँसकर जवाब दिया, "असमें मुझे कौनसी तकलीफ़ होनेवाली थी? अस बेचारेको ग्यारह घंटे बिठाया, असमें असकी भी अच्छी कसौटी हुअी।" यह कहकर मैं जेलर के साथ दफ्तर गया।

जेलर ने आफिसके दरवाज़ेपर जाकर माधोसे कहा, "लो दादासाहब आ गये। क्या कहना है अिनसे?"

असने कहा, "मुझे बाहरसे कुछ नहीं कहना है। अन्दर आकर ही कहूँगा।"

जलरने असको दुत्कार दिया। तब मैंने कहा, "आने दीजिये दो मिनटक लिअे गरीबको। बेचारा घंटोंसे बैठा है। देखें तो सही कि वह क्या कहना चाहता है?"

माधो भीतर आया। मैं कुरसीपर बैठा था। दरवाज़ेसे भीतर आते ही असने दौड़कर मेरे पाँवपर अपना सिर रखा और पाँव दबाने लगा। मैंने बहुत अिन्कार किया। किंतु दो-चार मिनिटतक तो वह चिपका ही रहा। असकी आँखोंसे आँसू बहते थे। वह मुझसे शब्दोंसे नहीं, बल्कि आँसुओंसे बोलता था। पहला आवेग शांत होनेके बाद मैंने असससे हाल-चाल पूछा।

बजाय अुन्होंने दफ्तरमें बुलाया है !

लेकिन मुझे अधिक समय तक भ्रान्तिमें नहीं रहना पड़ा। दफ्तरमें पहुँचते ही मैंने माधो और वीराको हाथ-पाँवोंमें बेड़ियाँ पहने वहाँ बैठे देखा। मैं समझ गया। जेलरने बताया, "दादा-साहब, अभी हाअीकोर्टसे तार आया है। अिन लोगोंकी अपीलका फैसला कल बम्बअीमें सुनाया जायगा। अिसलिअे अदालतमें अुन्हें प्रत्यक्ष हाजिर रहनेका हुक्म दिया है। अिन लोगोंको पुलिसके पहरेमें अभी भेज रहे हैं। अिन लोगोंकी अिच्छा थी कि जानेसे पहले आपसे मिल लें। अिसलिअे आपको तकलीफ देनी पड़ी।"

मुझे स्वाभाविक रूप से बड़ा आनंद हुआ। पहला भाव तो मनमें यही आया कि अपीलमें की हुअी विनयके अनुसार कैदियोंका अदालतमें अुपस्थित रहनेका जो हुक्म हाअीकोर्टने किया है अिससे वीरा तो फाँसीसे बच ही जायगा। मुझे अिस बातका भी संतोष था कि अिन लोगोंसे मिलनेका और अुन्हें दो बातें कहनेका मुझे मौका मिला। दोनों बड़े प्रेमसे मेरे पाँवोंपर गिर पड़े। मैंने अुनसे कहा, "देखो, जज साहब तुमसे कुछ पूछें तो लंबी-चौड़ी बातें करनेके बदले अितना ही कहना कि हमारी अर्जीमें जो लिखा है, अिससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना है। आप जो अिन्साफ करेंगे वही हमें कबूल है। हमपर रहमकी निगाह रखियेगा, अितनी ही हमारी प्रार्थना है।"

अिस प्रकारकी सूचना देनेकी वजह यह थी कि आरोपी अेक-दूसरे के खिलाफ़ आक्षेप करके कहीं अपने मामलेको बिगाड़ न लें।

चार-पाँच दिनके बाद शामके करीब ७ बजे मेरी कोठरीपर आकर जेलरने कहा, "दादासाहब, आपको तकलीफ़ देनेकी मुझे कोअी अिच्छा नहीं थी। लेकिन वह दुष्ट माधो आज सुबहसे

अुसने कहा, "मुझे निर्दोष कहकर छोड़ दिया और वीराको तीन सालकी सज़ा हुअी। कम अुम्रके कारण अुसे धारवाड़के बच्चोंके जेलमें भेज दिया। बम्बअीसे मैं सुबह सीधा यहाँ आया। आपके आशीर्वादके लिअे बैठा था।"

यह प्रसंग सचमुच जीवनके भावपूर्ण प्रसंगोंमेंसे अेक था। माधोकी भावना दिलसे उठी थी और प्रबल थी, अिसमें मुझे कोअी शंका नहीं थी, लेकिन मैं अुसे क्या आशीर्वाद देता? हाँ, मैंने थोड़ी नसीहत दी, "अीश्वरने तुम्हें बचाया है। समझो कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। आयंदा किसीके साथ प्रपंच और कपट न करना। सब लोगोंके साथ सच्चाअी और प्रेमसे पेश आना। तभी तुम्हें बचानेमें जो मैं निमित्त हुआ, अिसमें मुझे भी कृतार्थ होनेकी भावना रहेगी। नअी जिन्दगी अच्छी तरह बितानेके लिअे अीश्वर तुम्हें बुद्धि और शक्ति दे।"

हर्षके साथ माधो जेलके बाहर गया और मैं अपनी कोठरीमें। वह रात मैंने बहुत ही सुखद विचारोंमें बिताअी।

: ११ :

मोती

टर्रर्रन्...टर्रर्रर्रन्...टर्रर

मैंने कहा, "कोअी है? किसका

चपरासी ने देखा। बोला, "सा'ब,

है।"

मैंने फोन हाथमें लिया, "हलो...कौन हैं?"

"मैं छोटाभाअी सुतरियाका लड़का हूँ। अुनकी सूचनाके अनुसार फोन कर रहा हूँ।"

"क्या काम है?"

"मोतीकी रिहाअीका हुक्म आज जेलमें आया है। आप जेलपर अुसे लेनेके लिअे आनेवाले थे, तो आप कब आ सकेंगे? जिस दिन आप आयेंगे अुस दिन अुसको रिहा करेंगे।"

मैंने कहा, "अभी चार दिन पहले ही मैं बड़ौदासे लौटा हूँ और अब काम बहुत है। अिससे वहाँ जानेके लिअे वक्त कहाँसे निकालूँ? मेरी ओरसे आप ही जेलपर हाज़िर रहिये और मोतीसे कहिये कि 'दादासाहब अभी बड़ौदा आकर तुमसे मिल ही गये हैं। इस समय भी आते, मगर अुन्हें काम बहुत है।' यह कहकर मोतीसे पूछ लें कि क्या अुसे पैसेकी ज़रूरत है? बेचारा पच्चीस सालके बाद घर वापस लौट रहा है। अिसलिअे सहज ही अुसे पैसोंकी जरूरत होगी। मेरी ओरसे अुसे सौ रुपयेतक जितनी वह चाहे अुतनी रक़म दे दें। मैं बड़ौदा महाजनके यहाँसे दिलवाने

का प्रबन्ध करता हूं।"

नुनरिया बोला, "छूटनेके बाद अुसे टिकट कहाँका दिलवा दूं? अहमदाबाद भेज दूं?"

"नहीं भाअी, पच्चीस सालके बाद वह छूट रहा है। अिसलिअे पहले तो अुसे अपने बीबी-बच्चोंसे मिलना चाहिये। पहले अुसे घर जाने दीजिये, बीबी-बच्चोंसे मिलने दीजिये, अहमदाबाद आनेकी कोअी जल्दी नहीं है। पहले कुटुम्बियोंसे मिले, गाँवमें दस-पाँच दिन रहे और बादमें फुरसतसे अहमदाबाद आये। मैं यही हूं।"

मोतीकी रिहाअीकी ख़बर सुनकर मुझे बहुत ख़ुशी हुअी। जीवनके अंततक जेलसे छूटनेकी जिसे कोअी आशा न थी, वह छूटा। यही नहीं, पच्चीस सालके लंबे समयतक अुसका अिकलौता लड़का और स्त्री, दोनों ज़िन्दा रहे और अब वह अुनसे मिल सकेगा, अिस बातसे मेरे मनको बड़ा संतोष हुआ।

मेरा ख़याल था कि मोती महेमदाबाद के पास अपने गाँव वणसोलमें अपने घर जायगा और वहाँ पाँच-सात रोज़ रहकर बादमें अहमदाबाद आयगा।

दूसरे दिन सुबह साढ़े ग्यारह बजे थे। चपरासी आया और बोला, "बाहर कोअी आदमी आया है। कहता है, जेलसे रिहा होकर आया हूँ।"

मैंने कहा, "अन्दर आने दो।"

फिर भी मुझे ख़याल नहीं था कि मोती आया होगा। अहमदाबाद जेलसे मेरे छूटनेके बाद वहाँके अनेक परिचित कैदी अपनी रिहाअी होनेपर मुझसे मिलने आते थे। मैं समझा कि अुन्हींमेंसे कोअी आया होगा।

लेकिन मोतीको कमरेमें आते देखकर मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने कहा, "अरे, मोती, तू यहाँ कैसे? तू घर कब हो आया? वहाँसे अितनी जल्दी कैसे आ गया?"

मोती बोला, "दादासाहब, मैं घर ही तो आया हूँ!"

"अरे वाह! भले आदमी, यहाँ आनेकी अभी कौनसी जल्दी थी? बरसोंसे बीबी-बच्चोंसे तेरी मुलाकात नहीं हुअी। अिस-लिअे स्वाभाविक है कि वे तुझसे मिलनेके लिअे आतुर होंगे। बगसोल जानेके बदले यहाँ क्यों आया?"

"यहाँ क्यों आया? पहले आपके दर्शन किये बिना, रिहाअीके बाद आपसे मिले बिना, मैं और कहीं जा ही कैसे सकता था?"

मैंने कहा, "ठीक है। लेकिन तुम पहले बगसोल जाकर अपने बीबी-बच्चोंसे मिल आते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अब तुम आ ही गये हो तो भोजन वगैरा करके शामकी गाड़ीसे चले जाना।"

सन् ४२' से ४४' के बीच मैं जेलमें था तब मुझसे मिलने मेरी माताजी, पत्नी और बच्चे जेलपर आते थे। अिसलिअे मोतीको वे अच्छी तरहसे जानते थे। मोतीके आनेसे हम सबको खुशी हुअी, मानो हम सब अेक ही कुटुम्बके हों।

शामकी गाड़ीका वक्त हुआ तो मैंने मोतीसे कहा, "चलो, अब तुम्हें तैयार होना होगा। गाड़ीका वक्त हो गया है।"

"क्या जल्दी है।"

"भले आदमी, गाड़ी चूक जायगी!"

"अुससे क्या?"

"तो आज बगसोल कैसे पहुँच सकोगे?"

"न पहुँचूं तो क्या हर्ज है?"

"वाह, पच्चीस साल तक तुम बाहर रहे, बीबी-बच्चोंसे दूर रहे. तब अुन्हें भी तो तुमसे मिलनेकी आतुरता होगी न?"

मोतीकी रिहाअीके दिन स्थानीय पत्रोंमें यह ख़बर छपी थी कि मावलंकरने अेक बड़े डकैतको लंबी सज़ासे मुक्त कराया है। अिसलिअे मेरा ख़याल था कि मोतीकी रिहाअीकी ख़बर खेड़ा ज़िलेमें पहुँची होगी। अुसके कुटुम्बियोंको भी अिसकी सूचना मिली होगी। अिसलिअे मैं जल्दी करता था। मेरी बात सुनकर ठंडे दिलसे हँसते हुअे वह बोला, "दादासाहब, जहां पच्चीस साल गये वहाँ आठ-दस दिन और चले गअे तो क्या बड़ा अनर्थ हो जायगा? अभी वणसोल जानेकी मेरी ज़रा भी अिच्छा नहीं है। मैं अभी आपके पास ही कुछ दिन रहना चाहता हूँ।"

यह सुनकर मैं सचमुच दंग रह गया और जानेका आग्रह भी अुससे न कर सका। अिस प्रकार अेक सप्ताह या दस दिन बीत गये।

अेक रोज दोपहरको भोजनके बाद मैं आराम कर रहा था कि बाहर चबूतरेपर मोतीको किसी बारैया[1] युवकके साथ बातें करते हुअे मैंने सुना। बाहर झाँककर पूछा, "यह कौन है?"

मोती बोला, "मेरा लड़का है। मुझे बुलाने आया है।"

अुसे देखकर मुझे आनन्द हुआ। मैंने कहा, "मोती, अब मैं तेरी अेक भी सुननेवाला नहीं हूँ" और अुसके लड़केसे कहा, "अपने बापको तुरंत यहाँसे ले जाओ और अपनी माँ से भेंट कराओ।" किरायेके लिअे अुसे कुछ पैसे दिये, कुर्ते व धोतीके

---

१. गुजरात की अेक जातिका नाम

लिअे थोड़ा कपड़ा, जो हमारे पास था और मोतीको अुसके लड़केके साथ वणमोल भेज दिया।

मोतीका लड़का अचानक कैसे आया, अिसका मुझे आश्चर्य हुआ। अिसलिअे अुससे मैंने अिस बारेमें पूछा। अुसने कहा, "साहब, रिहाओकी हमें कुछ भी खबर नहीं थी। हमारे गाँवके किसी आदमीने अखबारमें पढ़ा और यह खबर गाँवमें पहुँची। हम वहाँ अिनका अिन्तज़ार करते थे; लेकिन यह आये नहीं। अिससे हम चिन्तामें पड़े। हमें शक होने लगा कि रिहाअीकी बात सच्ची है या झूठी? अिसलिअे मैं सीधा बड़ौदा गया और जेलमें पूछताछ की। अुन लोगोंने बताया कि इनको रिहा हुअे आठ दिन हो गअे; लेकिन अुन्हें मालूम नहीं कि वह गया कहाँ है। वहाँपर अुनसे मिलनेके लिअे अहमदाबादवाले मावलंकर दादा आते थे। अुसको रिहाअीकी खबर भी अुन्हें पहलेसे दे दी गअी थी। हमारा खयाल है कि मोती अहमदाबाद मावलंकर दादाके यहाँ गया होगा। तुम वहाँ जाकर तलाश करो। अिस प्रकार मैं यहाँ आया।

पच्चीस सालके बाद पिता-पुत्रका मिलन! दो सालका बच्चा सत्ताअीस सालका युवक होकर अपने बापसे मिला! यह दृश्य करुणा और आनन्दसे परिपूर्ण था। अिस दृश्यमें अेक विचित्र काव्य था।

: २ :

खेड़ा ज़िले और गायकवाड़ी सीमामें कअी डकैतियाँ डालनेके अपराधमें मोतीको सन् १९२२ में गिरफ्तार किया गया और दिसम्बर '२२ में अलग-अलग अपराधोंके लिअे कुल मिलाकर ४० सालकी सज़ा अुसको ब्रिटिश सीमाके अधिकारियोंने ठोक दी।

गायकवाड़ी राज्यने ग्यारह सालकी सज़ा अौर दी। अिस तरह अुनको १९२२ के अन्तमें कुल अिक्यानवे सालकी सज़ा हुअी थी। सज़ा काटकर जेलसे ज़िन्दा बाहर आना तो स्पष्टतः असंभव था। १९२२ में अुसकी अुम्र ३२ साल की थी। सज़ामें मिलनेवाली माफ़ीके साल कम करें तो भी सजाके अन्तमें अुसकी अुम्र करीब-करीब ७५-८०की हो जाती।

अेक कैदीकी हैसियतसे मोतीका आचरण अेक सत्याग्रहीकी तरह रहा। जेलमें झूठ, प्रपंच या चोरी कुछ भी अुसने नहीं की। अुनका निर्णय दृढ़ था कि सरकारने अन्यायपूर्वक अुसे सजा दी है। जिन लोगोंकी वजहसे वह डकैत हुआ वे लोग समाजमें अुज्ज्वल अौर प्रतिष्ठित होकर रह सकते हैं अौर अुसको अेक डकैत बताकर जेलमें ठूंस सकते हैं। अिस अन्यायके विरुद्ध मोती टक्कर ले रहा था। अिसलिअे अुसने निश्चय किया कि सरकारकी जेलमें रहकर वह कोअी काम न करेगा। चक्की पीसना, निवाड़ बुनना या दूसरा कोअी भी काम करनेसे अुसने बरसोंतक अिन्कार किया। परिणाम यह हुआ कि हुक्म न माननेके कारण डंडा-बेड़ी, हथकड़ी, टाटके कपड़े, अेकान्तवास, बिना नमकका अन्न वग़ैरा जिन-जिन सज़ाअोंकी वर्षा अुसपर हुअी वे सब दृढ़तापूर्वक अुसने सह लीं। सज़ा होती अौर वह सह लेता। पूरी होनेके बाद जब अुससे पूछा जाता कि 'क्यों अब काम करोगे न ?' तो अुसका जवाब वह निडरता अौर दृढ़तासे नकारमें ही देता। आख़िरकार अधिकारी दस-बारह सालके बाद थक गये अौर मोतीको साधारण कैदी न मानकर, अुसकी सच्चाअीकी अोर देखकर अुन्होंने अुसको जेलका वार्डर बना दिया।

सन् १९२२ में मोती जब डकैतके रूपमें घूम रहा था तब

श्री रविशंकर महाराजके साथ अुनकी अेक बार मुलाकात हुअी थी। सन् '४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें जब हम सब जेल गअे तब मोतीने श्री रविशंकर महाराजको अपना पुराना परिचय दिया। महाराजके मनमें अुसके प्रति स्नेह था, अिसलिअे अुन्होंने मुझसे कहा कि अुसकी लंबी सजासे मुक्त करनेके लिअे कुछ किया जा सकता हो तो ज़रूर कीजिये। मैंने अुसका मामला देखा, मगर अुसको मुक्त करानेके लिअे क्या किया जा सकता था, यह अुस वक्त समझ में न आया।

दो-तीन महीने बाद वह मेरी नौकरीपर रखा गया। अिस कारण अुसके साथ मेरा बहुत घनिष्ठ परिचय हुआ। लगभग बारह महीने वह अिस तरह मेरे साथ रहा होगा। अिस बीच मैंने बहुत नज़दीकसे अुसके अनेक गुणोंको देखा। मनुष्य अप्रसिद्ध हो, अिस कारण भले ही वह छोटा गिना जाय; लेकिन अगर उसमें गुण हैं तो अुसे बड़ा आदमी ही मानूंगा। हिन्दुस्तानमें अैसे लाखों लोग भारतीय संस्कृतिके प्रतीकके रूपमें पड़े हैं। यदि मैं यह कहूँ तो अत्युक्ति न होगी कि आज जो हमारी संस्कृति क़ायम है और हम जगतमें अेक जातिके रूपमें टिके हुअे हैं तो वह इसीलिए कि अिस प्रकारके छोटे माने जानेवाले मानव जनतामें बड़ी संख्यामें है।

मोतीको अपनी रिहाअीकी कोअी आशा न थी। लेकिन श्री रविशंकर महाराजकी अिच्छा थी और अुसके संपर्कमें आनेके बाद अुसकी रिहाअीके बारेमें मेरी भी आतुरता बढ़ी। अिसलिअे मैंने रास्ता खोजना शुरू किया। सब तरहसे सोचनेके बाद सूझा कि मोतीका शरीर दस-बारह सालसे ज्यादा टिक नहीं सकेगा, और यहाँसे रिहा होनेके बाद ग्यारह साल बड़ौदाकी जेलमें

बिताने होंगे, यह ध्यानमें रखकर अुसके जीवनकी संध्याके समय अुसे घर पहुँचाना चाहिये, अैसी सरकारसे प्रार्थना करूँ तो फलकी कुछ आशा रखी जा सकती है।

अिसके साथ यह भी सच था कि यद्यपि मोतीने डकैतियाँ डाली थीं, खून भी किया था, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता था कि वह स्वभावसे अपराधी वृत्तिका है। अुसका आचरण और स्वभाव शांतिमय जीवन बितानेवाले अेक नागरिक जैसा था। अिस कारण अुसको मुक्त करनेमें सरकारके लिअे कोअी जोखिम न थी। अुल्टे अेक कैदीको रखने और अुसका पोषण करनेका खर्च भी बचनेवाला था। अपने मनमें मैंने रिहाअीकी अर्ज़ीके लिअे यह मसविदा तैयार किया। अब अुसके लिअे आवश्यक सबूतोंको जुटानेमें लगा। सबूत तो जेलके डाक्टरका ही होना चाहिये। अुनसे मैंने बातचीत की, मुद्दे समझाये और अिस मामलेको मानवताकी दयालु दृष्टि और सहानुभूतिसे देखने-की प्रार्थना की। डाक्टर साहबने मोतीकी शारीरिक जाँच की और अपनी राय दी कि मोतीकी अुम्र और हालतको देखते अुसका जीवन बारह-चौदह सालसे अधिक टिक सके, अैसा मालूम नहीं होता, अिसलिअे अुसे रिहा करनेमें कोअी दिक्क़त नज़र नहीं आती।

रिहाअीकी दिशामें अेक बड़ी खाअी पार हुअी। अुसके बाद १८ नवम्बर '४३ के रोज़ बम्बअी सरकारके पास रिहाअीकी अर्ज़ी भेज दी गअी। अिस बीच जेलके अिन्स्पेक्टर जनरल अहमदाबादकी जेल देखने आये थे। अिसका भी मैंने खासा फ़ायदा अुठाया।

: ३ :

अर्ज़ीमें क्या लिखा गया था ? पहला मुद्दा तो यह था कि

मोती स्वेच्छासे डकैत नहीं बना था। वह अेक प्रामाणिक नागरिकके तौरपर अपनी बूढ़ी माँ, जवान पत्नी और बच्चेके साथ खेती और मज़दूरी करके अपना गुज़ारा करता था। अिस बीच अेक दुर्घटना हुअी, जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी अपराधके मोतीके साथ अेक सामाजिक अन्याय हुआ, अुसकी सुखी ज़िन्दगी मिट्टीमें मिली। किसीने अुसका अिन्साफ़ नहीं किया, बल्कि गाँवके प्रतिष्ठित आदमियोंने अुसके साथ फ़रेब और ठगीका बर्ताव किया; तब खुद ही अपने हाथों अिन्साफ़ पानेके लिअे अुसने अन्याय करनेवालोंमेंसे अेकका खून किया। क़ानूनकी भाषामें कहूँ तो अुस आदमीको मोतीने मौतकी सज़ा दी। मोती अगर किसी सरकारी ओहदेपर होता तो अुसकी अिस सज़ाको लोग खून न कहते। लेकिन वह अेक छोटा आदमी था। अिस कारण अुसके प्रति अन्याय करनेवाले प्रतिष्ठित नागरिककी हैसियतमें रहे और मोतीको खूनी कहा गया।

खून करके पुलिससे बचनेके लिअे वह घरसे भागा और क़रीब आठ महीनेतक गाँवके अिधर-अुधर छिपकर घूमता रहा। अुसे और अुसके कुटुम्बियोंको न खानेको मिलता, न कपड़े, न मानसिक शांति। अिस सबसे बचनेके लिअे वह डकैतोंकी टोलीमें शामिल हुआ। अुसे अेक तरहसे रक्षा मिली। तंगीसे वह बच गया। साथ ही समाजकी अन्यायपूर्ण रचनाके विरुद्ध सक्रिय विरोध करनेका अुसे मौक़ा मिला। अमीर और ज़ालिमोंको लूटना और गरीबोंको राहत देना, अिस तरह अुसका जीवन बीतने लगा।

अर्ज़ीमें अिस बातपर ज़ोर दिया गया था कि अुसका मामला सहानुभूतिसे देखा जाना चाहिये। शांतिमय जीवन बितानेवालेको सरकारी अफ़सर या समाजके प्रतिष्ठित लोग अन्याय करके

मिट्टीमें मिलावें तो अुनके प्रतिकारको गुनाह या वैर-वृत्तिकी सज़ा-का पात्र न माना जाय। मूल कारणपर दृष्टि रखकर रहमदिलीसे अुनका विचार करना चाहिये। अर्ज़ीकी यह मुख्य दलील थी।

मुझसे जो हो सकता था, वह किया। यह संतोष मानकर मैंने अर्ज़ीका परिणाम अीश्वरपर छोड़ दिया। अुम्मीद तो थी कि यह वार बिलकुल खाली नहीं जायगा।

अेक रोज़ सुबह ३ फरवरी, ४४ को जेलके दफ्तरसे संदेशा आया कि मोतीको बड़ौदाकी जेलमें भेजा जायगा। यहाँकी अुसकी बाक़ी सज़ा माफ़ कर दी गअी। मैं तो खुशीसे फूला न समाया। अिसमें आश्चर्य क्या था? ५ फरवरी १९४४ के दिन मोतीको पुलिसके पहरेमें गायकवाड़ सरकारकी ग्यारह सालकी सज़ा भुगतनेके लिअे बड़ौदा भेज दिया गया।

: ४ :

बादमें १० मार्च १९४४ को मेरी भी साबरमती जेलसे अचानक रिहाअी हो गअी। अुस समय जेलके कैदियोंने खूब प्रेम बरसाया। अिस कारण यह प्रसंग स्मृति-स्वरूप बन गया।

ग्यारह सालकी मियाद परिमाण में कम थी और पाँच-सात सालमें बड़ौदाकी जेलसे मोती छूट सकेगा, अिसकी पूरी संभावना थी। फिर भी अुसकी बढ़ती हुअी अुम्रकी ओर देखते हुअे पाँच साल भी मुझे ज्यादा मालूम हुअे और बड़ौदाके जेलसे अुसे कैसे छुड़वाया जाय, यह मेरे लिअे अेक चिन्ताका विषय बन गया।

मुझे बहुत बार कामके लिअे बड़ौदा जाना पड़ता था। अिसलिअे मैंने तय किया कि अुसकी रिहाअी जब होनी होगी तब होगी; परन्तु जब-जब बड़ौदा जाअूं तब-तब जेलमें जाकर मोतीसे मुलाकात करके और पूछताछ करके अुसको आश्वासन देनेका

काम तो करूँगा ही। मुझे यह लिखते खुशी होती है कि अिस निश्चयको मैं अमलमें लानेमें पूरी तरह कामयाव रहा। मोती जैसे अेक साधारण क़ैदीसे मुझ जैसा आदमी मिलने आता है, अिसका असर जेलके अधिकारियोंपर खासा पड़ा। वे मोतीके प्रति मान और सहानुभूति रखने लगे।

बड़ौदाके मेरे मित्र श्री छोटालाल सुतरियाके द्वारा मैंने मोती-की मुक्तिके लिअे प्रयत्न शुरू किअे। सौभाग्यसे कुछ समय बाद गायकवाड़ सरकारने प्रजा-मंडलके साथ समझौता करके राज्य-शासनमें जनताके प्रतिनिधिके रूपमें श्री छोटाभाअी सुतरियाको लिया। अिसलिअे मेरी कोशिशोंको अेक प्रकारसे वेग मिला। बड़ौदामें यह प्रथा थी कि तात्कालिक मुक्तिके लिअे श्रीमन्त महाराजकी विशेष आज्ञा होनी चाहिये।

विशेष आज्ञा किस तरह प्राप्त की जाय? बड़ौदाके दीवान-साहब या महाराजासे मैं परिचित न था। लेकिन अिस दिशामें अीश्वरने मदद की। जनवरी १९४६ में मैं केन्द्रीय धारासभाका अध्यक्ष चुना गया। यह संभव था कि अिस पदकी प्रतिष्ठाके कारण मेरे शब्दोंको अुचित महत्व मिलता, अिसलिअे भाअी सुतरियाकी सूचनाके मुताबिक वहाँके दीवान सर वी० अेल० मित्तरके साथ प्रत्यक्ष जानपहचान न होते हुअे भी, मैंने अेक व्यक्तिगत पत्र लिखकर मोतीकी रिहाअीकी प्रार्थना की। अुन्होंने अुसे स्वीकार करके श्रीमन्त प्रतापसिंहरावकी, जो अुस समय विलायतमें थे, तारसे मंजूरी मंगा ली और अिस तरह मोती-को रिहा करनेका हुक्म हुआ।

: ५ :

मोती मेरे यहाँसे अपने घर गया। तबसे वह खेती और

मज़दूरी करके अपना जीवन शांतिमय तरीकेसे बिताता है। पैसोंकी थोड़ी मदद करके अुसे कुछ ज़मीन दिलवायी है। कभी-कभी वह मेरे यहाँ आता है और कुछ काम हो तो ठहरता भी है। अुसे कहना नहीं पड़ता कि तुम रह जाओ। मेरे बड़े लड़केके विवाहका निमंत्रण मैंने अुसे भेजा तो वह शादीसे आठ दिन पहले आ गया। अुसे देखकर मैंने कहा, "मोती, मालूम होता है, तुम तारीख भूल गअे। शादीको तो अभी आठ दिन बाकी हैं।"

वह बोला, "दादा, मैं तारीख भूला नहीं हूँ। कोअी मैं मेहमान हूँ जो ठीक शादीके वक्तपर आअूं। शादीके कामकाजमें मैं क्यों न हाथ बटाअूं। अब काम दीजिये। मैं जल्दी अिसलिअे आया हूँ।"

मोतीके खेतमें फली या तरकारी होती है तो वह ले आता है। मैंने अेक रोज हँसते-हँसते कहा, "भले आदमी, ये चीजें तुम लाते हो, यह तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सामान लाने-ले जानेके बारेमें सरकारने अितने क़ायदे-क़ानून बना दिये हैं, अुसमें तुम शायद किसी-न-किसी क़ानूनका भंग करते होगे। तुम्हारे पाससे फली या तरकारी लेना, यह भी मेरे लिअे कोअी-न-कोअी अपराध हो सकता है। अिसलिअे अब तुम अिस झंझटमें मत पड़ो और अपनेको और मुझे भी अनजानेमें किये जानेवाले अिस क़ानून-भंगसे बचा लो।"

मोती हँसकर कहने लगा, "साहब, अैसे क़ानूनकी मुझे परवाह नहीं है। मैं तो लाअूंगा ही और आपको लेना ही होगा।"

कितना प्रेमल हृदय ! *

---

१. मोतीके पूर्वजीवनकी कथा स्व. श्री झवेरचंद मेघाणीकी लिखी हुई गुजराती पुस्तक 'माणसाअीना दीवा' में दी गई है

विविध

(तीसरा खंड)

: १२ :

अुदारचित्त बापू

"क्यों बापू? क्या हाल हैं? तुम्हें कुछ खास कहना है क्या? क्या है, कहो न!"

"दादासाहब, क्या बताअू? पिछले सात-आठ महीनोंसे मेरे पैरोंमें बराबर डंडा-बेड़ी है। अुसके मारे मैं तंग आ गया हूँ। अैसा कुछ कीजिये कि किसी तरह यह डंडा-बेड़ी हट जाय।"

अुसका वह दुःखी, हताश चेहरा देखकर और अिस तरहकी गिड़गिड़ाहट भरा अनुरोध सुनकर सहज ही तरस आ गया और अुसके बारेमें पूछ-ताछ करनेका मनमें निश्चय करके मैंने कहा, "बापू, अरे अितने दिनों तेरी डंडा-बेड़ी चालू रखनेवाले जेलर निर्दयी नहीं हैं। मुझे पता है कि अुनका हृदय कोमल है। तुमने कभी अुनसे प्रार्थना की?"

वह बोला, "अेकबार नहीं, कअी बार।"

"फिर?"

"वे सुनते ही नहीं। मैं विनती करता तो वे हँस देते हैं और ध्यान न देकर आगे बढ़ जाते हैं।"

"यह तो बड़ी अजीब बात है। अैसा वे क्यों करते हैं? अिसका कुछ कारण होगा। तुम्हारी ही कोअी गलती होगी। तू ही कुछ अुल्टी-सीधी बातें करता होगा, नहीं तो वे डंडा-बेड़ी लगातार चालू कभी नहीं रखते।"

"सचमुच मेरा अिसमें कोअी दोष नहीं है।" अुसने कहा।

"अच्छा, यही सही। मैं अुनसे पूछूँगा अौर जो कुछ मुम-किन हो सकेगा कोशिश कर देखूँगा।" कहकर मैं आगे बढ़ गया।

अेक दिन अपने नियमित दौरेमें जेलकी सामान्य बस्तीसे दूर स्वतंत्र कोठरियोंकी तरफ़ कैदियोंसे मिलते हुअे, पूछ-ताछ करते हुअे जा रहा था कि अेक बंद कोठरीके जंगलेके पास, पैरोंमें डंडा-बेड़ी पहने बापू खड़ा था। दोनों हाथोंसे लोहेके छड़ अुसने पकड़े थे, अौर कुछ-न-कुछ बोलनेको अुत्सुक हो अैसी मुद्रामें अौर तैयारीसे मेरी अोर देख रहा था। अुस समय मेरी अौर अुसकी जो बातचीत हुअी वह अूपर दी है।

पत्नीको मारने-पीटनेके अपराधमें क़रीब दो सालकी सज़ा बापूको हुअी थी। बीच-बीचमें वह ज़बर्दस्त शरारत करता अौर कैदियोंसे मार-पीट करता रहता था, अिसलिअे अुसे साधा-रण कैदियोंसे दूर अौर अलग रखी हुअी कोठरियोंमेंसे अेकमें अकेले रखा था। सामान्यत: अुस कोठरीका जंगला हमेशा बंद रखा जाता अौर बाहरसे ताला रहता था। जो कैदी अनुशासनमें नहीं रहते, जिनमें अेकदम मारपीट करने की वृत्ति दिखाअी देती है—ज़रा-सा पागलपनका अंश होता है—सुरक्षाकी दृष्टिसे अुन्हें अन्य कैदियोंसे अलग रखा जाता था। अुन्हींमेंसे बापू भी अेक था।

बापू स्नेहमय, सहृदय, अत्यंत भावुक अौर किसी कारण गुस्सैल था। अुसमें स्त्री-लंपटताका तेल अौर डाल गया। उसकी अिच्छाके अनुसार जब चाहे तब अुसकी स्त्री अनुकूल न हो या पास न हो तो अुसका दिमाग ठिकाने नहीं रहता था, अौर वह पागलोंकी तरह व्यवहार करने लगता था। गाली-गलौज, मार-

पीट सबकुछ करता, परंतु दिमाग़ ठंडा हो जानेपर अुसे पश्चात्ताप भी होता। अपनी स्त्रीके प्रति अुसकी आसक्ति केवल विषया-सक्ति नहीं थी। अुसे अुसके प्रति बेहद प्रेम भी था; परन्तु प्रेमके अथवा गुस्सेके पागलपनमें तटस्थकी दृष्टिसे विशेष अंतर क्या होता? पागलपन आखिर पागलपन है! अैसे ही पागल-पनके अेक झोंकमें वह पत्नीको बुरी तरह मार बैठा। अुसे जेलकी शारीरिक यातनाओंका दुःख नहीं था। परंतु पत्नीकी याद, अुसपरकी आसक्ति और वियोगके कारण वह घबड़ा अुठता और फिर अुसका सारा आत्म-नियंत्रण जैसे हवा हो जाता।

अुस दिन बापूसे मिलनेके बाद जेलरकी और मेरी सदाकी भाँति भेंट हुअी। अुस समय मैंने बापूकी डंडा-बेड़ीके बारेमें भी पूछा। जेलर जोजेफ़ सचमुच बड़े दयालु थे। मैंने अुनसे पूछा, "जोज़ेफ़, अुस बेचारे बापूको छः-छः महीने की डंडा-बेड़ी दी है, यह कैसी निष्ठुरता है! अैसा क्यों करते हैं? जानबूझकर ऐसा करनेवाले व्यक्ति आप नहीं हैं, यह मैं जानता हूँ। तब अिस तरहसे अुसे अलग और डंडा-बेड़ीमें रखनेका क्या कारण है?"

श्री जोज़ेफ़ने बताया कि वह आदमी सीधा-सादा, भोला है पर बड़ा ही गुस्सैल है। अिसी स्वभावके कारण अपने मनपर नियंत्रण न रहनेसे अुसने पत्नीको मारा और सज़ा पाकर यहाँ आया; परंतु मजा यह है कि अुसका स्त्रीपर प्रेम है और बीच-बीचमें अपनी स्त्रीके बारेमें विचार करते-करते अुसका दिमाग अेकदम भड़क अुठता है और मन पर क़ाबू न रखकर वह मारपीट करने लगता है। मैंने अुसे सहानुभूतिसे बहुत कुछ ठिकानेपर लाने का यत्न किया; परंतु मेरा प्रयत्न सफल नहीं हुआ। तब अुसे औरोंसे दूर रखकर डंडा-बेड़ीका प्रयोग किया। अुससे वह कुछ

सीधा हुआ, परंतु डंडा-बेड़ी दूर करते ही वह फिर मारपीट करने लगता है। अिस तरह तीन-चार बार जब अैसा हुआ तब डंडा-बेड़ी हटाना मैंने छोड़ दिया।"

"आप अिस तरहसे अेकदम निराश हो जायंगे तो काम कैसे चलेगा? अुसपर तरस आना चाहिये। फिर अेकबार डंडा-बेड़ी हटानेका प्रयत्न करनेमें आप कोअी विशेष अड़चन तो नहीं महसूस करते?" मैंने पूछा।

"मुझे कोअी अड़चन नहीं। अगर आपकी अैसी ही अिच्छा हो तो कल ही मैं डंडा-बेड़ी हटा लेता हूँ। परंतु अुसका कोअी फल नहीं निकलेगा। फिर पहनानी होगी। तब जो कुछ करना हो, अुसका पूरा विचार करके आप जो कहो, मैं करनेको तैयार हूँ।"

यह सुननेपर मैं स्वाभाविक रूपसे कुछ पसोपेशमें पड़ गया। अब बेड़ी हटानेकी ज़िम्मेदारी यदि मैंने ली और बापूने फिर कोअी बदमाशीका काम किया तो अुसकी और फिरसे बेड़ी डालनेकी दोहरी जिम्मेदारी मुझपर आनेवाली है। अिस प्रकार "किं कर्म किमकर्मेति" में 'मोहित' हो गया। बहुत विचार किया और अंतमें रातको अपनी कोठरीमें बिस्तरेमें सोते हुअे अेक युक्ति सूझी। अुसीके अनुसार करनेका निश्चय करके मनको शांति मिली। थोड़ासा आनंद भी हुआ कि बापू कल डंडा-बेड़ीसे मुक्त होगा। आनंदका ज्वार जिसपर आनेवाला था वह दुःख-भरी मुद्रा आँखोंके सामने खड़ी हो गअी।

दूसरे दिन सबेरे मैं बापूसे मिलने गया और अुससे पूछा, "बापू, सचमुच तू डंडा-बेड़ीसे तंग आ-गया है? अिनको वे निकाल लें अैसा तू चाहता है?"

"भली पूछी महाराज?" उसने कहा। "मुझे अैसी अिच्छा

नहीं है. यह शंका भी आपके मनमें कहाँसे आयी ? कुछ भी कीजिये, कैसे भी कीजिये; परंतु मुझे अिस बेड़ीके बंधनसे छुड़वाअिये।"

"अवश्य छुड़वाअूंगा, पर अेक शर्तपर। यदि वह तुम्हें कबूल हो तो बताओ। मैं अभी जेलर साहबको बुलाकर लाता हूँ और अिसी क्षण तू अिस बेड़ीकी मगर-जैसी पकड़से छूट जायगा।"

बापू खुशीसे नाच अुठा और बोला, "कहिये, क्या है आपकी शर्त, बताअिये ! मुझे सबकुछ क़बूल है। जो कुछ आप कहें क़बूल है। परंतु मुझे यह बेड़ी नहीं चाहिये। मुझसे अब यह बरदाश्त नहीं होती !"

"तो सुन ! मैंने कल तुम्हारी अिच्छा जेलर साहबसे कही थी और अनुरोध किया था कि तुम्हारी बेड़ी कुछ दिनके लिअे खोल दें। अुन्होंने कहा कि पहले चार-पाँच बार तुम्हारी बेड़ी खोली गयी थी और तुम्हें मौका दिया गया था: पर तुम्हारा दिमाग काबूमें नहीं रहता और तुम बार-बार बदमाशी और मारपीट करते हो; अिसलिअे वे तुम्हारी बेड़ी अब हटाना नहीं चाहते। अिस बारेमें वे तुम्हारा जामिन चाहते हैं। वह कौन हो ? जेलर साहबने बताया कि मनसे कितना ही वचन देनेपर तुम्हारा दिमाग़ बार-बार फिर जाता है और तुम होशमें नहीं रहते। पागलपनके दौरेमें तुम चाहे जो करते हो। तब तुम्हारा जामिन कौन रहेगा ? जेलर साहबने पूछा कि क्या आप अुसकी ज़मानत देंगे ? मैंने कहा कि हाँ, मैं जामिन होनेके लिअे तैयार हूँ। पर बापू फिरसे शरारत नहीं करेगा, अिसका आश्वासन मैं कैसे दे सकता हूँ ? मैं तो दूसरी तरहकी जमानत दे सकता हूँ। जेलरने पूछा, "किस तरहकी जमानत ?"

मैंने बताया, "अगर बापूने फिर गड़बड़ की तो बापूके बदले वह डंडा-बेड़ी मुझे पहना दी जाय और बापूके शांत होनेपर मेरे पैरोंसे हटा दी जाय।"

यह सुनते ही बापू अेकदम गंभीर और भयभीत हो गया। क्षणभरके लिअे वह स्तब्ध हो गया। मैं अुसके चेहरेपर चढ़ने और अुतरनेवाले भाव देख रहा था। अुसके पापका प्रायश्चित्त मुझे भोगना पड़ेगा अिस कल्पनासे ही वह द्रवित हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, "नहीं, दादासाहब, आप अैसी जमानत न दें। मेरा दिमाग और मन कभी-कभी ठिकानेपर नहीं रहता। और मैं क्या करता हूँ वह मेरी ही समझमें नहीं आता। गुस्सेके दौरेमें न जाने क्या मेरे हाथोंसे हो जाता है। मेरी गलतियोंकी सजा आप भुगतें, यह कल्पना ही मुझे भयानक लगती है। आप अैसी जमानत देनेके चक्करमें न पड़ें। जेलर बेड़ी हटाने आयें तो भी मैं अुन्हें हटाने न दूँगा।"

भोलेपन और प्रेमकी अैसी पराकाष्ठा का दर्शन करके कौन गद्‌गद् नहीं हो अुठता? मैंने अुनसे कहा कि मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं तुम्हारा जामिन रहूँगा। वह निश्चय तुम्हारे कहनेपर बदलूँगा नहीं, परंतु तुम्हारे पैरोंकी बेड़ी मेरे पैरोंमें पड़े, अिसका अिलाज तुम्हारे हाथमें है। जिस प्रेमके कारण तुम मुझे अितना मानते हो, वही प्रेम तुम्हें अपना मन काबूमें रखनेमें मदद करेगा। यह शर्त हमेशा ध्यानमें रखनेका प्रयत्न करो तो काफ़ी है।"

अुसी समय श्री जोजेफ़को बुलाकर बापूकी बेड़ी दूर करा दी। बापूको बेड़ीसे मुक्त होनेका आनंद तो हुआ ही; लेकिन

बापू अेक साधारण, अनपढ़ समझा जानेवाला आदमी ! परन्तु अपना दुःख दूर होनेके लिअे भी दूसरेको दुःख न पहुँचे, अिस बातकी चिन्ता करनेवाला ! अिसे अशिक्षित कैसे कहें ?

अिसके बाद मेरे जेलमें रहनेतक बापूने कोअी गड़बड़ नहीं की और अुसके पैरोंकी बेड़ी जेलरके दफ्तरमें रह गअी । अुसका और डंडा-बेड़ीका फिर कभी संबंध नहीं आया और मैं जेलसे छूटा, अुसके थोड़े दिनों बाद वह भी छूट गया ।

: १३ :

दूरदर्शी और साहसी लाखाजी

"साहब, कानूनसे हमें डाकू साबित करके लंबी सज़ा दी सही; पर हम, कुल मिलाकर, जेलके बाहर सभ्य बनकर घूमनेवाले, भद्र और सुशिक्षित समझे जानेवाले अनेक व्यक्तियोंसे ज्यादा अच्छे हैं। कुछ परिस्थितियोंके कारण और अनेक बार अनियंत्रित भावना अथवा क्रोधके ज़ोरमें हमारे हाथसे कुछ बातें हो गअीं। अुसीका प्रायश्चित्त यह सज़ा समझिये। जेलमें अेक क़ैदी होनेके कारण ही हमें 'नीच' या 'गन्दे' न समझिये। हमें यों न दुरदुराअिये।"

लगभग २४ बरससे क़ैदमें रहा हुआ लाखाजी नामका काठियावाड़से सज़ा पाया हुआ अेक क़ैदी बातचीतमें सहज भावसे मुझसे कहने लगा। काँग्रेसके स्वराज्य-संग्राम और जेल जानेपर बातचीत चल रही थी। लाखाजीकी जीवनी सुनते हुअे यह बात चल पड़ी। जेलमें अनेक प्रकारके कैदियोंसे मेरा परिचय ज्यों-ज्यों बढ़ने लगा त्यों-त्यों मेरी अिच्छा प्रबल होने लगी कि अलग-अलग तरहके गुनाह करनेवाले क़ैदियोंकी और ख़ास तौरपर लंबे सज़ायाफ्ता कैदियोंकी कहानियाँ सुनूँ। वे किन कारणोंसे अपराधकी ओर प्रवृत्त हुअे, जेलमें अुन्हें क्या-क्या तजुरबे हुअे, अुनकी सामान्य वृत्तियां किस तरहकी थीं और हैं, ये सब बातें जानूँ। अिस कारण अैसे क़ैदियोंसे मैं अुनकी जीवन-कथा पूछा करता था। अैसे कैदियोंमेंसे अेक था लाखाजी।

साधारण ऊंचाअी, सुदृढ़ शरीर, काला वर्ण, परंतु अत्यंत सतेज आँखें और दोनों ओर सुन्दर ढंगसे संवारी और मोड़ी हुअी दाढ़ी, 'मियाणा' जातिका वह मुसलमान कैदी था। 'मियाणे' लोग शूर, साहसी, चाहे जो करनेमें न हिचकिचानेवाले परंतु साथ ही हृदयके अुदार और कोमल होते हैं। गरीबोंकी मददको दौड़कर जाना, संकट-ग्रस्तोंकी मदद करना आदि क्षात्र प्रवृत्ति अुनमें अभी भी दिखाअी देती है।

लाखाजीके साथ भारतकी आजकी दशाके बारेमें चर्चा हुअी। गहन राजनीति वह क्या समझे? अेक सामान्य बुद्धिका पर चतुर व्यक्ति वह था। स्वराज्यकी लड़ाअीमें जो लोग जेलमें आते थे अुन्हें अन्य क़ैदी 'भापणिया' कहा करते थे। बहुत पहलेसे (लोकमान्य तिलकके समयसे) अधिकतर राजनैतिक कैदी राजद्रोही भाषण अथवा लेखोंके कारण जेलमें आते थे। अिस कारण राजनैतिक बंदीके जेलमें आनेपर वह या तो भाषण या लेखनके कारण जेल आया होगा, अैसा कैदियोंका आम खयाल था। और अिसी कारणसे अुसे 'भापणिया' कहते थे। और अिन 'भापणिया' के बारेमें अुनके मनमें आदर भी था। राजनैतिक कारणोंसे खून, डाकेज़नी वगैरा बातें बादमें होने लगी और सविनय क़ानूनभंग तो अुसके भी बाद आया। तो भी सामान्यतः राजनैतिक कैदियोंको 'भापणिया' के नामसे पुकारा जाता था।

परंतु लाखाजीके कहनेमें ज़रा व्यंग्यार्थ भी था। अूपर जिस ढंगसे उसने बात की, उसमें अुसका मुद्दा यह था कि १९४२ में हमारे साथमें आये हुअे 'भापणिये' लोग जिस ढंगके होने चाहिये थे वैसे नहीं थे; और अिसी कारण अुसका कहना था कि खून करने या डाके डालनेवालोंका मूल्यांकन समग्र दृष्टिसे करना

चाहिये। केवल अेक गुनाह अुसने किया, अिसलिअे अुसे हीन मानना अुचित नहीं।

अिसी मुद्देको स्पष्ट करते हुअे लाखाजीने आगे कहा, "साहब, आजतक चार बार कॉंग्रेस जेलमें आअी, यह मैंने देखा। पहले सन् बीस-अिक्कीस में, दूसरी बार सन् तीस से चौंतीस में, तीसरी बार चालीस-अिकतालीस में और अब चौथी बार १९४२ में। परंतु जैसे-जैसे समय बीत रहा है, त्यों-त्यों कॉंग्रेस-वालोंका रंग अुतरता जा रहा है। सचाअी, त्याग, सेवाभाव, देश-प्रेम, हिम्मत, बहादुरी ये सब सद्गुण जिस प्रमाणमें १९२०-२१ में और उसके बाद १९३०–३१ में देखे गअे, वे अब बहुत थोड़े लोगोंमें दिखाअी देते हैं।"

अुसने सचाअी, चारित्र्य, सेवाभावपर ज़ोर दिया था, यह स्पष्ट है।

"अैसे सैनिकोंके बलपर स्वराज्य कैसे टिकेगा?" यह अुसका सवाल बहुत मार्मिक, अर्थपूर्ण और विचार-प्रेरक था। राजनैतिक क़ैदी जब अिन लंबे सज़ायाफ्ता कैदियोंकी ओर 'वे चोर हैं, डाकू हैं' अैसा समझकर लापरवाहीसे और कुछ हिकारतसे देखते तब लाखाजीको अुनपर क्रोध आता था। कुछ अंशोंमें वह न्याय्य भी था, अैसा कहना अनुचित न होगा।

१९३०–३२ तकके कुछ राजनैतिक कैदियोंकी लाखाजी मुक्तकंठसे प्रशंसा करता था। साबरमती जेलमें परमानंद नामके पंजाबके भाअी पच्चीस बरस तक थे। अुनके लिअे लाखाजीके मनमें बड़ा आदर था। अुसी तरहसे महात्मा गाँधी, सरदार पटेल आदि नेताओंके बारेमें भी अत्यंत आदर था। वह कअी बार मुझसे कहता, "दादासाहब, कॉंग्रेसके बड़े-बड़े

नेता लोग या आप जैसा कोअी कांग्रेसवाला मुझे जो कहे वह मैं माननेको और अपनी जान भी देनेको तैयार हूँ, परन्तु दूसरे ऐरे-गैरोंका नेतापन माननेको मैं तैयार नहीं हूँ।'

अुसकी यह राय और आलोचना हमारे 'यार्ड' में शामकी प्रार्थनाके बाद मैंने मित्रोंको बताअी और कहा कि "हम अंतर्मुख बनकर अिसपर विचार करें।" परंतु दुर्भाग्यकी बात यह थी कि अंतर्मुख होनेके बदले बहुत-से लोग मुझपर नाराज़ हो गये। "लाखाजी जैसा अेक नालायक, चोर, डाकू अिस प्रकार कुछ कहता है और आप अुसे सुन कैसे लेते हैं?" मेरे कुछ मित्र अैसा कहते थे। कुछ लोगों को यहाँ तक भी लगा कि अिस तरहकी बातें सुन लेनेमें ही मैंने काँग्रेस-द्रोह किया। पर मुझे कभी भी अैसा नहीं लगा। लाखाजीका मत सही था या गलत, यह बात दूसरी है: परंतु अुसका यह मत क्यों हुआ, अिसका विचार करना आवश्यक है, अैसा मुझे लगा। अलग-अलग समय में और अलग-अलग परिस्थितियोंमें अुसका काँग्रेस क़ैदियोंसे संपर्क हुआ और अुस कारण तुलनात्मक दृष्टि से अुसे जो महसूस हुआ, वह वही कहता था। मेरा आज भी निश्चित मत है कि वह सुनना केवल सौजन्यके लिअे ही नहीं, बल्कि हितके लिअे भी आवश्यक था।

परन्तु अुनके बोलनेमें थोड़ा रौब भी था। अुसके स्वाभिमान को जैसे ठेस लगी। अपनेसे भी गुणोंमें बहुत हल्के ढंगके लोग अपने आपको बड़ा समझकर औरोंको हल्का समझते थे, यह बात अुसकी बर्दाश्तके बाहर थी।

लाखाजीने अपने जीवनकी अनेक बातें बताअीं। दुर्भाग्यसे सब नोट कर लेनेका वक्त मेरे पास नहीं होता था, परंतु ये सब बातें अध्ययन की दृष्टिसे नोट करनेकी कुछ मित्रोंसे बार-बार

प्रार्थना की, परंतु वह सफल नहीं हुअी ।

लाखाजीके डाकू-जीवनकी अेक ही बात अैसे लोगोंके अनेक-विध गुणोंका कुछ अन्दाज़ करानेके लिअे काफी होगी। साथ ही अैसा भी लगता है कि अैसे गुणोंका अुपयोग राष्ट्रके काममें करनेके बजाय अिन लोगोंको जेलमें बंद करके रखा जाता है, यह कितनी शोचनीय बात है ! अुस समय तो विदेशी सरकार थी, परंतु अब अपने स्वराज्यमें तो अपराध और अपराधियोंके बारेमें अलग तरहसे हम सोचेंगे, अैसी आशा रखें ।

: २ :

लाखाजी बोलनेके प्रवाहमें कहने लगा, "क्या कहूँ दादा-साहब, अुस दिन हमारी खूब फ़जीहत हुअी ! और बादमें मज़ा भी आया। हमारी टोलीने अेक गाँवमें रातमें डाका डालनेकी योजना की। अिस गाँवके चारों ओर परकोटा था और रातको दरवाज़े बंद होते थे। हमारे अिरादेकी ख़बर पुलिसको किसी तरह पहले ही लग गअी, अिस कारण लगभग सौ-सवा सौ सशस्त्र पुलिसकी टुकड़ीने परकोटेसे सटी, बीचके खुले चौक वाली धर्म-शालामें अपना अड्डा जमाया और हम लोगोंके गाँवमें घुसते ही हमारा पूरी तरह सामना करनेकी पक्की तैयारी कर ली।

धर्मशालाके चारों ओर बरामदे थे और बीचमें खुला आँगन था। शहरके परकोटेपरसे कूदकर अंदर सीधे आ सकें, अैसी अेक जगह थी। धर्मशालाका आँगन खुला रखकर पुलिसने अपना डेरा बरामदेमें जमाया था।

"हम बहुत करके अुसी रातको अुस गाँवमें जा पहुँचेंगे, अैसी ख़बर अुन्हें थी, फिर भी अुन्हें निश्चय न था कि हम अुसी रातको वहाँ पहुँचेंगे या दूसरी रातको; दूसरे रातको हम कब

आवेंगे—आधी रातको या सबेरे या अौर किसी वक्त—अिसकी भी अुन्हें कल्पना न थी। अिसलिअे हमेशाकी तरह अपनी संगीन-वाली बंदूकें अेक-दूसरेसे खड़ी टिकाकर पुलिस गाढ़ निद्रामें डूब गअी। धर्मशालामें पुलिस है, ऐसा हमने नहीं सोचा था, तब अुनकी अिस तैयारीका खयाल कहाँसे होता!

"हम दीवारपर चढ़कर यह पता लगा रहे थे कि कोअी खटका तो नहीं है। संयोगसे हम धर्मशालाके अूपरवाले कोटपर थे। धर्मशालाके अहातेमें हमें कोअी दिखायी नहीं दिया। वहाँसे अंदर कूदने जैसी जगह दिखाअी देते ही हमने अंदर जानेका निश्चय किया। गाँवके आस-पासके कोटके मुख्य दरवाज़ेके पास धर्मशाला थी। अिसलिअे वहाँसे कूदनेवालेको भागकर मुख्य द्वार खोलकर बाहरवाले साथियोंको अंदर लेना आसान अौर सुविधा-जनक था।

"अैसी स्थितिमें हम तीन-चार लोगोंने आधी रातके बाद कोटपरसे धर्मशालाके अहातेमें कूदनेका निश्चय किया। साँपने जबड़ा खोला हो अौर मेंढ़क अुसमें कूद पड़े, अैसा ही कुछ मामला हुआ! कूदते ही गलती समझमें आ गअी। पर अब क्या करें? कुछ तो करना ही चाहिये, नहीं तो हमारी मौत हमारे सामने साक्षात ही खड़ी थी। सद्‌भाग्यसे हममें प्रसंगा-वधान रहा। खुली जगहके चारों अोर बरामदेमें सोये हुअे पुलिस अौर वहाँ रहनेवाले तीन-चार पहरेदारोंको देखते ही हमने अलग-अलग दिशाअोंसे टूटकर अुनसे अैसी कुश्ती की कि वे बेचारे चकित रह गये। बादमें अुनकी ही बंदूकें अौर अुनके ही कारतूस लेकर हम जमकर खड़े हो गये। बंदूकें तानीं अौर ज़ोरसे गरजे—"ख़बरदार, जो अुठेगा या ज़रा भी हिलेगा वह जानसे हाथ

धोयेगा।" यह कहकर मिनट आधा मिनट ठहरकर हम सब वहाँसे पहले धीमे-धीमे और बादमें भागते हुअे कोटके बाहर आ गये। बादमें पुलिसकी सीटियाँ बजनी शुरु हुअीं। सबको स्थिति समझकर तैयार होकर बाहर आनेमें कम-से-कम १५ मिनट लगे होंगे। तबतक हम बहुत आगे निकल गये थे। वहाँ बचावकी जगह देखकर हमने अड्डा जमाया और गाँवकी ओरसे आनेवाली पुलिसकी आहट सुनते ही गोलियाँ दागना शुरू कर दिया। हमारे आगे आनेकी किसकी हिम्मत होती? पुलिस अिधर-अुधर कुछ देरतक आवाज करके वापस चली गअी और हमें वहाँसे खिसक जानेका अच्छा मौक़ा मिल गया।"

"बड़ा ही आश्चर्य है! सौ सवा सौ पुलिस बंदूक और गोलियोंसे तैयार थे और वे तुम चार लोगोंसे डर कैसे गये? तुम्हारा पीछा करके सहज ही तुम्हें घेर सकते थे और गोलियोंकी वर्षा करके कम-से-कम अेकको तो मार ही सकते थे। लाखाजी तुम कहते हो अैसा सचमुचमें हुआ भी या यह सब मनगढंत है?" मैंने पूछा।

"सचमुच दादासाहब, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही हुआ। फिजूल झूठ क्यों बोलूं? पर दादा-साहब, जो हुआ अुसमें अचरज करनेकी कौनसी बात है? ये लोग सरकारका वेतन पानेवाले सिर्फ़ वेतनके लिअे नौकरीमें घुसे हुअे हैं! अिनमेंसे कोअी भी मरनेके लिअे क्यों तैयार होता? वे भागे, अिसमें कोअी आश्चर्य-की बात नहीं। अुलटे अुन्होंने हमारा पीछा किया होता और प्राण संकटमें डाले होते तो आश्चर्य था! फिर यह भी देखिये कि हम तो प्राणोंपर खेल जानेवाले थे। बचें तो बचे, नहीं तो मौत तो निश्चित थी ही। अिसके विपरीत पुलिसकी दूसरी बात

थी। मनुष्य त्याग या पराक्रम करता है तो अपनत्वकी भावनासे भी अपना आदर्श सिद्ध करनेके लिअे करता है। केवल पेटके लिअे जो किया जाता है, अुसे भाड़के त्यागकी मर्यादा होती है।"

लाखाजीकी यह बात सुनकर मुझे अुसके सामान्य व्यवहार-ज्ञान और मनुष्यस्वभावके ज्ञानपर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह आदमी सचमुच हम समझते हैं वैसा गँवार और गुण्डे जैसा न होकर चतुर है और अुसमें भी अनेक प्रकारके गुण हैं, अैसा मुझे अनुभव हुआ।

: ३ :

अेक बार वह मुझे कहने लगा, "दादा साहब, १९२१–२२ में काँग्रेस और अबकी काँग्रेस (१९३२–४४) में ज़मीन-आसमान का फ़र्क पड़ गया है। आजकलके आप लोग जेलमें आनेपर ज़रा भी तकलीफ़ नहीं सह सकते! हर मामलेमें आपको सुख-सुविधायें चाहियें। और अुसके लिअे कअी काँग्रेसवाले हमें भी शरम आवे, अैसे लालच वार्डरोंको देते हैं, अधिकारियोंकी खुशामदें करते हैं, कायरता दिखलाते हैं! अैसे लोग क्या आपके स्वराज्यके लिअे अपने प्राणोंकी बाज़ी लगाकर प्राणार्पण करने वाले हैं? स्वार्थ छोड़कर गरीबोंकी सेवा करनेवाले हैं? आप समझदार हैं। अिससे सब समझते हैं। परंतु यदि आप अिन लोगोंकी ताकतपर स्वराज्य चलानेके भ्रममें हों तो निश्चित ही मुंहके बल गिरनेवाले हैं।"

धोखेकी सूचना देनेवाले अुसके ये शब्द थे!

लाखाजीने और भी कई बातें बतायीं। अिन डाकू लोगों का अेक तरह का दर्शन या कार्यनीति थी। अुसे समाजिक अथवा राजनैतिक दर्शन चाहे कहें या न कहें, परन्तु अुसमें अन्याय के

प्रति साधारणत: चिढ़, गरीबों के प्रति सहानुभूति, स्त्रियों के प्रति आदर आदि गुण बहुत ग्रंशों में विद्यमान थे । लाखाजी कहता था, "अपने पेट के लिये या मौज के लिये हमने कभी किसीको नहीं लूटा। गरीबोंपर हमने अत्याचार नहीं किये, स्त्रियों को कभी कष्ट नहीं दिया । ग्रुलटे ग्रुनके साथ हमने अपनी माताओं ग्रौर बहनों जैसा आदर प्रकट किया। ससुराल जानेवाली नववधू या गर्भवती स्त्री राह में मिली तो ग्रुसे लूटने के बजाय ग्रुसे अपने पाससे अलंकार-वस्त्र आदि देकर ग्रुसे ग्रुनके घर तक पहुंचाया। हमने पैसे का संग्रह कभी नहीं किया। कर नहीं सकते थे, यह भी सच है। परन्तु इन समाज-कंटकोंको सजा देना हम अपना कर्त्तव्य समझते थे। गरीबोंको देनेके लिये पैसेवालोंको लूटते थे। ग्रैसा होनेपर भी हम चोर, डाकू, लूटनेवाले ग्रौर स्वार्थी ! ग्रौर राजनीति करने वाले हमसे भी श्रेष्ठ, अच्छे ! आप ही विचार कीजिये । हमारा तिरस्कार न कीजिये।"

१० मार्च १९४४ को मेरे साबरमती जेलसे छूटनेके दो बरस बाद लाखाजी जेलसे मुक्त हुआ। बड़े प्रेमसे मिलने आया। आजकल वह काठियावाड़ में (पहले के मालिया राज्य में) अपने गाँवपर खेती करते हैं। छूटनेपर पुलिस ग्रुसका पीछा करती थी। पर बाद में मैंने ग्रौर कुछ मित्रों ने सौराष्ट्र सरकार से आग्रहपूर्वक कहकर ग्रुसे खेतीका काम निर्विघ्न रूपसे करनेकी सुविधा दिलाग्री। पिछले दो-तीन वर्षोमें ग्रुसका कोग्री समाचार मुझे नहीं मिला अिससे ग्रुसका सबकुछ ठीक चल रहा होगा, ग्रैसा अनुमान किया जा सकता है ।

: १४ :

सरकारी तंत्रमें मानवता

"दादा साहब, जेलर साहबके कहनेपर अपने वृद्ध पिताको हम आपके पास ले आये हैं। अिनकी अुम्र करीब बहत्तर-पचहत्तर की है। मुहमें दाँत नहीं हैं और आँखोंमें कुछ नहीं सूझता। कोअी हाथ पकड़कर जबतक अुन्हें ले नहीं जाता तब-तक अिधर-अुधर घूमना अिनका संभव नहीं! अिनकी शारी-रिक स्थिति और पिछले चौदह बरस तक अिन्होंने जो क़ैदकी सजा भुगती है, अुसे देखते हुअे अिनके छुटकारेकी सिफारिश स्थानीय जेल कमेटी के पास हमने की थी। अुसपर यह सरकारी हुक्म आया है। अुसे देखिये और हम क्या करें, यह बताअिये।"

अिस तरहसे अेक तरुण कैदीने अपने छोटे भाअी और बापके साथ आकर मुझसे प्रार्थना की और हुक्मका कागज मेरे हाथों-में रख दिया।

सरकारका वह हुक्म देखकर मुझे गुस्सा आया। मन अुदास भी हुआ। अैसा लगा कि—"क्या है यह हुक्म? यह हुक्म लिखने वाले सेक्रेटेरियेटके अधिकारीमें क्या कुछ सामान्य ज्ञान या अुसमें मनुष्यता है भी या नहीं? या सिर्फ़ आफिसकी कुर्सीपर बैठ कर छोटी-छोटी बातोंपर ध्यान देते हुअे सहानुभूति-शून्य रीतिसे नियमोंका पालन ये लोग करते हैं।" अिस प्रकारके विचार मेरे मनमें आने लगे। स्वराज्य न होनेसे सरकारी तंत्र मनुष्यता-शून्य है, यह बाहरसे छोटी जान पड़नेवाली बात भी, स्वराज्य

की माँगका बड़ा कारण है, अैसा मुझे लगा।

मेरे पास आये हुअे तरुण कैदी, अुसका बाप और छोटा भाअी मूल बोरसद (खेडा जिला) के रहनेवाले थे। अुसके बापके तीन और छोटे भाअी थे। ये सब बोरसदमें (वहाँके पासके अेक देहातमें) संयुक्त परिवार में रहते थे और खेती करके अपना गुजारा करते थे। खेतकी ज़मीनके बारेमें अिन लोगोंमें और अुनके पासके खेतवालोंमें कुछ लड़ाअी, गाली-गलौज और आखिरमें मारपीट होकर तीन-चार आदमी मर गये। कुछ अिनकी तरफ़के, कुछ सामनेवालोंके।

गैर क़ानूनी संगठन, मार-धाड़, खून वगैरा अिल्ज़ाम लगाकर दोनों पक्षोंको देश-निकाला, कालापानी और अलग-अलग अवधिकी कैदकी सजा हुअी। अुसमें मेरे पास आया हुआ तरुण क़ैदी, अुसका भाअी, बाप और दो काका, अिन सबको आजीवन काले-पानीकी सज़ा हुअी! और अुनका सबसे छोटा काका अकेला बचा रह गया। मार-पीटके समय खेतपर न होनेसे वह इस सद्भाग्यसे मुक्त रह सका। परिवारमें स्त्रियाँ और छोटे बच्चे थे।

अिस परिवारमेंसे जो दो चाचा थे, अुनकी दूसरी जेलमें बदली हो गअी थी। बाप और दो लड़के साबरमती जेलमें थे। अिन जेलोंमें अुन्होंने चौदह साल बिताये। स्थानीय जेल-कमेटीने लंबी मुद्दतके कैदियोंकी सजाका विचार करते समय, तीनोंमेंसे अकेले अशक्त, वृद्ध और अंधे बापका छुटकारा करनेकी सिफ़ारिश की।

सरकारी छुटकारेका हुक्म पढ़कर मुझे अितना गुस्सा होनेका और दुखी होनेका खास कारण क्या था? छुटकारेकी जो शर्त,

सरकारने दी थी, वही पाठकोंके सामने रख दूं। अुसपर विशेष टीकाटिप्पणी करना व्यर्थ है। ये थीं वे शर्तें—

(१) अिस वृद्ध कैदीको सरकारको यह जमानत देनी चाहिये कि अुसे बंधनमुक्त करके छोड़नेपर वह **किसी प्रकारका कोओ भी अपराध** नहीं करेगा। अिस शर्तकी व्यापक भाषा ध्यानमें रखनी चाहिये। केवल मार-पीट जैसा ही नहीं, पर कोअी भी '**अपराध**' यानी अिसमें सब तरह की छोटी-मोटी बातें आ गअीं। गुस्सेसे किसीको गाली दी या अैसा ही कोअी क्षुद्र कारण हुआ तो शर्त टूट जायगी। परंतु मुख्य प्रश्न यह है कि अिसे दिखाअी नहीं देता, मुंहमें जिसके दाँत नहीं, चलनेकी शक्ति नहीं, अैसा आदमी गुनाह क्या करेगा? पर यह सब सुनता कौन है? छूटनेवाले क़ैदीसे 'मैं कोअी भी गुनाह नहीं करूँगा।' अैसी जमानत लेनेका नियम है। और अुसीके अनुसार यह शर्त है!

(२) अिस अूपरवाली शर्तके टूटनेपर बाकी सजाकी माफी रद्द हो जायगी और फिर सब बची हुअी सज़ाको भुगतनेके लिअे जेलमें आना चाहिये। अिसपर क्या लिखें? बहत्तर-पचहत्तर वर्षका बुड्ढा गुनाह करेगा, ऐसा मान भी लें तो भी अुस बाक़ी बची हुअी दस-पंद्रह वर्षकी सजा देनेमें क्या अर्थ है? परंतु यह शर्त नियमानुसार ही थी। अिसके आगेकी शर्त तो और भी मज़ेकी थी।

(३) हत्या जैसा भयानक अपराध बूढ़ेने किया था। अुसे अगर छोड़ दिया जाय तो भी अुसे बिलाशर्त छोड़ना अिष्ट नहीं है, अिसलिअे जेलसे बाहर निकलनेपर पाँच बरस वह 'अपराधियोंकी बस्तियों' में बितावे। और अुन पाँच वर्षोमें अुसके हाथोंसे कोई अपराध न हुआ तो ही बादमें अुसका बिलाशर्त

छुटकारा संभव है।

अब यह 'अपराधी बस्ती' (क्रिमिनल सेटलमेंट) क्या है, यह संक्षेपमें बता दूं। चारों ओर बड़ी ऊंची दीवारोंके घेरेमें छोटे-छोटे घेरे, जिनके चारों ओर फिर दीवारें। उनके अंदर कोठरियां, जिनमें दिनके समयको छोड़कर शेष समय कैदी ताले में बंद रहते हैं, यह तो हुई जेल। इसके विपरीत इस बस्तीमें बहुत स्वतंत्रता रहती है। यहाँ किसीको भी तालेमें बंद नहीं रखते। दिनमें बस्तीके अहातेके बाहर जानेकी छूट रहती है। सिर्फ़ अमुक समय सबेरेसे अमुक समय शामतक बस्तीमें रहना चाहिये और बाहर नहीं जाना चाहिये। उस बस्तीके आसपास कँटीले तारोंका घेरा होता है और बाहर जानेका दरवाज़ा बंद रहता है। दिन और रात पहरा रहता है।

परंतु जेलके कैदीके भोजनकी व्यवस्था करनेका भार सरकार-पर होता है जबकि बस्तीमें वह हो ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाहर जानेकी छूट होनेके कारण मेहनत-मज़दूरी करके जीविका कमाई जा सकती है। जिसे बस्तीका अन्न अच्छा नहीं लगता, वह ख़ुद कमाकर खा सकता है। इस तरह जेलके बंदीवासकी अपेक्षा तरुण कैदी बस्तियोंमें रहना अधिक पसंद करते हैं। इस कारण यह नियम एक तरहकी सुविधा ही है। परंतु इस मामलेमें बात यह थी कि अशक्त, बूढ़ा, अंधा कैदी न अपने लड़कोंके साथ, न अपने घर अकेले भाईके साथ! वह ऐसी असहाय स्थितिमें अकेला रहे तो कैसे रहे? इसके अलावा उम्र, शरीर और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे वह तो मौतके दरवाज़ेपर खड़ा है! किसी भी आप्त इष्टके नज़दीक मरनेके बजाय बच्चोंसे दूर, अपराधियोंकी बस्तीमें जहाँ प्रेम और सहानुभूतिसे चिंता

करनेवाला कोअी न हो, वहाँ असी स्थितिमें मरनेके लिअे जाना अुसको कहाँतक अुचित है?

अैसी हालतमें अुस तरुण क़ैदीको मैं क्या सलाह दूं, यह मैंने अेकदम मनमें तय कर लिया। फिर भी अुसे सलाह देनेसे पहले पूछा, "मान लो कि मैं कहता हूं वैसा ही किया गया और सरकार अगर यह कहे कि वह हुक्म रद्द करके तुम्हारे बापको हम नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें कोअी आपत्ति तो नहीं होगी?" अुस बेचारेको क्या मालूम था? वह मेरे भरोसेपर आया था। तब मैं जिस तरहसे सरकारको लिखनेका विचार कर रहा था अुसके अलग-अलग परिणाम बता देना आवश्यक था। जाहिर था कि अिस मामलेमें साफ़ दो टूक लड़ाकू वृत्ति धारण करनेसे बूढ़ेका छुटकारा जल्दी हो सकता था। पर कौन जाने, सेक्रेटेरिअेटमें बैठे हुअे अधिकारीके दिमागमें क्या विचार हो? शायद वह यह भी समझे कि यह बूढ़ा अिस तरह तीन-पाँच करता है और अकड़ दिखाता है तो अच्छा है, सड़ने दो अुसे जेलमें ही! परंतु अैसी संभावना थी कम। अुस तरुण क़ैदीने ज्यादा विचार न करते हुअे मुझे चटसे अुत्तर दिया, "आप जो कहो, वह मुझे मान्य है। शर्तके साथ रिहाअीका हुक्म रद्द किया जाय तो हमें अुसका कोअी दुःख नहीं होगा।"

अितना आश्वासन मिलनेपर मैं क्यों संकोच रखता? विनम्र परंतु स्पष्ट शब्दोंमें मैंने अपना क्रोध और दुख व्यक्त करते हुअे अर्जी दी। अुसमें निम्न मुद्दे थे—

(१) "मेरी शारीरिक अवस्था प्रत्यक्ष देखकर जेल-कमेटीकी की हुअी सिफ़ारिश सरकार स्वीकार करती तो अच्छा होता। परंतु सेक्रेटेरिअेटके कमरेमें बैठकर प्रत्यक्ष स्थिति क्या है अिसका ज्ञान

न होते हुअे और अुसका विचार न करते हुअे, अजीब शर्तें लगाकर रिहाअीका हुक्म दिया गया, अिसके लिअे हमें अत्यन्त अुद्वेग और दुःख होता है। सरकारी तंत्रमें मनुष्यताको स्थान है या नहीं, अैसी शंका हमें जान पड़ती है।

(२) "मुझे अगर बिलाशर्त्त मुक्त करना न हो तो अपराधियोंकी बस्तीमें जाकर अकेले मरनेकी अपेक्षा, जेलमें अपने दो बच्चोंके साथ मरना मैं अधिक पसंद करता हूँ।

(३) "बिलाशर्त्त रिहाअी देनेपर मैं बड़ी खुशीसे बहुत बरसों बाद अपने छोटे भाअीसे मिलने आअूँगा, और परिवारके सब लोगोंके साथ प्रसन्न मनसे और शांत चित्तसे प्राणत्याग करूँगा।

"तब सरकार जो चाहे, करे। किसी भी स्थितिमें मैं अेकसा सुखी हूँ। मैं किसी तरहका शर्तनामा मानना या जमानत देना नहीं चाहता।"

अिस अर्जीका तो असर मेरी अपेक्षासे भी अच्छा और जल्दी हुआ। अुसके साथ ही यह भी कहना चाहिये कि जड़वत् सरकारी तंत्रमें कभी-कभी मीठी मनुष्यता जतानेवाली बातें हो जाती हैं।

आठवें दिन बूढ़ेकी बिलाशर्त रिहाअीका हुक्म आगया। अितनी जल्दी यह हुक्म आया अिसपर सब आश्चर्य करने लगे। वे तीनों मुझसे मिलने आये और सहज ही सबकी आँखोंमें आनंदाश्रु अुमड़े। तीनोंके चेहरोंपर आनंद और कृतज्ञता देखकर मुझे भी बहुत आनंद हुआ।

परिशिष्ट

मंगल-दर्शन्

अपनी सत्याग्रहकी लड़ाअीका यह शुभ परिणाम समझा जाना चाहिये कि साधारणतया कथित गुनहगारोंको अदालतोंमें दोषी ठहराकर जेल भेजनेका धन्धा करनेवाले वर्गमेंसे कितने ही व्यक्तियोंको जेलों का अनुभव लेनेका अवसर प्राप्त हुआ। सच पूछा जाय तो न्यायाधीश सज़ा देनेके लिअे जिम्मेदार होते हैं। अुन्हें जेलका प्रत्यक्ष अनुभव होना और भी अधिक महत्व रखता है। किन्तु वकीलोंकी तरह यह वर्ग बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होता। अपने पदसे त्याग-पत्र देकर अथवा पेंशनको तिलांजलि देकर कोअी बिरला न्यायाधीश ही सत्याग्रह-आन्दोलनमें जेल गया होगा, किन्तु यह सब जानते हैं कि अनेक वकीलोंने जेल-प्रवास किया है।

सत्याग्रहका मार्ग मानवताका मार्ग है, अिसलिअे यह स्वाभाविक ही था कि जिन वकीलोंमें मानवताका अंश प्रबल था, वे विशेष रूपसे अुसकी ओर आकर्षित हुअे। अैसे मानवतावादी वकील अगर जेलमें जाते हैं तो अुन्हें जेल के क़ैदियोंको दूसरी ही दृष्टिसे देखनेका अवसर मिलता है। अपराधी क़ैदियोंकी मदद करने, संभव हो तो अुनकी सजा कम कराने और अुन्हें जल्दी जेलसे मुक्त करानेका वे प्रयत्न करते हैं। हम देखते हैं कि सत्याग्रहके प्रणेता गांधीजीने किस प्रकार सन् १९२२-२३ में यरवदा जेलमें अुनकी सेवामें नियुक्त कैदी-पहरेदार आदनको अदनकी जेलमें भेजने और संभव हो तो मुक्त होकर अपने देश सोमालीलैंड लौट पानेके लिअे सरकारको अर्जियाँ दी थीं। भारतकी अनेक जेलोंमें अनेक सत्याग्रही वकीलोंने क़ैदी भाअियोंकी मदद करनेका थोड़ा-बहुत प्रयत्न अवश्य किया होगा। अिस पुस्तकसे यह पता चलता है कि दादासाहब मावलंकरने खासकर सन् १९४२ के आंदोलनके बाद बेमियाद जेल-जीवनमें प्राप्त अवसरका लाभ अुठाकर, अिस दिशामें जो सेवा की, वह कदाचित् अद्वितीय थी।

फाँसीके अेक प्रसंगपरसे फाँसीके कैदियोंके प्रति दादासाहब मावलंकर का हृदय द्रवीभूत हुआ और अुन्होंने ख़ूनके अभियुक्तों और अुनमें भी फाँसीकी सज़ा पाये हुअे क़ैदियोंकी सहायता करनेका काम अुठा लिया। अेक होशियार वकीलकी हैसियतसे अपनी तमाम बुद्धि-शक्तिका और अिसके अलावा अपने समस्त हृदय-बलका अुन्होंने अिस दिशामें प्रयोग किया। तिरस्कृत गुनहगारोंकी सहायता करनेमें अुन्हें यदि काफ़ी सफलता मिली तो कितनीही बार असफलता भी मिली। किन्तु अिस सफलता-विफलताकी पूंजीके पीछे मानवताकी सजीव धाराके साथ अुनका सम्पर्क हुआ और यह अुनकी बड़ी अुपलब्धि है। कथित गुनहगारों—हत्यारों, फाँसीके क़ैदियों—की सृष्टि कितनी हरी-भरी, मानवताकी सुधासे परिपूर्ण है, अिसका अुन्हें साक्षात्कार हुआ। यही अिस पुस्तकका सबसे बड़ा मूल्यवान आकर्षण है। यह कितना वांछनीय है कि अपराधोंकी जाँच और न्यायको तराजूपर तौलनेमें व्यस्त रहनेवाला वकील-समुदाय और न्यायाधीशोंका वर्ग अिन सच्ची घटनाओंकी सृष्टिका मर्म समझनेका प्रयास करे! जिन गुनहगारोंको वे आजीवन कारावास या लम्बी क़ैदकी सज़ा दिलाकर जेलोंके सींखचोंमें बन्द कर देते हैं, अैसे सामान्य क़ैदियोंमें अथवा विधाताकी भूलको दुरुस्त करनेके लिअे जिनको फाँसीकी सज़ा दी जाती है, अुन फाँसीके क़ैदियोंमें अनेक मर्तबा मनुष्यताके अुच्चातिअुच्च तत्त्व विद्यमान हैं, अिस बातको अगर हमारे वकील और न्यायाधीश समझलें तो कदाचित् अुन्हें अुनके प्रति दूसरे ही प्रकारका व्यवहार करनेका विचार करना पड़े। संभव है, सन् १९२० और '४५ के पच्चीस वर्षोंमें वकीलोंको जेल जानेका जो अवसर मिला, वैसा अवसर बड़े पैमानेपर अुन्हें अब नहीं मिल पायगा। वकीलोंकी दुनियामेंसे दादासाहब मावलंकरने कथित गुनहगार क़ैदियोंके जीवनका यह जो मंगल-दर्शन किया है, वह, हमारी आशा है कि दुनियाके लिअे भविष्यमें काम आयेगा।

(२)

मैंने अिस बातको जान-बूझकर महत्व दिया है कि अेक वकीलको यह मंगल अनुभव हुआ है। दादासाहब अगर वकील न होते तो अुन्हें अिस प्रकारके अनुभवमेंसे गुजरनेका संयोग ही नहीं मिलता। किन्तु यहाँ

जेलमें अेक वकीलकी हैसियतसे वे काम करना शुरू करते हैं तो वस्तुका सारा स्वरूप ही बदल जाता है। बड़ी-बड़ी अदालतोंमें 'माअी लार्ड' कह-कर चकाचौंध करनेवाली बुद्धिसे अपने मवक्किलको जितानेका प्रयत्न करनेवाले किसी वकीलके चित्र की कल्पना कीजिअे और यहाँ जेलमें आँखोंमें आँसुओंको समेटे गद्‌गद् कण्ठसे महमद मूसासे प्रार्थना करते दादासाहबके अिन शब्दोंको सुनिये, "महमद, तू सच्ची बात नहीं बता रहा। क्या तुझे मुझपर विश्वास नहीं? मैं यथाशक्ति तेरी मदद करनेके लिअे यहाँ आता हूँ। तू सच बोल।" अदालतोंमें न्यायके नामपर होने वाली हृदयहीन खींचतानमें, मानव-प्राणीका भविष्य क्षत-विक्षत होनेकी कौन परवा करता है? यहाँ जेलमें तो यही प्रयत्न होता है कि क़ैदीकी टूटी-फूटी जिंदगीको अगर थोड़ा भी बचाया जा सके तो बचा लिया जाय। अुस सिरे पर पैसा बुद्धिको नचाता है, यहाँ प्रेमके वश होकर हृदय सत्यका प्रकाश ढूँढ़ता है। अदालतोंमें सामान्यतः अभियुक्तोंको यह मंत्र पढ़ाया जाता है—'मैं कुछ नहीं जानता।' यहाँ दादासाहबके पास अेक ही मंत्र है—'सच बोल'। अेक वकीलकी हैसियतसे अपने काम-काजके सिलसिलेमें अुन्होंने जो बात अनेक बार समझाअी होगी और बादमें सार्वजनिक सेवा-क्षेत्रमें जीवन व्यतीत करते हुअे जो बात अुनके मनमें पक्की बैठ गअी होगी, वही बात वे क़ैदियोंके आगे रखते है—सत्यसे बढ़कर कोअी बचाव नहीं।

अिस पुस्तककी शुरूकी चार घटनायें अिस बातकी प्रतीति करानेके लिअे काफ़ी है। सत्य अव्यावहारिक आदर्शवादियोंके लिअे ही कोअी ख़ास वस्तु नहीं है, बल्कि सामान्यतः व्यवहार-रूपमें भी दैनिक जीवनमें प्रत्येक मनुष्यके लिअे कुल मिलाकर लाभदायक सिद्ध होता है। यह बात अिन घटनाओंमें देखनेको मिलती है।

अलबत्ता, सत्यका मार्ग तलवारकी धारपर चलनेका मार्ग है। अिसमें जोखिम तो समाअी ही होती है। कानजी और महमदसे दादासाहबने यह बात छिपाकर नहीं रखी। कहीं अैसा न हो कि अिन लोगोंको फाँसी हो जाय और अुस समय वे यह सोचें कि दादासाहबने हमको लटकवा दिया। अिसलिअे दादासाहब फाँसीकी संभावनासे अुन्हें पहले ही परिचित करा देते है। धोलकाकी ओरसे अुस किसानको तो सत्य न बोलनेपर लाभ

होनेकी संभावना थी । किन्तु आनन्दकी बात है कि सभी प्रसंगोंमें गुनह-गार अपने कृत्योंका अिकरार करते हैं। सत्यका आश्रय लेनेसे प्रथम चार प्रसंगोंमें अभियुक्त बच गअे। अिसपरसे अगर वकीलोंको यह विश्वास हो जाय कि अदालतोंमें असत्यके बदले सत्यपर आधार रखनेमें बुद्धिमत्ता है तो यह अवश्य ही महत्त्वकी बात होगी। किन्तु अिससे भी अधिक महत्त्वकी बात यह है कि मनुष्यमें सत्यको अपनानेकी कितनी अधिक क्षमता है— मानो यह अुसकी स्वाभाविक प्रकृति ही हो। अिन सब प्रसंगोंसे अिसी तथ्यकी प्रतीति होती है। जोखिम अुठा करके भी कानजी, ब्रह्मानन्द बाबाजी और धोलकाकी तरफ़का किसान सत्य बात प्रकट करते हैं, सोमा और शाहज़ादा दयाकी अर्ज़ीमें सत्यको स्वीकार करते है, महमद मूसा और शिवराम फाँसीके तख्ते पर चढ़नेसे पहले अपराध स्वीकार करते हैं और माधो ओझा भी सार्वजनिक रूपसे नहीं तो दादासाहबके सामने तो अवश्य सत्य स्वीकार करता है।

× × ×

ये सब कोअी सत्यवादी न थे। फिर भी वे सत्यका सहारा किसलिअे लेते हैं ? अिसलिअे कि सत्य परमावश्यक वस्तु है। सत्यका सहारा लिया तो मनुष्य फूल-जैसा हल्का बन गया । अुसकी अन्तरात्मापरसे मानो हिमालय-जैसी पत्थरकी शिला हट जाती है और अपने दोषका धब्बा धो डालनेके लिअे वह कमर कस लेता है। दादासाहब क़ैदी भाअियोंको हृदयकी दलीलोंसे सत्यकी ओर मोड़ते हैं। अिसलिअे सत्यके स्वीकारके साथ ही अुन लोगोंमें पश्चात्तापका निर्झर कल-कल करके बहने लगता है और अुनके दोष धोकर अुन्हें हलका बना देता है। क्रोधी किन्तु प्रेम करनेवाला पति कहता है, "निश्चय यही है कि जो घटना घटित हुअी है, वह सच-सच कहना है और पत्नीसे क्षमा माँगते हुअे, अीश्वरपर श्रद्धा रखना है।" अुसे फाँसी तो नहीं, पर चार वर्ष की क़ैदकी सजा मिली। "कहो, अब आगे अपील करोगे ?"—अिस प्रश्नके अुत्तरमें थोड़ी देर चुप रहकर वह कहता है, "नहीं, औरतकी जान गअी तो मेरे लिअे प्रायश्चित्त करनेको चार वर्ष जेलमें बिताना कोअी बड़ी बात नहीं होगी।" फाँसीके तख्तेकी ओर पैर बढ़ाते हुअे महमद मूसा कहता है, "मुझे तो

न्याय ही मिला है। मैं अपनी स्त्रीसे क्षमा माँगता हूँ।" शिवराम भी अन्तिम घड़ीमें कहता है, "मेरा खून करनेका अिरादा नहीं था, फिर भी मुझे जो सज़ा मिली है, अुसे मैं अीश्वरका न्याय मानता हूँ, अिसलिअे मुझे किसी प्रकारका असन्तोष नहीं है।" सोमा मणिसे अन्तिम विदा लेते समय प्रार्थना करता है, "मैं पापी हूँ। तेरे प्रति मैंने बड़ा अपराध किया है। मुझे क्षमा करना।" शाहज़ादा तो बबलीकी हत्या करनेके बाद भी अितना बबलीमय बन गया कि वह कह अुठता है—"जिस दिन मुझे फाँसी लगनेवाली है, अुसी दिन बबली मरी थी। मेरा यह कितना सौभाग्य है कि बबली जिस दिन स्वर्ग सिधारी, अुसी दिन मैं भी अुससे मिलने जानेवाला हूँ!" वह आनंदमें विह्वल है। कलापीकी ये पंक्तियाँ कितनी सार्थक हैं :

"हाँ, पश्चात्तापका निर्झर स्वर्गसे अुतर रहा है। पापी अुसमें डुबकी लगाकर पुण्यशाली बनता है।"

अिन सब सच्ची घटनाओंमें दादासाहबको जो मंगल-दर्शन हुआ है, अुसमें पश्चात्तापके प्रभावका मुझे अेक अत्यन्त महत्वका अंश प्रतीत होता है। और यह केवल भावनाके कारण नहीं, बल्कि अिसलिअे कि समाज-संचालनमें—विशेषकर कथित गुनहगारोंको सज़ा देनेकी समाजकी पद्धतियोंमें पश्चात्तापकी प्रक्रियाका प्रयोग सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, यह श्रद्धा अिन घटनाओंसे अधिक दृढ़ बनती है। समाज-यंत्रके ठीक प्रकार चलते रहनेके लिअे उसमें विक्षेप डालनेवाले तत्त्वोंके विरुद्ध कार्रवाअी करनेका, आत्मरक्षाकी ख़ातिर ही सही, समाजको हक़ है। किन्तु आज कथित सुधरी हुअी दुनियामें हम विक्षेपकारी तत्त्वोंके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, क्या वह समाजके साथ संचालनमें किसी प्रकार सहायक होता है? अगर किसीको बहुत ही बाधक समझा जाता है तो अुसे फाँसी दी जाती है। किन्तु लेखक अेक जगह प्रश्न करता है, "फाँसीकी सज़ा वर्षोंसे दी जा रही है, फिर भी क्या खून आदिके गुनाह कम हुअे हैं?" प्रकट है कि फाँसी, जो खून हो चुका है या आगे होनेवाला है, अुसका अिलाज नहीं है। अन्य विक्षेपकारी तत्त्वोंको जेलमें बंद रखा जाता है। अिसमें कुछ तो केवल रोक रखने या सज़ा देनेका भी आशय होता है। जेलोंकी अैसी स्थिति है कि मनुष्य छूटता है तो पक्का गुनहगार बनकर निकलता है। चाहे अपने

देशकी जेल हो, चाहे सुधरे हुअे माने जानेवाले देशोंकी जेल, आखिर जेल तो जेल ही है। प्रिंस क्रोपाटकिन साअिबेरियाकी जेल भुगत आये थे और पेरिसके अेक आलीशान जेलमें भी रहे थे। किन्तु अुन्होंने लिखा है कि 'जेल' के रूपमें दोनों अेक सरीखी थीं, और सजाके खयालने समाजका अहित करनेमें कुछ भी बाक़ी नहीं छोड़ा। अिसमें विशेष रूपसे समाजकी दरिद्रता प्रकट होती है। जो मनुष्य जेलमें सज़ा भुगत आता है, वह बाहर आकर अैसा वर्ताव करना शुरू करता है कि वह क़र्ज चुका आया और भला बन गया है, अब अुसे समाजका कुछ भी देना नहीं है। किन्तु समाज अुसे अिस तरह भला और ऋण-मुक्त स्वीकार करनेसे इन्कार करता है। अिसपर वह बदला लेनेके विचारसे समाजके प्रति और ज्यादा बग़ावत करता है और ज्यादा गुनाह करता है। दूसरे शब्दों में, मानो समाज गुनहगारोंको सजा देकर अपनेको ही सजा देता चलता है। अिस स्थितिमें किस प्रकार बचा जाय?

गुनाहोंका सच्चा अिलाज धाराओं और अुपधाराओंसे ठसाठस भरे पीनल कोड (दण्ड-विधान) में नहीं है, बड़ी-बड़ी अदालतोंमें नहीं है, वकीलोंके बुद्धि-प्रेरित वाणी-विलास और न्यायाधीशोंके ख़र्चीले फ़ैसलोंमें भी नहीं है। वह तो कि त गुनहगारोंके हृदयमें ही है, अुनकी अन्तरात्मामें ही है। अुस अिलाजकी परीक्षा करना ज़रूरी है। गुनहगारका जाग्रत अन्तरात्मा जो सज़ा अुसे दे सकेगा, वह समाजकी कोअी भी जेल किस प्रकार दे सकेगी? और अिसमें अंतर यह है कि अन्तरात्माकी सज़ा भुगत लेनेवाला गुनहगार वास्तवमें भला बनकर समाजमें प्रविष्ट कर सकेगा। 'ले, तेरी सज़ा भुगत ली, अब क्या है?'—अिस भावनासे नहीं, बल्कि अपने दोषकी प्रतीतिसे विगलित हृदय होकर विनम्र भावसे समाजके लिअे अधिक अुपयोगी बननेकी प्रसन्नता लिअे हुये वह नया जीवन शुरू करेगा। समाज आज दो टूक न्याय करनेकी अपनी पद्धतिके कारण अपने ही प्रति अन्याय कर रहा है। पता नहीं अुससे वह कब छूट सकेगा? किन्तु अिसमें शक नहीं कि लम्बी और धीरजवाली होते हुअे भी गुनाहोंके अिलाजकी सच्ची पद्धतिकी खोज, जाग्रत अन्तरात्माके पश्चात्तापकी दिशामें ही करनी होगी।

दादासाहबने अिन सब घटनाओंमें बातूनी अदालतोंको अुतना ही

महत्त्व दिया है जितना व्यावहारिक रूपसे आवश्यक था; किन्तु मुख्य रूपसे अुनकी दृष्टि सामान्य भाषामें जिसे 'अीश्वरका दरबार' कहा जाता है, अुसकी ओर रही है। अिसलिअे जिसे फाँसीकी सज़ा हो चुकती है, अुससे वह हाथ धोकर अलग नहीं हो जाते, बल्कि क़ैदी भाअीके हृदयमें पश्चात्ताप प्रकट करवाकर अुसे अुस सच्ची अदालतके लिअे तैयार करनेकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रकट है कि दादासाहबको केवल क़ैदी भाअीकी सज़ामें कमी करानेमें ही दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह चाहते हैं कि अुसके हाथसे जान या अनजानमें समझ-बूझकर या अुत्तेजनामें हुअे दुष्कृत्यके लिअे वह सच्चे दिलसे पश्चात्ताप अनुभव करे और अिस प्रकार अुसके जीवनके जो दो-चार दिन भी शेष रह गअे हों, अुनमें अुसकी मनुष्यता खिल अुठे। सत्यके स्वीकारके साथ मनुष्य जब अेक बार अन्तरात्माकी सजा स्वीकार कर लेता है तो फिर क़ानूनी अदालतकी सजाके होने या न होनेका विशेष महत्व नहीं रह जाता। माधो ओझाको क़ानूनी अदालतमें सत्य विवरण प्रकट न होनेके कारण सज़ा न हो सकी और वह छूट गया। किन्तु अीश्वरके न्यायालयकी ओरसे तो अुसने जब अेक दूसरे मनुष्य-बन्धुके आगे सच्ची बात कह डाली, अुसी क्षणसे पश्चात्तापकी आगमें जलनेकी सज़ा शुरू हो गअी। क़ानूनी अदालतकी सज़ा भुगतने अथवा अुसे बिना भुगते भी, पश्चात्ताप द्वारा अपने दुष्कृत्यके दागको धो डालनेकी शक्ति गुनहगार माने जानेवाले व्यक्तिमें विद्यमान रहती है और अुसे सक्रिय बनाया जा सकता है, अिसकी प्रतीति अिस प्रसंगमालासे हो जाती है। यह अिसकी कोअी साधारण सार्थकता नहीं है।

× × ×

अन्तमें फाँसीकी सज़ा कायम रहे तो फाँसीका क़ैदी अगर स्वस्थता खोअे बिना अुसमेंसे पार हो जाता है तो अिसमें आश्चर्यकी क्या बात! यह स्वाभाविक ही है कि सत्यके स्वीकारसे पश्चात्तापकी आगमें आत्माका कुन्दन जब तप-तपाकर शुद्ध होने लगता है तो मृत्युका भय महत्वहीन हो जाता है। दूसरे भागकी प्रथम चार घटनाओंमें हम देखते हैं कि महमद मूसा, शिवराम, सोमा और शाहजादा—अिन चारोंने जो मृत्युपर विजय प्राप्त की, अुसमें पश्चात्तापका योग साधारण नहीं था। आगे चलकर

स्वजन बन जानेवाले दादासाहबकी अुपस्थितिका प्रभाव भी पड़ा ही, फाँसीपर लटकनेवाले पाँचों कदियोंका प्रेमी होना केवल अकस्मात् नहीं था। अेकने पत्नीका, तीनने रखैलोंका और अेकने रखैलके पतिका खून किया था। कामवृत्ति सहज ही मनुष्यको दुष्कृत्यकी ओर खींच ले जाती है, किन्तु यह शक्तिके अुद्रेककी निशानी है और जब वह शुद्ध होकर सच्चा मार्ग ग्रहण करती है तो कौन वस्तु असाध्य हो सकती है ? अपने तथा पराअी स्त्रीके आवासमें ही जिसे आनन्द मिलता था, वही सोमा कहता है, 'यह शरीर आत्माका आवास ही तो है !' क्या यह कम बलिहारी की बात है ? सामने खड़ी मृत्युका प्रभाव भी अिसमें अवश्य रहा होगा। गुसाअीं बाबा ॐकारकी रटन करता हुआ जिस तरह फाँसीपर लटकता है, अुससे अैसा प्रतीत होता है कि निश्चित मृत्युको देखकर भीतरसे ही कुछ अैसी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होनी चाहिअे। "मनुष्यकी मनोरचनामें अीश्वरने कौन-सा अैसा तत्व रखा है कि वह मृत्युको सामने देखकर अुसका मुकाबला करनेका तत्त्वज्ञान थोड़े ही समयमें प्राप्त कर लेता है ?" अन्यत्र लेखक यह अनुमान करता है, "कदाचित् अपनी मृत्युका तीव्रतासे भान होनेके कारण अुसकी दृष्टि आध्यात्मिक बन जाती है और वह अेक प्रकारकी स्थितप्रज्ञता प्राप्त कर लेता है।"

मानवके दर्शन-शास्त्रका मूल अवश्यंभावी मृत्युके तथ्यको गले अुतारनेके प्रयत्नमें, दूसरे शब्दोंमें अुसकी असीम अूहापोहमें खोता जाता है। भागवतकी कथा क्या है ? परीक्षितको सात दिनके बाद साँप काटेगा और अुसका प्राणहरण करेगा। सात दिन परीक्षित अैसी तत्व-चर्चामें बिताता है कि साँप काटकर केवल अुसके शरीरका ही नाश कर सकता है। नचिकेताको पिताने मृत्युके समर्पित किया, अतः अुसने अन्न-पानीका त्याग कर दिया। तीन दिन मृत्युके दरवाज़ेपर अतिथि बनकर पड़ा रहा, वहाँ मृत्युके मुखसे ही अुसे प्रेय और श्रेयका ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दोंमें मृत्युको सामने अुपस्थित समझकर शारीरिक रूपसे जीवनमें सहायक प्रेयोंको त्यागने और फलस्वरूप आत्म-भावमें—श्रेयमें—स्थिर होनेकी अुसे शिक्षा मिली। आत्म-भाव जागृत करनेमें मृत्यु जैसी बोध देनेवाली और कोअी वस्तु नहीं : वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यः।

अैसे सामान्य बिना पढ़े-लिखे क़ैदियोंमें जीवनकी अन्तिम घड़ियोंमें आध्यात्मिक बल कहाँसे आया ? लेखकने अुचित ही यह प्रश्न किया है—"अिन लोगोंको हम वस्तुतः कैसे अशिक्षित कह सकते हैं ?" आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव कहते थे कि अिस देशके लोगोंको निरक्षर भले ही कहना, किन्तु असंस्कारी न कहना। कदाचित पढ़े-लिखे लोगोंकी तुलनामें अिन कथित बेपढ़े-लिखोंमें संस्कारिता अधिक प्रकाशित हो अुठती है। मोती झेणा दादासाहबके पास जेलमें रहता है। दादा साहब कहते हैं, "अिस कालमें मैंने अत्यन्त निकटसे अुसके अनेक गुणोंका दर्शन किया। मनुष्य अप्रसिद्ध होनेसे भले ही छोटा समझा जाये; किन्तु गुणोंका मूल्यांकन करनेपर मैं अुसे बड़ा आदमी मानूँगा।" और अुनका यह कथन भी योग्य ही है, "हिन्दुस्तानमें अैसे लाखों व्यक्ति भारतीय संस्कृतिके प्रतीकके रूपमें पड़े हैं, और आज जो अपनी संस्कृति टिकी हुअी है तो यह अिसीलिअे कि अिस प्रकारके छोटे माने जानेवाले मनुष्य प्रजा-वर्गमें बड़ी संख्यामें मौजूद हैं। अगर मैं यह कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी कि अिसीलिअे हम अेक जातिके रूपमें दुनियामें टिके हुअे हैं।"

यरवदा जेलमें गांधीजीके साथ अुनके साथियोंने प्रार्थनामें शामिल होना बन्द किया, तब 'मित्रों के साथ बिना प्रार्थनामें मुझे अकेलापन महसूस होगा और शायद मैं दुःखी होअूँगा' अैसे कोमल विवेक-भावसे वार्डर गंगाप्पा चुपचाप आकर सामने बैठ गया और प्रार्थनामें शामिल हुआ था। अुसके गुणोंके बारेमें अुन्होंने लिखा है, "मुझे अिसपर आश्चर्य होता है कि जिस मनुष्यमें अैसा अुच्च चरित्र प्रदर्शित करनेकी शक्ति है, अुसे समाज दण्ड दे सकता है और सरकार अुसे जेलमें रख सकती है। गंगाप्पा निरक्षर है। वह राजनीतिक कैदी नहीं है। अुसे खून अथवा अैसे ही किसी अपराधमें सजा हुअी है।' ('यरवदाके अनुभव' से)

गुनहगारोंको समाज जिस दृष्टिसे देखता है और अदालतोंमें वकील और न्यायाधीश अुनकी जिस दृष्टिसे जाँच करते हैं, अुसकी तुलनामें दूसरे किनारे जेलकी दीवारोंके पीछे निकट सहवास द्वारा समभावी नेताओंको वे कितने भिन्न प्रतीत होते हैं, यह जरा हमें सोच-विचारमें डालने जैसा है।

जेलकी दुनियामें बन्द मनुष्योंमें सत्यकी ओर प्रेरित होनेकी जो

स्वाभाविक वृत्ति दिखाअी देती है, पश्चात्ताप द्वारा अपने दोषकी शुद्धि करनेकी अुनमें जो तैयारी नजर आती है, यह सबकुछ होनेपर भी अगर फाँसीकी सजा होती है तो मृत्युपर विजय प्राप्त करनेकी वे आध्यात्मिक शक्ति प्रकट कर सकते हैं और कुल मिलाकर अुनके जीवनमें जो संस्कारिताका परिचय मिलता है, अुसपरसे अिस प्रसंगमालाका नामकरण 'मानवताके झरने' ज़रूर किया जा सकता है।

ये मानवताके झरने प्रवाहित होते रहें, जेलमें ही गायब न हो जायँ, अिसके लिअे समाजको जेलोंके प्रति समय रहते अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। गुनहगारोंको मानसिक रोगी मानकर अुन्हें समभावसे पुनः स्वस्थ बनानेका यथासंभव प्रयत्न करना चाहिये।

अिस बारेमें, सेम्युअल बटलरके प्रभावके नीचे ब्रिटिश श्रम-कार्यालय की रिपोर्ट की प्रस्तावनाके रूपमें शॉ ने और हमारे यहाँ गांधीजीने दिशा दिखाअी है। 'यरवदाके अनुभव' (पृष्ठ ५५-५६) पुस्तकमें गांधीजीने लिखा है :

"जेलमें मनुष्यके श्रमका खूब अपव्यय होता है, जब कि पैसे और साधनोंके अुपयोगके बारेमें खूब दरिद्रता देखनेको मिलती है। अस्पतालोंमें अिससे अुलटा चलता है। अिसके बावजूद दोनों संस्थाओंकी योजना मानव-व्याधिका अिलाज करनेके लिअे की गअी है—जेल मानसिक और अस्पताल शारीरिक व्याधियोंके लिअे। मानसिक व्याधिको अपराधके रूपमें माना जाता है, अतः अुसके लिअे दण्ड दिया जाता है; शारीरिक व्याधिको प्रकृतिकी अकल्पित आपत्ति समझा जाता है और अिसलिअे अुसकी सावधानीपूर्वक सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये। वास्तविक दृष्टिसे अैसा कोअी भेद करनेका कारण नहीं है... शारीरिक व्याधिके लिअे मृदु कारण यह है कि कथित अूंचे वर्गके लोग निम्न वर्गके लोगोंकी अपेक्षा कदाचित् अधिक और बार-बार आरोग्यके नियमोंको तोड़ते हैं। अिन अुच्च वर्गोंके लोगोंको सामान्य चोरी करनेकी ज़रूरत नहीं और अगर सामान्य चोरी होती है तो अुनके जीवनक्रममें खलल पड़ता है, अिसलिअे सामान्यतः खुद ही कानून-निर्माता होनेके कारण वे स्थूल चोरीके लिअे दण्ड देते हैं। किन्तु अुन्हें प्रतिक्षण अिस बातका भान तो होता ही है कि अुनके अपने रंगमंच, जिनके विषयमें कोअी बोलता नहीं, स्थूल चोरियोंकी

"यह भी ध्यानमें रखने योग्य है कि जेल और अस्पताल अयोग्य चिकित्साके कारण ही बढ़ते हैं। अस्पतालोंका विस्तार होता है, कारण रोगियोंको चिंतापूर्वक सार-सम्हाल रखी जाती है। जेलोंका विस्तार होता है, कारण कैदियोंको सुधरने लायक नहीं समझकर अुन्हें सजा दी जाती है।...प्रत्येक रोगी और प्रत्येक कैदी जब अस्पताल और जेलसे निकले तो मानसिक ओर अुसी प्रकार शारीरिक आरोग्यके नियमोंका प्रचारक बनकर निकलना चाहिये।"

(३)

ये सच्ची घटनायें हैं। अुन्हें लिखनेमें अुनपर कोअी रंग नहीं चढ़ाया गया है। शैलीमें अेक वकीलकी सतर्कताके साथ सहानुभूतिसे विकल हृदयकी धड़कन है। सतर्कताके आग्रहके कारण लेखकको लोग 'गुरु महाराज' समझते थे। अिसका विवरण भी अुन्होंने आने दिया है तो कहीं अिस तरह वर्णन करते हैं, जिस तरह कोअी बुद्धिपर गर्व करनेवाला व्यक्ति न करेगा। सच्ची बात मालूम करनेकी प्रक्रियामें अैसा अनुभव होता है, कि हम लेखकके सहयोगी नहीं बन सकते। लेखनमें सजावटका जाग्रत प्रयत्न प्रतीत नहीं होता। फिर भी 'शाहजादेका प्यार', 'यह चोला ही तो है', 'मोती झेणा', 'बेचारी माँ' 'ब्रह्मानंद बाबाजी' जैसे प्रसंग लघु कथाके निकट पहुँच जाते हैं।

'महमद मूसा' में लेखककी अपनी कथा भी थोड़ी शामिल हो गअी है। अिस प्रकारके सभी किस्सोंमें अपनी कथाका शामिल होना अनिवार्य हो जाता है। महमदको मृत्युका सामना करनेका तत्त्वज्ञान समझानेके दम्भसे बचनेका लेखकका प्रयत्न वास्तवमें अेक सहृदय और मर्मस्पर्शी प्रकरण है। दादासाहबको अेक व्यावहारिक व्यक्तिकी हैसियतसे समाजकी गुत्थियोंको सुलझानेके अनेक अवसर प्राप्त हुअे होंगे। महमदके अुस्मान प्रकरणका अुन्होंने जो समाधान किया, वह अिसका सचमुचमें अेक सुन्दर अुदाहरण है। मोती झेणाके प्रति अुनका सहोदर जैसा भाव—अेक प्रकारका पूज्य भाव भी भला प्रतीत होता है। गोसाअीं बाबाको जिस दिन फांसी मिलनेवाली थी, अुस दिन बड़े सबेरे हम दादासाहबको अुसके पास जाकर गीताका पाठ करते हुअे देखते हैं और दूसरी ओर हम दादासाहबको भारतीय संसदके

अध्यक्षके रूपमें देखते हैं और अुनके अिन दोनों रूपोंको अेक साथ देखनेमें कितना सुन्दर दृश्य प्रकट होता है !

दादासाहब अेक कुशल कथाकार वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। जो थोड़े भी अुनके संपर्कमें आये हैं अुन्हें पता होगा कि वर्षों पुरानी घटनाओंकी अेक-अेक रेखा शृंखलाबद्ध प्रस्तुत करनेमें अुन्हें कितना रस आता है। अुनमें थोड़ी विनोदवृत्ति भी है ही। कभी-कभी आँखोंमें चमक भी दिखाअी जाती है। भगवा छोड़कर सादे क़ैदीके कपड़ोंमें शोभित ब्रह्मानन्द बाबाजी तीन अंगुलियाँ बताते हैं, अिस घटनामें वह चमक देखी जा सकती है।

× × ×

अगर हमारे पास आँख हो तो मानव केवल मानवके रूपमें कितना सुन्दर प्रतीत होता है अिसका मंगलदर्शन कराने वाला यह साहित्य भाषाका अमूल्य धन बनकर रहेगा।

हमारे यहाँ (गुजरातीमें) स्वर्गीय मेघाणीने 'जेल आफिसकी खिड़की' और 'मनुष्यताके दीपक' जैसी रचनाओंसे साहित्यका गौरव स्थापित किया है। सौभाग्यसे अिस दिशामें अैसी ही अन्य रचनाअें भी पुस्तक-रूपमें और विभिन्न सामयिक पत्रोंमें मिलने लगी हैं। हमारे लोग अनुभवदक्ष गिने जाते हैं। अनेक व्यक्तियोंके सम्पर्कमें आनेवाले हमारे बड़े वकील, डाक्टर, अुद्योगपति, व्यापारी, शिक्षक, सार्वजनिक सेवक भी अगर मानव-जीवनके किसी-न-किसी रहस्यपर प्रकाश डालनेवाले प्रसंगोंका, जो अुनके अनुभवमें आये हों, आलेखन करें तो अवश्य ही अपनी भाषाके साहित्यको बहुत लाभ होगा। लम्बा वर्णन लिखनेका प्रचलित अभ्यास (अथवा कुअभ्यास) जिसे न हो, अुसे आलस्य आयेगा। किन्तु पृथक् घटनाअें अैसी होती हैं कि अुनकी भाषा अपने-आप मिल जाती है और शैली सप्रमाण रहती है। घटना अपनी रूपरेखा खुद ही बना लेती है।

हम आशा करते हैं कि दादासाहबसे तो हमको अिस प्रकारका साहित्य मिलेगा ही। मृत्युकी छायामें खड़े मानव-बंधुओंसे प्रेम करनेवाले और अुनका प्रेम प्राप्त करनेवाले दादा साहबकी मूर्ति अिस पुस्तक द्वारा अक्षय चिरप्रेरणादायी सिद्ध होगी।

अहमदाबाद —उमाशंकर जोशी